द्वितीय माला, खण्ड २४—अंक २६
२० दिसम्बर, १९५८ (शनिवार)

लोक-सभा
वाद-विवाद

2nd Lok Sabha
(Sixth Session)

सत्यमेव जयते

(खण्ड २४ में अंक २१ से अंक २६ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

६२ नये पैसे (देश में) ३ शिलिंग (विदेश में)

313 (Ai) LSD

विषय-सूची

(द्वितीय माला, खण्ड २४--अंक २१ से २६--१५ दिसम्बर से २० दिसम्बर, १९५८)

पृष्ठ

अंक २१--सोमवार, १५ दिसम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९३४ से ९३६, ९३८, ९३९, ९४०, ९४२ से ९४७ और ९५० . . . . २३२१–४३

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९३७, ९४१, ९४८, ९४९ और ९५१ से ९६२ . २३४३–६०

अतारांकित प्रश्न संख्या १४६३ से १५३३, १५३५ से १५४१, १५४३ से १५८० और १५८३ से १५८५ . . २३६०–२४०४

सभा-पटल पर रखा गया पत्र २४०४

याचिका समिति . . २४०५

कार्यवाही सारांश

याचिका समिति . . . २४०५

पांचवां प्रतिवेदन

राज्य सभा से सन्देश . . . २४०५

अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक २४०५

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया

दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक के बारे में याचिका . . २४०५

संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक . २४०६

मत विभाजन के आंकड़ों की शुद्धि

समितियों के लिये चुनाव . . २४०६-०७

प्राक्कलन समिति २४०६

राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड २४०६-०७

जीवन बीमा निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक--वापस लिया गया २४०८

विधेयक पुरःस्थापित . . २४०८-१०

(१) विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक, १९५८ . २४०८

(२) विनियोग (रेलवे) संख्या ५ विधेयक, १९५८ . . २४०९

	पृष्ठ
(३) अनर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, १९५८ . .	२४०९-१०
(४) उड़ीसा बाट तथा माप (दिल्ली निरसन) विधेयक, १९५८ .	२४१०
वर्ष १९५८-५९ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें .	२४११-४९
दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक	२४४९-५४
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक . .	२४५४
प्रवर समिति का प्रतिवेदन	
कार्य मंत्रणा समिति . .	२४५४
तैंतीसवां प्रतिवेदन	
दैनिक संक्षेपिका . . .	२४५५-६२
अंक २२—मंगलवार, १६ दिसम्बर, १९५८	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९९३ से ९९७, १०३१, ९९८ से १००२ और १००४ से १००८ .	२४६३-८७
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १००३, १००७ से १०५९ और ५५० . .	२४८७-२५०९
अतारांकित प्रश्न संख्या १५८६ से १६६२, १६६६ से १६६९, १६७१ से १६७७, १६७९ से १६८० .	२५०९-८७
स्थगन प्रस्ताव के बारे में . .	२५४८-४९
गन्ना उत्पादकों द्वारा हड़ताल	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . .	२५४९-५०
लोक लेखा समिति	२५५०
ग्यारहवां प्रतिवेदन	
दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक के बारे में याचिका . .	२५५१
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . .	२५५१-५२
फोलीडोल का यातायात	
देश में तेल की खोज में प्रगति के बारे में वक्तव्य . . .	२५५२-५४
विनियोग (संख्या ५) विधेयक—पुरःस्थापित . .	२५५४
कार्य मंत्रणा समिति	२५५४
तैंतीसवां प्रतिवेदन	
सत्र की अवधि का बढ़ाया जाना	२५५५
विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक—पारित . . .	२५५५
विनियोग (रेलवे) संख्या ५ विधेयक—पारित . . .	२५५६

दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक २५५६–९९
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . २५५६–९४
खण्ड २ से ५ और ६ . . . . २५९९–२६०२
फिल्म उद्योग के बारे में आधे घण्टे की चर्चा . . . २६०३–१०
दैनिक संक्षेपिका . . . . . .

अंक २३—बुधवार, १७ दिसम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या १०६० से १०७४ . . . . २६११–३२
प्रश्नों के लिखित उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या १०७५ से ११०४, ११०६, ११०७, ११०७क और ११०८ से ११३६ . . . . . २६३३–६०
अतारांकित प्रश्न संख्या १६८१ से १७४२, १७४४ से १९४६, १९४८ से १९६१, १९६३ से १९८६, १९८८ से १९९५, १९९५क, १९९५ख, १९९५ग, १९९५घ, १९९५ङ, १९९५च और १९९५छ . . २६६१—२७९२
सभा पटल पर रखे गये पत्र २७९२–९३
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति . . २७९३
तैंतीसवां प्रतिवेदन
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . २७९३
हवाई अड्डों का विकास
दिल्ली भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . . २७९४
दिल्ली पंचायत राज (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . . २७९४
विशेषाधिकार समिति २७९४–९५
छठा प्रतिवेदन
विनियोग (संख्या ५) विधेयक २७९६
विचार करने का प्रस्ताव २७९६
खण्ड २, ३ अनुसूची और खण्ड १ . . . . २७९६
पारित करने का प्रस्ताव २७९६
दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक २७९६–२८१५
खण्ड ६ से १४, १६ से ३५, १५, ३६ से ५७ . . . २७९६–२८१४
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . . २८१४–१५
भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक . . . २८१५–२५
विचार करने का प्रस्ताव
सेवा निवृत्त सरकारी पदाधिकारियों द्वारा गैर-सरकारी कम्पनियों में नौकरी करने के बारे में चर्चा २८२५–४३

तुंगभद्रा उच्चस्तरीय नहर के बारे में आधे घण्टे की चर्चा . . २८४३–४६
दैनिक संक्षेपिका २८४७–६२

अंक २४––गुरुवार, १८ दिसम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––
तारांकित प्रश्न संख्या ११३८, ११३९, ११४३ से ११४७ और ११४९ २८६३–८२
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ . . २८८२-८३
प्रश्नों के लिखित उत्तर––
तारांकित प्रश्न संख्या ११३७, ११४१, ११४२, ११४८, ११५० से ११६८, ११६८क, ११६८ख, ११६९ से ११७६, ११७६क, ११७७, ११७७क, ११७८ से ११८०, ११८०क और ११८१ . . . २८८४–२९००
अतारांकित प्रश्न संख्या १९९६ से २०१४, २०१६ से २१३१, २१३१क, २१३१ख, २१३१ग और २१३१घ २९००–५७
स्थगन प्रस्ताव के बारे में . २९५७–६०
संसद् भवन के बाहर प्रदर्शन
सभा पटल पर रखे गये प २९६०-६१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति . . २९६१
तीसवीं से चौतीसवीं बैठकों के कार्यवाही सारांश
याचिका समिति २९६१
तेईसवीं बैठक का कायवाही सारांश
सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति २९६१
ग्यारहवां प्रतिवेदन
तारांकित प्रश्न संख्या १४०३ के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर की शुद्धि २९६१-६२
शस्त्र विधेयक––पुरःस्थापित . . २९६२
भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक २९६३–७३
विचार करने का प्रस्ताव २९६३–७१
खण्ड २ और १ . . २९७१
पारित करने का प्रस्ताव . २९७१–७३
चलचित्र (संशोधन) विधेयक . २९७३–८२
विचार करने का प्रस्ताव
गन्ने की अधिक कीमत निर्धारित करने के बारे में प्रस्ताव . . २९८२–३००७
कुलटी की भट्टियों के बन्द हो जाने के बारे में आधे घण्टे की चर्चा . ३००७–१२
दैनिक संक्षेपिका . . ३०१३–२१

पृष्ठ

अंक २५--शक्रवार, १६ दिसम्बर, १६५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११८२, ११८३-क, ११८४ से ११८७, ११६० से ११६३ और ११६५ से ११६८ ३०२३--४४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ और ८ ३०४५--५०

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११८३, ११८३-क, ११८८, ११६४, ११६६ से १२०६, १२०८ से १२२१ और १२२३ से १२४६ ३०५०--७३

अतारांकित प्रश्न सख्या २१३२ से २२०१ और २२०३ से २२१८ ३०७३—३११३

स्थगन प्रस्ताव के बारे में ३११३

जानकारी का प्रश्न ३११३-१४

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३११४—१६

राज्य सभा से संदेश ३११६

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति ३११६

चौथा प्रतिवेदन

प्राक्कलन समिति ३११६

बत्तीसवां प्रतिवेदन

सदस्य द्वारा क्षमा याचना ३११७

चलचित्र (संशो न) विधेयक ३११७—३१

विचार करने का प्रस्ताव ३११७—२५

खण्ड २ से ६ और १ ३१२५--३१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति ३१३१

तैंतीसवां प्रतिवेदन

देश में भूमि सुधार की प्रगति का अनुमान लगाने के लिये एक समिति के बारे में संकल्प ३१३१—५१

देश के सभी लोक सेवा आयोगों पर केन्द्रीय नियंत्रण के बारे में संकल्प ३१५२

आन्ध्र में चीनी के सहकारी कारखानों के बारे में आधे घंटे की चर्चा ३१५२--६०

दैनिक संक्षेपिका ३१६१--६६

अंक २६--शनिवार, २० दिसम्बर, १६५८

सभा पटल पर रखे गये प ३१७१-७२

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति ३१७२

दसवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति ३१७३

दसवीं व ग्यारहवीं बैठकों के कार्यवाही सारांश

	पृष्ठ
राज्य-सभा से संदेश .	३१७३
संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक . .	३१७३
राज्य सभा से संशोधनों सहित लौटाये गये रूप में सभा पटल पर रखा गया	
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना .	३१७४
आसाम रेलवे ट्रेडिंग कम्पनी द्वारा कर्मचारियों का अस्थायी रूप से हटाया जाना	
अनुपस्थिति की अनुमति . .	३१७४
तारांकित प्रश्न संख्या ५६३ के उत्तर की शुद्धि	३१७५
अनर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक	३१७५—७९
विचार करने का प्रस्ताव . . .	३१७५—७८
खण्ड २ और १ .	३१७९
पारित करने का प्रस्ताव . .	३१७९
विदेशी विनिमय विनियमन (संशोधन) विधेयक	३१७९—८४
विचार करने का प्रस्ताव .	३१७९—८४
खण्ड १ और २ .	३१८४
पारित करने का प्रस्ताव .	३१८४
लागत तथा निर्माण लेखापाल विधेयक . . .	३१८४—९६
संयुक्त समिति को सौंपने के लिये राज्य सभा से सहमत होने का प्रस्ताव	
लोक तिमि त्व (संशो न) वि यक .	३१९६—३२३०
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रू में विचार करने का प्रस्ताव . .	३१९६—३२१५
खण्ड २ से १४, १६ और १८ से २३, २८-क और २८-ख, १५, १७, २९, ३० से ३७ और १	३२१५—३०
संशो त रूप में पारित करने का प्रस्ताव	३२३०
उड़ीसा बांट तथा माप (दिल्ली निरसन) विधेयक .	३२३१
विचार करने का प्रस्ताव	३२३१
खण्ड २, ३ और १	३२३१
पारित करने का प्रस्ताव . . .	३२३१
आन्ध्र में चावल की वसूली के बारे में आधे घंटे की चर्चा	३२३१—३८
दैनिक संक्षेपिका . .	३२३९—४१
छटे सत्र का कार्यवाही सारांश	३२४१—४४

नोट :— मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा

शनिवार, २० दिसम्बर, १९५८

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

†अध्यक्ष महोदय : आज प्रश्न काल नहीं है।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

भारत में दूसरे सामान्य निर्वाचन के बारे में प्रतिवेदन, १९५७

(खण्ड १—सामान्य)

†विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन): मैं भारत में दूसरे सामान्य निर्वाचनों के बारे में प्रतिवेदन १९५७ (खण्ड १—सामान्य) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० ११५७/५८]

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम के अधीन अधिसूचना

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : मैं अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उपधारा (२) के अन्तर्गत दिनांक १३ दिसम्बर, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११६३ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० ११५८/५८]

तारांकित प्रश्न के उत्तर को शुद्ध करने वाला वक्तव्य

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को भारत सरकार की छात्रवृत्तियों के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या ६९५ पर श्री द० अ० कट्टी द्वारा ३० अगस्त, १९५८ को पूछे गये एक अनुपूरक प्रश्न को शुद्ध करने वाले वक्तव्य की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० ११५९/५८]

---

†मूल अंग्रेजी में

सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी अध्ययन दल का प्रतिवेदन

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली): मैं सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी अध्ययन दल के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० ११६०/५८]

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

†खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस): मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(१) दिल्ली रोलर फ्लोर मिल्ज आटा (मूल्य नियंत्रण) आदेश, १९५८ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २८ नवम्बर, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ११२९।

(२) उड़ीसा चावल (निर्यात निषेध) आदेश, १९५७ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २९ नवम्बर, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ११३०।

(३) चावल और धान (पश्चिम बंगाल) दूसरा मूल्य नियंत्रण आदेश, १९५८ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ३ दिसम्बर, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ११५२।

(४) जी० एस० आर० संख्या ११५५, दिनांक ४ दिसम्बर, १९५८।

(५) जी० एस० आर० संख्या ११५६, दिनांक ४ दिसम्बर, १९५८।

(६) राजस्थान चना (निर्यात निषेध) आदेश, १९५८ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ५ दिसम्बर, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ११५७।

(७) दिनांक ५ दिसम्बर, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ११५८ जिस में चावल (उत्तर प्रदेश) मूल्य नियंत्रण आदेश, १९५८ दिया गया है।

(८) जी० एस० आर० संख्या ११५८-क दिनांक, ७ दिसम्बर, १९५८।

(९) जी० एस० आर० संख्या ११६०, दिनांक ८ दिसम्बर, १९५८।

(१०) जी० एस० आर० संख्या ११९०, दिनांक ११ दिसम्बर, १९५८।

(११) जी० एस० आर० संख्या ११९१, दिनांक ११ दिसम्बर, १९५८।

[पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० ११६१/५८]

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

दसवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

†पंडित ठाकुर दास भार्गव (हिसार) : मैं सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति की छठे सत्र में हुई दसवीं बैठक का कार्यवाही सारांश सभा-पटल पर रखता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

दसवीं और ग्यारहवीं बैठकों के कार्यवाही सारांश

†**श्री मूल चन्द दुबे** (फर्रुखाबाद): मैं स ा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की छटे सत्र में हुई बैठकों (दसवीं और ग्यारहवीं) के कार्यवाही सारांश सभा-पटल पर रखता हूं।

राज्य सभा से संदेश

†**सचिव** : मुझे सभा को बताना है कि मुझे राज्य सभा के सचिव से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है :

"मुझे लोक-सभा को बताना है कि राज्य-सभा ने अपनी १८ दिसम्बर, १९५८ की बैठक में संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९५८ को, जिसे लोक-सभा ने अपनी ३ दिसम्बर, १९५८ की बैठक में पारित किया था, निम्नलिखित संशोधनों सहित पारित कर दिया है :—

खण्ड ३

१. पृष्ठ २, पंक्ति २१ में "which is an advisory body (जो एक मंत्रणा-दाता संस्था है)" शब्द हटा दिये जायें।

२. पृष्ठ २, पंक्ति ३७-३८ में, "director or member (निदेशक या सदस्य)" शब्द हटा दिये जाय; और

३. पृष्ठ ३, पंक्ति ९ में, "clauses (h) and (i) [खण्ड (ज) और (झ)]" शब्दों के स्थान पर "this section (यह धारा)" शब्द रखे जायें।

अतः, मैं इस विधेयक को इस अनुरोध के साथ लौटा रहा हूं कि उक्त संशोधनों से लोक सभा की सहमति इस सभा को प्रेषित की जाये।

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक

राज्य सभा से संशोधनों सहित लौटाये गये रूप में सभा-पटल पर रखा गया

†**सचिव** : मैं संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९५८ को, जिसे राज्य सभा ने संशोधनों सहित लौटा दिया है, सभा-पटल पर रखता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

आसाम रेलवे ट्रेडिंग कम्पनी द्वारा कर्मचारियों का अस्थायी रूप से काम से हटाया जाना

†**श्री मोहम्मद इलियास** (हावड़ा): नियम १९७ के अधीन मैं इस्पात, खान और इंधन मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस संबंध में एक वक्तव्य दें :—

"कोयले के आवण्टन के कम किये जाये के परिणामस्वरूप आसाम रेलवे ट्रेडिंग कम्पनी द्वारा ८०० कर्मचारियों का अस्थायी रूप से काम से हटाया जाना।"

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : जहां तक तथ्यों का पता लगाया जा सका है, ऐसा लगता है कि गत दो या तीन महीनों में खानों से कोयला निकालने में कमी हो जाने के कारण ८०० कर्मचारियों को अस्थायी रूप से काम से हटाये जाने के परिणामस्वरूप १५ दिसम्बर की प्रातः को आसाम रेलवे एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी, मारगरेटा की नामडुंग, लेडो तथा बारगोलाई की खानों के कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। इन खानों से मुख्यतया उत्तर पूर्वी सीमान्त रेलवे कोयला लिया करती है और ऐसा लगता है कि उस ने इन खानों से कोयले का आवण्टित कोटा नहीं लिया। गत एक महीने में इस रेलवे ने केवल १४,००० टन कोयला लिया जब कि सामान्य आवण्टन १८,००० टन का था। इस के परिणामस्वरूप इन खानों में कुछ कोयला इकट्ठा हो गया है। जब कोयला नियंत्रक को इस बात का पता लगा तो उस ने इन खानों के अतिरिक्त कोयले का आवण्टन उस क्षेत्र के चाय उद्योग को कर दिया। आशा है कि जनवरी १९५९ के बाद उत्तर पूर्वी सीमान्त रेलवे २०,००० टन मासिक कोयला लिया करेगी। इन परिस्थितियों में आसाम रेलवे एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी द्वारा कर्मचारियों को अस्थायी रूप से हटाने तथा कर्मचारियों द्वारा की गई हड़ताल का कोई औचित्य नहीं है। इस विषय के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी उपबन्ध नहीं है पर नवीनतम जानकारी से पता लगता है कि १७ दिसम्बर, १९५८ को हड़ताल समाप्त हो गई थी।

अनुपस्थिति की अनुमति

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा को बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति ने अपने ग्यारहवें प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि निम्नलिखित सदस्यों को प्रतिवेदन में उल्लिखित अवधि के लिये अनुपस्थिति की अनुमति दी जाये :—

श्री तेवर

श्री पोकर साहेब

श्री सु० चं० चौधरी

श्री वि० चं० सेठ

श्री भंजदेव, और

श्री जे

मैं समझता हूं कि सभा समिति की सिफारिशों से सहमत है।

---

†मूल अंग्रेजी में

तारांकित प्रश्न संख्या ५६३ के उत्तर की शुद्धि

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : मैं ४ दिसम्बर, १९५८ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ५६३ के उत्तर को शुद्ध करना चाहता हूं। इस प्रश्न के उत्तर में, कि क्या यह सच है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक उड्डयन के लिए पाकिस्तान को अंशदान के रूप में भारत ने जो बहुत बड़ी राशि दी थी वह पाकिस्तान पर बकाया है, मैं ने बताया था कि १५,६३५ डालर की राशि मिलने वाली है और अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक उड्डयन संगठन के महा मंत्री की मार्फत यह कार्यवाही की जा रही है। एक अनुपुरक प्रश्न के उत्तर में मैं ने यह बताया था कि पाकिस्तान १५,६३५ डालर का अपना अंश देने पर राजी हो गया है और प्रश्न सिर्फ यही रह जाता है कि इस बकाया राशि को वसूल करने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाना है। इस बीच अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक उड्डयन संगठन के हमारे प्रतिनिधि ने हमें सूचित किया है कि उक्त संस्था ने १६ दिसम्बर, १९५८ को पाकिस्तान से १५,६३५ डालर की राशि प्राप्त कर ली है। मुझे खेद है कि ४ दिसम्बर, १९५८ को जब मैं ने सभा को यह जानकारी दी थी, तो उसमें नवीनतम जानकारी नहीं दे सका था।

निवारण (संशोधन) विधेयक

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि अनर्हता निवारण अधिनियम, १९५३ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

सभा को स्मरण होगा कि यह अधिनियम इस वर्ष ३१ दिसम्बर को समाप्त हो रहा है। हमने इस को ३१ दिसम्बर तक इस आशा में बढ़ाया था कि इस समय तक संसद (अनर्हता निवारण) विधेयक, जिसे इस सभा ने पारित कर लिया है, राज्य सभा द्वारा भी पारति हो जायेगा, पर दुर्भाग्य से राज्य सभा ने उसमें २ संशोधन किये हैं अत : वह विधेयक वापस आ गया है जैसा कि सचिव ने अपने संदेश में बताया है।

अत : हमें इस अधिनियम का कार्यक्रम १ वर्ष के लिए और बढ़ा देना चाहिए। एक वर्ष का समय तो मसविदा बनाने में लग जायेगा क्योंकि ज्यों ही यह विधेयक पारित हो जायेगा यह अधिनियम समाप्त हो जायेगा। इस अधिनियम का कार्यक्रम बढ़ाना आवश्यक है क्योंकि यदि समय नहीं बढ़ाया जायेगा तो इस सभा तथा उस सभा के बहुत से सदस्य अनर्ह हो जायेंगे।

अत: मेरा निवेदन है कि हम इस विधेयक को शीघ्र से शीघ्र पारित कर दें।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (हिसार) : यह विधान हमने १९५३ में पारित किया था और तब से अब तक हम हर साल इसकी अवधि एक एक वर्ष करके बढ़ाते आ रहे हैं। यद्यपि संविधान में कहा गया है कि यह सभा अनेक पदों को अनर्हता से मुक्त कर सकेगी फिर भी इस प्रकार एक विधान की अवधि बढ़ा कर हम संविधान के उपबन्धों का उल्लंघन कर रहे है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

जहां तक इस विधेयक का संबंध है, यदि माननीय विधि मंत्री ने उस विधेयक को समय पर प्रस्तुत किया होता और वह समय पर पारित हो गया होता तो इस विधेयक को पारित करने की आवश्यकता ही न पड़ती अत : इसमें दोष किसका है ? सचिव ने अभी जो संदेश पढ़ा है उससे पता लगता है कि उस सभा ने उस विधेयक में कुछ ऐसे संशोधन किये हैं, जिनके द्वारा हमारे कुछ प्रयत्न बेकार हो गये हैं।

पिछली बार भी सभी सदस्यों को छः महीने के भीतर सभी लाभप्रद पदों से त्यागपत्र देने की राय दी गयी थी, जो कि मेरे विचार से अनुचित तथा अवैधानिक था। उसी समय मैंने कहा था कि एक विधेयक प्रस्तुत किया जाये और ६ महीने के भीतर एक विस्तृत विधेयक तैयार हो जाये। पर हमारे सुझाव को स्वीकार नहीं किया गया था।

अतः जिस ढंग से यह सारा काम किया गया है वह आपत्तिजनक है। अनुच्छेद १०२ द्वारा सभा को अधिकार है कि वह किसी भी पद को अनर्ह न घोषित करे। भूतपूर्व अध्यक्ष श्री मावलंकर तथा विधि मंत्री श्री विश्वास ने भी यही कहा था कि केवल विशेष मामलों में ही संसद इस अधिकार का प्रयोग करें। उसके बाद विधेयक प्रस्तुत किया गया था जिससे माननीय मंत्री ने कहा था कि केवल क्षतिपूर्ति भत्ते मात्र की बात थी। हम लोग उससे सहमत नहीं थे। फिर विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा गया था और उसने संविधान के उपबन्धों के अनुसार विधेयक को तैयार करके प्रस्तुत किया।

पर इस बात की अवहेलना की गयी है। माननीय मंत्री समझते हैं कि यदि इन समितियों में संसद सदस्य नहीं रखे जायेंगे तो देश का विकास नहीं होगा। मैं इस विचारधारा का सम्मान करता हूं पर मैं नहीं चाहता हूं कि संसद के सदस्य उन समितियों के सदस्य बनें जिनका सदस्य होना ठीक नहीं।

मेरा अनुरोध है कि यदि इस विधेयक को पारित न भी किया जाये तो कोई हानि नहीं होगी। एक समिति नियुक्त की जाये और वह सारी समितियों का परीक्षण तीन महीने में करले और जो माननीय सदस्य इस अधिनियम के अधीन आते हैं, वे तुरन्त त्याग पत्र दे दें। यदि हम इस विधान का कार्यकाल १ वर्ष के लिए बढ़ाते हैं तो ९ महीने तक कोई भी समिति नियुक्त की जायेगी और इस सभा में ऐसे सदस्य रहेंगे जिन्हें इस सभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। अतः एक वर्ष प्रतीक्षा करने की क्या आवश्यकता है ? मुझे आशा है कि आप तुरन्त ही यह समिति नियुक्त करवा देंगे।

अंत में, मेरा विचार है कि इस विधान का समय बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। माननीय मंत्री सदस्यों का कार्यकाल व्यर्थ ही बढ़ा रहे हैं। अतः इस विधेयक के कार्यकाल को कम से कम समय के लिये बढ़ाया जाये।

†**श्री रंगा** (तेनालि) : मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव की राय से सहमत नहीं हूं। जिन माननीय सदस्यों ने बोर्डों, निगमों तथा अन्य संस्थाओं में पिछले ७ वर्षों से काम किया है, यदि वे तीन या चार महीने और काम करेंगे उनमें, तो कोई आफत नहीं आ जायेगी। स्वयं ही माननीय मंत्री ने आश्वासन भी दिया है कि ज्यों ही वह अधिनियम पारित हो जायेगा यह अधिनियम समाप्त हो जायेगा। अत : यह आवश्यक नहीं कि हम मंत्रालय की सदभावना पर किसी प्रकार का अविश्वास करें।

---

†मूल अंग्रेजी में

आशा है कि अगले सत्र में वह विधेयक कार्यावलि की प्रथम या द्वितीय मद होगी और उसके पारित हो जाने के बाद यह विधेयक स्वत : समाप्त हो जायेगा । इन कारणों से मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव की बातों से सहमत नहीं हूं ।

मैं समझता हूं कि सभा इस विधेयक को पारित करके इस विधान का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाने से सहमत होगी ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** (मुकन्दपुरम्) : उस विधेयक के तृतीय वाचन के समय मैं ने माननीय मंत्री से निवेदन किया था कि चूंकि इस के संबंध में बहुत मतभेद हैं अतः विधेयक के उपबन्धों के संबंध में पुन : विचार किया जाये । इस सभा ने उस विधेयक को पारित कर दिया था और राज्य सभा ने उसमें कुछ संशोधन करके उसे वापस लौटा दिया है । अतः हमें उसके उपबन्धों पर पुन : विचार करने का पर्याप्त अवसर मिल गया है ।

मैं माननीय मंत्री को बता देना चाहता हूं कि यद्यपि राज्य सभा ने कुछ खतरनाक उपबन्धों का संशोधन कर दिया है फिर भी उस विधेयक में अभी बहुत से खतरनाक उपबन्ध हैं । अतः सभा अभी भी समय रहते इन खतरनाक उपबन्धों को ठीक करले ।

चूंकि मूल अधिनियम ३१ दिसम्बर को समाप्त हो रहा है और उस विधेयक में राज्य सभा ने संशोधन कर के उसे लौटा दिया है अतः इस विधेयक पर विचार करने की आवश्यकता पड़ी है । इस प्रकार सभा को एक बार पुन : उन उपबन्धों पर विचार करने का अवसर मिल जायेगा ।

हमारी सरकार को ब्रिटेन के अनुभव से भी लाभ उठाना चाहिए । १४ वर्षों बाद ब्रिटन में जो परिवर्तन हुये थे, उनको हमें ध्यान रखना चाहिये । अन्त में मेरा निवेदन है कि अगले सत्र में सरकार एक विधेयक प्रस्तुत करे जो इन सभी दोषों से मुक्त हो । और जो संविधान के अनुच्छेद १०२ की भावना के अनुरूप हो ।

चौ० रणबीर सिंह (रोहतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने साथी पंडित ठाकुर दास भार्गव के साथ सहमत होता अगर मैं यह मानता कि जो सदस्य कुछ कमेटियों में हैं वे वहां पर सिर्फ अपने जाती अगराज के लिये हैं । और मैं यह मानता कि यह अच्छा तरीका होगा कि वह इस्तीफा दें तो हम उन की मेम्बरी को बचाने के लिये कोई कानून पास न करना ही लेकिन मैं उनसे इस बात पर सहमत नहीं हूं । क्योंकि मैं मानता हूं कि वह उन कमेटियों में देश के हित के लिये हैं ।

दूसरा सवाल है समय की अवधि का कि आया दो तीन महीने या एक साल ज़रूरी है या नहीं । मैं समझता हूं कि एक साल बहुत ज़रूरी है और वह इस लिये हो सकता है कि जो सिफारिश की गई है और जिसे राज्य सभा ने पास किया है, यह सदन उस से सहमत न हो ।

अगर लोक सभा राज्य सभा के संशोधनों से सहमत न हुई तो हो सकता है कि ज्वाएंट सेशन बुलाना पड़ जाय या इसके लिये किसी एक कमेटी के बनाने की राय बन जाय । इसलिये इसकी लाइफ़ एक साल के लिये बढ़ाना बहुत ज़रूरी है । साल से कम में शायद काम न चले । इस पर विचार करने के लिये पहले जो सेलेक्ट कमेटी बनी उसने काफ़ी अर्से तक इस पर विचार किया, १३०० कमेटियों के बारे में विचार हुआ और उसने अपनी रिपोर्ट दी लेकिन इस सदन को या राज्य सभा को कमेटी की फ़ाइंडिंग्स सहमत नहीं करा सकी और इससे यह चीज़ साफ़ ज़ाहिर हो जाती है कि यह सावल किन्हीं खास सदस्यों की मेम्बरी को क़ायम रखने का नहीं बल्कि देश के अन्दर आज जो ढांचा चलता है उसको सही तरीक़े से चलाने का है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[चौ० रणवीर सिंह]

आप जानते हैं कि इस विषय में सदस्यों में पूर्ण मतैक्य नहीं है। दो क़िस्म के ख़यालात के सदस्य हैं। कुछ सदस्यों का तो यह मत है कि प्राइवेट सैक्टर के अन्दर भले ही उनका सहयोग हो और वे चेयरमैन अथवा डाइरेक्टर्स हों तो भी वे पार्लियामेंट के सदस्य बने रह सकें और डिस्क्वालिफ़ाईड न हों जब कि कुछ माननीय सदस्यों का ऐसा ख़याल है कि अगर उनके पास इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट का लाइसेंस भी हो तो भी उनको पार्लियामेंट का सदस्य नहीं रहना चाहिये। अब इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि सका पुराने अंग्रेज़ी राज के ढंग से मुक़ाबला नहीं किया जा सकता और आज के बदले हुए युग को हमें ध्यान में रख कर विचार करना होगा। पहले तो यह सब कारख़ाने वग़ैरह प्राइवेट सैक्टर में प्राइवेट सैक्टर वाले ही चलाते थे लेकिन अब वह हालत नहीं रही है और अब इस देश के अन्दर सरकार की बड़ी बड़ी कम्पनियां और कारख़ाने चला रही है, पबलिक सैक्टर काफ़ी बढ़ गया है और सरकार का जितना ख़र्चा ला एंड आर्डर के लिये होता है उससे कहीं ज्यादा रुपया डेवलपमेंट के लिये ख़र्च हो रहा है इसलिये यह देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि राष्ट्र का जो ख़र्चा होता है वह सही तरीक़े से ख़र्च हो और इसके लिये ज़रूरी है कि यह एक साल की मियाद बढ़ाई जाये क्योंकि हो सकता है कि राज्य सभा की सिफारिश से यह सदन् इत्तिफ़ाक न करे और फिर ज्वाएंट सेशन हो या कोई नया बिल या कोई दूसरी कमेटी बनाने की तजवीज़ आये।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि यदि इस विधान की अवधि एक वर्ष के लिये नहीं बढ़ाई जाती तो बहुत से माननीय सदस्यों को तुरन्त ही इस सभा से त्यागपत्र दे देना पड़ेगा। मेरा निवेदन है कि नये विधेयक में, जो राज्य सभा को भेजा गया था इस प्रकार का कोई भूतलक्षी उपबन्ध नहीं था। अतः इस विधेयक को पारित करने मात्र से ही माननीय सदस्यों को संरक्षण नहीं प्राप्त होगा अतः नये विधान में ऐसा भूतलक्षी खण्ड अवश्य रखा जाये।

†**श्री अ० कु० सेन** : पंडित ठाकुर दास भार्गव ने इस विधान के, जो इस समय चालू है, और उस विधेयक के, जो राज्य सभा से वापस आया है, सम्बन्ध में जो कुछ कहा है उसका उत्तर देना आवश्यक नहीं है। पर इस बात का उत्तर देना आवश्यक है कि उन्होंने हम पर यह आरोप लगाया है कि हम ने देरी कर दी है। सभा को पता है कि यह विधान ३१-८-५९ को समाप्त होने जा रहा था और उसके बहुत पूर्व वह विधेयक प्रस्तुत किया जा चुका था। उसके बाद उसे प्रवर समिति को सौंपा गया जहां ९ महीने का समय लग गया। उस बीच पंडित ठाकुर दास भार्गव ने स्वयं कहा था कि मूल अधिनियम की अवधि ६ महीने के लिये बढ़ा दी जाये। छः महीने बढ़ाने के बाद भी हम इस नये विधेयक को पारित नहीं कर पाये। वह यह नहीं चाहते कि उन माननीय सदस्यों को, जो विभिन्न समितियों में काम कर रहे हैं, अनर्ह कर दिया जाये।

श्री भरूचा द्वारा कही गयी बात के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक में एक उपबन्ध है जिसमें कहा गया है कि वर्तमान अधिनियम के अधीन जिन माननीय सदस्यों को युक्ति प्राप्त है उन्हें ६ महीने का समय और दिया जाता है। उन्हें ६ मास तक सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा। मैं समझता हूं कि इस विधेयक या उस विधेयक में कोई संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। अतः मेरा निवेदन है कि इस विधेयक को पारित किया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि अनर्हता निवारण अधिनियम, १९५३ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १ और २, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड १ और २ अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री अ० कु० सेन** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

विदेशी विनिमय विनियमन (संशोधन) विधेयक

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विदेशी विनिमय विनियमन अधिनियम, १९४७ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

यह संशोधन सरल सा ही है । इस से अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों की स्पष्ट परिभाषा ही की जानी है अत: कहीं पर कोई सन्देह नहीं होना चाहिये । विदेशी विनिमय विनियमन अधिनियम की धारा १३क सरकार को यह अधिकार देती है कि वह भारत से बाहर देय अधिसूचित प्रत्याभूति धारण करने वाले व्यक्ति को ऐसी प्रत्याभूति के भारत में किये जाने वाले भुगतान पर रोक लगा सके ।

इस धारा की भाषा सामान्य सी थी । वास्तव में यह शक्तियां सरकार को इस कारण चाहियें थीं ताकि वह १५ अगस्त, १९४७ से पूर्व जारी की गई प्रत्याभूतियों के स्थानान्तरण को विनियमित करे । इस अधिनियम की शक्तियों को इस सीमित प्रयोजन हेतु भी प्रयोग किया गया है कि प्रत्याभूतियों का स्थानान्तरण रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना न हो तथा भारत सरकार और सम्बद्ध सरकार के करार के अनुसार हो ।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए]

अत: सरकार की यही इच्छा है कि इसका प्रयोग १५ अगस्त, १९४७ से पूर्व जारी की गई प्रत्याभूतियों के विनियमन के लिये ही किया जाये । १९५७ के अधिनियम में यही बात पूर्णतया स्पष्ट न थी ।

अब निम्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मामले पर विचार किया गया है । विदेशी विनियोजकों द्वारा किसी भारतीय समवाय को दिया गया ऋण बन्धकों, ऋणपत्रों तथा ऋणपत्र स्टाक के रूप में हो सकता है अत: वह इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये प्रत्याभूति ही होगा । इस समय की विधि अनुसार, भारत (यद्यपि हमारी यह इच्छा नहीं है) यह कह सकता है कि भारत में इस प्रकार के किसी ऋण का भुगतान रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना न हो । विदेशी विनियोजक इस कानून के सीमित उद्देश्य को तो नहीं जान सकते किन्तु इस के शब्द सामान्य हैं अत: वह समझ

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री व० रा० भगत]

सकते हैं कि कि संभवतया भारत सरकार विदेशी नियोजकों को देय धन पर किसी प्रकार का अव्यक्त निषेध रखना चाहती है। ऐसी आशंका से विदेशी मुद्रा के विनियोजन में बाधा आ सकती है। इस संशोधन का अभिप्राय इसी सन्देह को दूर करना है। इस से सरकार सरकारी प्रत्याभूतियों के ऊपर ही रोकथाम लगा सकेगी जो कि १५ अगस्त १९४७ से पूर्व की हैं। मुझे आशा है कि सदस्य इस संशोधन की पूरी पूरी सहायता करेंगे तथा इसका समर्थन करेंगे। मैं यह संशोधन सभा के समर्थनार्थ आप महानुभावों के सन्मुख रखता हूं।

†**सभापति महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** (मुकदपुरम्) : माननीय मंत्री ने केवल उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण पढ़ा जो वैसे ही समझ में नहीं आता। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि संशोधन इस कारण प्रस्तुत किया जा रहा है कि विदेशी पूंजीपतियों के हृदयों में आशंकायें थीं इसी कारण उसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। हो सकता है यह आशंका माननीय वित्त मंत्री को अमरीका में विदित हुई हो। इस संशोधन में भारतीयों को तो कोई अभिरुचि नहीं। यह विदेशियों की शंकायें दूर करने के लिये ही किया जा रहा है। अतः हम इस विधेयक को सरल ही नहीं कह सकते। इसका वास्तविक उद्देश्य विदेशी लोगों को अधिक आश्वासन प्रदान करना है।

जहां तक रिजर्व बैंक का सम्बन्ध है उसे तो आज भी यह ज्ञान नहीं है कि हमारा कितना धन विदेशों में जा रहा है। अभी मैंने सरदार स्वर्ण सिंह से एक प्रश्न पूछा था कि तेल समवाय विदेशों में कितना धन भेज रहे हैं तो उन्होंने ठीक आंकड़े न दे सकने में असमर्थता प्रकट की थी। उस समय गृह मंत्री ने आश्वासन दिया था कि सारे प्रश्न पर विचार किया जायगा तथा यदि आवश्यकता हुई तो उस पर एक विधि भी बनाई जायगी। आज कोई नहीं जानता कि यह विदेशी समवाय कितना लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

हाल ही में भारत सरकार ने इन समवायों के लेखे देखने के लिये अपने लेखापाल भेजे किन्तु यह समवाय बड़ चालाक निकले इन्होंने अपने लेखापालन की विधि को ही बदल दिया। इन्होंने मशीनें लगायीं और लड़कियां उन मशीनों को चलाती हैं। आप जान ही नहीं सकते कि यह लोग क्या करते ह तथा क्या नहीं करते। आखिर जो आय व्यय का ब्यौरा वह देते हैं निदान उसे स्वीकार ही करना पड़ता ह। परिणाम यह है कि प्रति वर्ष इसी प्रकार के समवाय लाखों रुपयों को इधर उधर करते रहते हैं।

†**सभापति महोदय** : माननीय सदस्य विधेयक के विषय से बाहर जा रहे ह। प्रस्तुत विषय बड़ा ही सरल एवं सीमित है। ये बातें इससे सम्बद्ध नहीं हैं।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : यह मैं इस कारण कह रहा था कि विधेयक का उद्देश्य रिजर्व बैंक को थोड़ा और अधिकार देने का भी है। मेरी प्रार्थना है कि इस धारा के संशोधन से कोई भी उद्देश्य पूरा न होगा। सरकार को ऐसा सीमित संशोधन सभा के समक्ष लाना ही नहीं चाहिये था। इस संशोधन से कुछ भी प्राप्त न होगा क्योंकि वास्तविक खतरा तो कहीं और ही है।

†**सभापति महोदय** : किन्तु यह विधेयक सीमित ह। यहां सामान्य नियंत्रण की बातें करने का क्या लाभ है ? हमें इसकी व्याप्ति से बाहर नहीं जाना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : मुझे तो सी बात पर आपत्ति है कि यह विधेयक विदेशियों की आशंकायें दूर करने के लिये बनाया जा रहा है। वास्तविक आशंकायें तो हम भारतीयों के हृदयों में हैं। आज हमारी आवश्यकता यह थी कि हम विदेशियों के सन्देह दूर करें--क्योंकि उन्हें सन्देह तो करने का कोई आधार ही नहीं है।

†**श्री ब० रा० भगत** : माननीय सदस्य को ज्ञात होना चाहिये कि धन के भारत से बाहर जाने पर हमारा शत प्रतिशत नियंत्रण है।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : कल ही तो लौह इस्पात तथा ईंधन मंत्री ने बताया था कि उन्हें इन आंकड़ों का कोई ज्ञान नहीं है।

†**सभापति महोदय** : यह बातें इस विधेयक की व्याप्ति से बाहर हैं। विधेयक से संगत बात ही यहां कही जाये।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : यह विधेयक लाभहीन तथा प्रभावहीन है। इससे किसी भी प्रकार का कोई भी लाभ नहीं होगा। यदि सरकार कोई वास्तविक नियंत्रण करना चाहती थी तो कोई व्यापक कानून प्रस्तुत करती। यह विधेयक किसी कार्य को सिद्ध नहीं करता अतः इसका विरोध करते हैं।

जब सरकार इस प्रकार स्पष्टतया हो लाने लगी थी तो सरकार का हाथ व्यापक विधि लाने के लिये किसने पकड़ा था। विभिन्न सत्रों में इस प्रकार के प्रश्न उठते रहे हैं। और सरकार ने त्रुटियों को स्वतः स्वीकार किया है। इस विधेयक से तो कभी भी यह त्रुटियां दूर नहीं हो सकतीं।

यह मानी हुई बात है कि आज भारत सरकार का प्रतिभूतियों पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। यदि रिजर्व बैंक को अब यह शक्ति दी भी जाती है तब भी उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बस नियन्त्रण का अर्थ केवल यही है कि रिजर्व बैंक को थोड़ा शुल्क मिल जाया करेगा। इससे अधिक नियंत्रण तो उसका हो ही नहीं सकता। यदि सरकार वास्तविक नियंत्रण चाहती है तो उसकी परिभाषा सरकार को करनी होगी।

†**सभापति महोदय** : मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस समय हम सामान्य नियन्त्रण के इस पर चर्चा नहीं कर सकते। मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करता हूं कि वह विधेयक की व्याप्ति तक अपने भाषण को ही सीमित रखें।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : जब माननीय मंत्री यह कहते हैं कि विदेशी विनियोजकों को कुछ सन्देह है तो क्या हम यह नहीं कर सकते कि उनके सन्देह निराधार हैं। हमें यह अधिकार है कि हम देखें कि क्या उनके सन्देह वास्तविक भी हैं या नहीं। अतः यह संशोधन बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। इससे पता चलता है कि सरकार अत्यधिक भावुक बन कर समय असमय न देख कर विदेशियों को सन्तुष्ट करने में ही लगी रहती है। सरकार को भला इन बातों से क्या प्रयोजन होना चाहिये।

इस देश की सरकार ने विदेशी विनियोजकों को पूरी पूरी सहूलियतें दे रखी हैं। आशंकाओं वाली बातें भी समयज्ञ में नहीं आतीं। मेरा विचार है कि जब वित्त मंत्री अमेरिका गये थे तो वहां उन्हें कतिपय अभ्यावेदन दिये गये थे और यह संशोधन उन ही चीजों का परिणाम है।

जहां तक विदेशी समवायों का सम्बन्ध है वह तो देश से बाहर लाभ की मात्रा भेज ही रही हैं। सरकार इस अवस्था में भी लाभों की मात्रा के निर्गम को रोक नहीं सकती। वह इसके असमर्थ है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नारायणन् कुट्टि मेनन]

मैं इसके साथ ही अपना कर्तव्य समझता हूं कि बताऊं कि वास्तविक खतरे किधर हैं।

एक बहुत ही सिद्ध मामला है जिसकी जांच हो रही है। सरकार को भी उसके बारे में पूरा ज्ञान है। कुछ उद्योगपतियों ने विदेशी मुद्रा का अर्जन किया किन्तु कोई भी इसके आधीन कुछ नहीं कर सकता। रिजर्व बैंक को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी न थी। जब भारतीय उद्योगपति सरकार की आंखों में धूल झोंक कर ऐसा काम कर सकते हैं तब किसी को पता क्या है कि यहां क्या क्या होता है। अतः हमारे कानून में जो भयंकर त्रुटियां हैं वह इस प्रकार के साधारण से विधेयक से कभी दूर नहीं हो सकतीं। इस से केवल कुछ पंजीपतियों को सांत्वना मिल सकती है।

†श्री ईश्वर अय्यर (त्रिवेन्द्रम) : मैं अपने भाषण को विधेयक की व्याप्ति तक ही सीमित रखूंगा।

वर्तमान विधेयक का सम्बन्ध १५ अगस्त, १९४७ से पूर्व के ऋणों की प्रत्याभूतियों के विनियमन से है। पहले यह धारा सारी प्रत्याभूतियों पर लागू हो सकती थी क्योंकि धारा में प्रयुक्त शब्द सामान्य थे किन्तु इससे किन्हीं लोगों में भ्रान्तियां उत्पन्न हुईं अतः उन्हीं सन्देहों को दूर करने के लिये सरकार ने यह विधेयक हमारे समक्ष रखा है। मैं इन कारणों को समझ नहीं सका। यह नियन्त्रण सीमित प्रत्याभूतियों पर ही क्यों रखा जाये? यदि विदेशी लोग सन्देह करते हैं तो उसका आधार क्या है? हमें उन सन्देहों के आधार से अवगत नहीं कराया गया। सरकार को यह जानकारी कैसे हुई कि वह इसी कारण विनियोजन नहीं कर रहे हैं।

यदि यह नियन्त्रण हमने १९४७ से पहले की प्रत्याभूतियों पर ही लगाना है तो क्या कारण है कि इसे उसके बाद वाली प्रत्याभूतियों पर क्यों न लगाया जाय? यह नियुक्ति क्यों?

माननीय मन्त्री ने विदेशी विनियोजकों के सन्देह का आधार भी हम लोगों पर स्पष्ट नहीं किया वास्तव में रिजर्व बैंक को सम्पूर्ण अधिकार होने चाहियें ताकि उसे धन के संचालन की सारी अवस्थाओं का पूरा पूरा ज्ञान रहे। इस संशोधन की आवश्यकता तथा इसके लिये होने वाली शीघ्रता के कारणों को मैं तो समझा ही नहीं। यह विधेयक बेकार है।

†श्री आचार (मंगलौर) : श्रीमान्, बड़ी अजीब बात है कि विधेयक के इतने स्पष्ट उद्देश्य के बावजूद भी लोग इस पर विचित्र तरीके से आलोचना करते हैं। इतनी द्विविधा क्यों?

जहां तक विदेशी विनियोजकों के सन्देह का प्रश्न है यह तो धारा १३क से ही पूर्णतया स्पष्ट हो जाती है। इस धारा की भाषा भी सामान्य है। इसे पढ़ कर किसी के हृदय में भी आशंका उत्पन्न हो सकती है।

इस बात को कहने की आवश्यकता ही नहीं कि हमारे विकास के लिये विदेशी विनियोजन अत्यावश्यक है। कल ही मैंने चाय उद्योग के बारे में एक प्रश्न पूछा था जिसके उत्तर में सरकार ने कहा कि वह इस सम्बन्ध में जांच कर रही है। इन्हीं आशंकाओं के कारण तो विदेशी विनियोजक देश के बाहर जाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार की यह कार्यवाही स्पष्ट है कि वह विनियोजकों के सन्देह दूर करना चाहती है। यदि सन्देह ही दूर न होंगे तो यहां कौन विनियोजन करेगा। अतः विधि में कुछ स्पष्टीकरण करना आवश्यक ही है और इसलिये मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

†श्री ब० रा० भगत : श्रीमान् इस विधेयक के बारे में बहुत से आवश्यक वाद विवाद खड़े कर दिये गये हैं। कुछ सदस्यों ने इस सरल से विधेयक में राजनीतिक कारणों से कई अड़चनें उत्पन्न करने का प्रयास किया है। किन्तु मैं उन सब बातों के चक्कर में न पड़ कर कुछ सदस्यों द्वारा प्रकट की गई वास्तविक शंकाओं का समाधान करने का प्रयत्न करूंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री नारायणन् कुट्टि ने विदेशों में रुपया भेजने के सम्बन्ध में जो शंकाएं प्रकट की हैं वे सब व्यर्थ की शंकाएं हैं। इस समय रिजर्व बैंक का विदेशों को भेजे जाने वाले रुपये पर पूरा नियंत्रण है। उसे भेजी जाने वाली पूंजी की एक एक पाई का ज्ञान है। कोई भी व्यक्ति रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना एक भी पाई बाहर नहीं भेज सकता।

यह विधेयक विदेशी विनियोजकों को कोई नई प्रत्याभूति अथवा रियायतें नहीं देता। यह केवल चालू प्रथा का स्पष्टीकरण करता है। इसमें प्रतिभूति शब्द की अधिक स्पष्टता से परिभाषा की गई है। यह परिभाषा हमने एक अधिसूचना में दी थी जिसका उल्लेख मैंने अपने १९ अक्तूबर, १९५७ के भाषण में किया था।

विदेशी विनियोजकों को यह आपत्ति रहती थी कि वह जब कभी भी कोई संविदा करते हैं तब उनके वकीलों को केवल इस अधिनियम का ही ध्यान रहता है। उनको सरकार द्वारा निकाली गई विभिन्न अधिसूचनाओं की पूरी जानकारी नहीं रहती। इसलिये उन्होंने अनौपचारिक रूप से यह सुझाव दिया था कि 'प्रतिभूति' की सही परिभाषा को मूल अधिनियम में समाविष्ट कर दिया जाये। अब हम इस सुझाव को कार्यान्वित कर रहे हैं।

श्री मेनन ने यह प्रश्न उठाया है कि यह विधेयक केवल १९४७ से पूर्व की प्रतिभूतियों पर ही क्यों लागू किया जा रहा है? इसका यह उत्तर है कि १९४७ के बाद की सभी प्रतिभूतियों का भुगतान भारत में ही होगा। इसलिये इस विधेयक में केवल उन्हीं प्रतिभूतियों का ध्यान रखा गया है जिनका भारत के बाहर भुगतान होना है। हम चाहते हैं कि उन प्रतिभूतियों को बदल कर उनका भारत में ही भुगतान करने का कोई तरीका निकाला जा सके। इसलिये हम उन पर नियंत्रण रखना चाहते हैं। इस तरह बाद की प्रतिभूतियों का प्रश्न ही नहीं उठता। इस विधेयक का केवल एक ही उद्देश्य है कि अधिसूचना में दी गई प्रतिभूति की परिभाषा को विधेयक में समाविष्ट किया जा सके। इसके अतिरिक्त हम इस विधेयक के द्वारा कोई नई रियायतें वगैरह नहीं देना चाहते।

†**श्री प्रभात कार** (हुगली): मैं केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या आज तक कोई ऐसा मामला हुआ है कि जिसमें किसी विनियोजक ने यह कहा हो कि क्योंकि यह धारा बहुत सामान्य शब्दों में लिखी गई है इसलिये सन्देह के कारण वह विनियोजन नहीं कर सका है अथवा सरकार को केवल शंका है कि उनके मन में ऐसा सन्देह पैदा हो सकता है। माननीय मंत्री ने कोई उदाहरण नहीं बताये कि वह किन कठिनाइयों के कारण यह संशोधन करना चाहते हैं। यदि वह हमें कुछ उदाहरण बता देते तो हमें इस का उद्देश्य सही सही पता चल जाता।

†**श्री ब० रा० भगत**: यह एक सामान्य बुद्धि का सरल सा मामला है। अधिनियम में एक शब्द आया है 'प्रतिभूति' उसके विषय में अधिसूचना में यह कहा गया है कि यह परिभाषा, जैसे कि यह लोक ऋण अधिनियम में दी हुई है। १५ अगस्त, १९४७ से पहले दिये गये ऋणों पर लागू होगी। किन्तु यह बात संसार के सभी विनियोजकों को नहीं विदित है। इसलिये स्वभाविक है वे करार करते समय इसकी पूछ ताछ करते हैं। इस असुविधा को दूर करने के लिये इस 'परिभाषा' को अधिनियम में सम्मिलित करने के लिये यह विधेयक रखा गया है। इसमें उद्धरण देने की कोई बात नहीं है। हम अनुभव कर रहे थे कि विनियोजकों के मत में इस धारा से सन्देह उत्पन्न हो रहे हैं इसलिये हमने यह स्पष्टीकरण कर दिया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विदेशी विनिमय विनियमन अधिनियम, १९४७ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†सभापति महोदय : इस पर कोई संशोधन नहीं है ।

प्रश्न यह है :

"कि खंड १ व २, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड १ व २, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†श्री ब० रा० भगत : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

†सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

लागत तथा निर्माण लेखापाल विधेयक

संयुक्त समिति को सौंपने के लिये राज्य-सभा से सहमत होने का प्रस्ताव

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा की १० दिसम्बर, १९५८ की बैठक में स्वीकृत तथा इस सभा को १२ दिसम्बर, १९५८ को संसूचित प्रस्ताव में की गई इस सिफारिश से सहमत है कि यह सभा तथा लागत निर्माण लेखापाल विधेयक, १९५८ सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संकल्प करती है कि उक्त संयुक्त समिति में काम करने के लिये लोक-सभा के निम्नलिखित सदस्य नाम-निर्देशित किये जायें, अर्थात्, श्री नि० चं० लाश्कर, श्री ई० मधुसूदन राव, श्री भोली सरदार श्रीमती जयाबेन शाह, श्री राधे लाल व्यास, श्री नरसिंहन्, श्री अगाड़ी, श्री स० चं० सामन्त, लाला अचिन्त राम, श्री मुरारका, स्वामी रामानन्द शास्त्री, श्री पद्म देव, श्री सुन्दर लाल, श्री प्रभात कार, श्री राजेन्द्र सिंह, श्री जयपाल सिंह, श्री क० ड० परमार, पंडित ब्रज नारायण 'ब्रजेश', प्रस्तावक तथा श्री लाल बहादुर शास्त्री ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

श्रीमान् मैं इस सभा को राज्य सभा का उक्त प्रस्ताव स्वीकार करने का निवेदन करता हूं। इस विधेयक में लागत तथा निर्माण लेखापालों का एक इंस्टीच्यूट बनाने का उपबन्ध किया गया है। यह इंस्टीच्यूट लागत लेखापालों के व्यवसाय का विनियमन करने के लिये बनाने का विचार है। प्रत्येक व्यक्ति इस बात को सामान्य रूप से स्वीकार करता है कि लागत लेखापरीक्षण की उचित पद्धति के बिना सरकारी क्षेत्र में उद्योगों का विकास होना बड़ा कठिन है तथा उसको प्रतिस्पर्धा के आधार पर काम करने के योग्य बनाना बड़ा कठिन है।

प्रशुल्क आयोग ने भी संरक्षण प्राप्त उद्योगों के लिये लागत लेखा तैयार करने के प्रश्न पर बड़ा बल दिया है। इससे एक तो उत्पादित वस्तुओं के उचित मूल्य का निर्धारण सरल हो जाता है और दूसरे किसी उद्योग में समय-समय पर होने वाली प्रगति का ज्ञान होता रहता है।

प्राक्कलन समिति ने भी प्रशासकीय, वित्तीय तथा अन्य सुधारों संबंधी अपनी ९वीं रिपोर्ट में लागत तथा निर्माण लेखापालों का इंस्टीच्यूट बनाने की सिफारिश की है और यह कहा है कि विभिन्न उद्योगों की लेखापद्धति को अद्यतन बनाने के लिये इस व्यवसाय में अधिक से अधिक लोगों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये। राष्ट्रीयकृत उद्योगों के प्रबन्ध तथा प्रशासन संबंधी १९५४-५५ की रिपोर्ट में भी इस समिति ने इस प्रकार के इंस्टीच्यूट बनाने के लिये शीघ्रता करने के लिये कहा था। समिति का यह कहना था कि लागत लेखा के बिना व्यय तथा कार्य संचालन पर नियन्त्रण रखना कठिन है।

लोक-लेखा समिति ने भी समय-समय पर सरकारी उद्योगों में आधुनिक ढंग से लागत लेखे रखने पर बल दिया है।

योजना के इस युग में जब कि हमारे उद्योगों की इतनी तेज़ गति से प्रगति हो रही है लागत लेखापद्धति को ठीक करने की और भी आवश्यकता बढ़ गई है। उत्पादन तथा नियोजन के प्रश्नों को हम केवल जोड़ लगा कर अथवा घटा कर नहीं हल कर सकते। हमें प्रत्येक उद्योग में प्रति वस्तु का उत्पादन व्यय देखना पड़ता है, वस्तुओं के गुण दोष देखने पड़ते हैं प्रत्येक मज़दूर की कार्यक्षमता देखनी पड़ती है। इन समस्यायों का हम केवल सुचारु एवं कुशल प्रबन्ध व्यवस्था द्वारा ही हल कर सकते हैं। इसके लिये चतुर प्रविधिक मार्ग दर्शन की बड़ी आवश्यकता है। हमें उद्योगों के विभिन्न एककों में एक सन्तुलन स्थापित करना है और यह तभी सम्भव हो सकता है जब हमें भली भांति मालूम हो कि हमें कब कितना व्यय करना है और कैसे व्यय करना है। हमें श्रम तथा वस्तुओं प्रत्येक का पूरा-पूरा तथा अधिकतम लाभ उठाना सीखना है। इस प्रकार के कुशल औद्योगिक प्रबन्ध में लागत लेखापालन का एक विशेष तथा महत्वपूर्ण स्थान है। इस समय लागत लेखा तैयार करने व इसको प्रकाशित करने के बारे में देश में कोई विधि नहीं है। सामान्य लेखा पालन को चलते हुए ४० वर्ष हो गये हैं। समवाय विधियों से उसके विनियमन में बड़ी सहायता मिली है। किन्तु उसकी अपेक्षा लागत लेखा पालन पद्धति अभी नई चीज है। इसके विकास के लिये हमें काफ़ी संख्या में अर्हता प्राप्त लेखापाल तैयार करने पड़ेंगे। तभी हम गैर-सरकारी तथा सरकारी दोनों क्षेत्रों के कुशलतापूर्वक उद्योगों के संगठन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं।

सरकार इस विषय में काफ़ी देर से एक विधि तैयार करने के प्रश्न पर विचार करती रही है। १९५६ में इसके लिये एक विधेयक का प्रारूप भी तैयार किया गया था। किन्तु क्योंकि इस पर इस व्यवसाय के विशेषज्ञों, जैसे कलकत्ता स्थित लागत तथा निर्माण लेखापाल इंस्टीच्यूट, विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों, क्योंकि यह विषय संविधान की तृतीय सूची में है, को विचार करना था

[श्री सतीश चन्द्र]

इस लिये इस को लाने में इतना समय लग गया है। आज हम ने संसद् के सामने यह संकल्प रखा है। जब तक इस संबंध में आवश्यक विधान नहीं तैयार हो जाता तथा एतत् संबंधी कोई परिनियत संस्था नहीं बन जाती जो कि इस व्यवसाय के लिये आवश्यक स्तर के लेखापाल तैयार कर सके तथा इस व्यवसाय के लोगों के लिये अनुशासन तथा व्यवसाय संहिता बना सके तब तक के लिये सरकार ने कलकत्ता स्थित इंस्टीच्यूट को नवम्बर १९५६ से इस व्यवसाय का नियन्त्रण रखने की स्वीकृति दे रखी है।

लागत लेखापालन सामान्य लेखापालन अथवा वित्तीय लेखापालन से एक सर्वथा भिन्न वस्तु है। इसमें अनेक विषय हैं। लेखापालन के अतिरिक्त इसमें कारखानों के प्रबन्ध तथा संगठन व इंजीनियरिंग विधाओं का भी अध्ययन कराया जाता है। लागत लेखापाल को वस्तुओं के मूल्य निर्धारण, उनके बारे में रुपयों के उत्पादन अथवा प्रमाणित ब्यौरे तैयार करना तथा सभी प्रकार के तथ्यों संबंधी आंकड़ों का संकलन करना पड़ता है। वह बताता है कि उत्पादन में कहां-कहां पर मितव्ययता की जा सकती है तथा प्रत्येक स्तर पर उद्योग की कुशलता व प्रगति का हिसाब लगता रहता है। बड़े-बड़े कारखानों में वह यह बताता है कि कहां पर अधिक मज़दूर व कर्मचारी लगे हैं, प्रत्येक मशीन की कितनी सामर्थ्य है, कहां-कहां पर अपव्यय हो रहा है, प्रत्येक स्टॉक, लेबर व मशीन की क्या स्थिति है। प्रत्येक विधान में ठीक ढंग से हिसाब रखने से अपव्यय पर बड़ा नियन्त्रण रहता है तथा कच्ची वस्तुओं में व अर्धनिर्मित वस्तुओं का पूरा उपयोग करने में बड़ी सहायता मिलती है। इस प्रकार से किसी भी विधी की सब त्रुटियों की जानकारी होती रहती है। लागत लेखापाल की उद्योग की आन्तरिक अर्थव्यवस्था से बड़ा घनिष्ठ संबंध होता है और वह उद्योग को अपटू-डेट बनाने में बड़ी सहायता देता है।

इसके विपरीत चार्टर्ड एकाउन्टेंट को वित्तीय लेखे तथा समवाय अधिनियम के अनुसार तत्सम्बन्धी आवश्यक विवरण तैयार करने पड़ते हैं तथा उन्हें प्रमाणित करना पड़ता है और व्यवसाय के लिये धन जुटाने के बारे में कतिपय सिद्धान्तों का प्रतिपादन करना पड़ता है। उसका कार्य अधिकतर उद्योग के कार्यों का मूल्यांकन करना होता है तथा उसका कार्यक्षेत्र लागत लेखापाल से सर्वथा भिन्न है।

इन बातों का ध्यान रखते हुए यह उचित समझा गया है कि लागत लेखापालों तथा चार्टर्ड लेखापालों के व्यवसाय का नियन्त्रण तथा विनियमन ही विभिन्न संस्थाओं को सौंपा जाना चाहिये। दोनों के लिये एक ही संस्था सम्भालना बड़ा कठिन है क्योंकि इस व्यवसाय में असंख्य व्यक्ति काम कर रहे हैं। एक संस्था के लिये इतने व्यक्तियों को अनुशासन में रख सकना बड़ा कठिन काम है। इसलिये कलकत्ता का वर्तमान इंस्टीट्यूट को दोनों काम सम्भालना बड़ा मुश्किल है। विभिन्न देशों के अनुभवों से भी यही विहित होता है कि दोनों प्रकार के लेखापालों के लिये पथक-पथक संस्थाएं बनाना ही श्रेयस्कर है।

कलकत्ता का वर्तमान इंस्टीच्यूट १९४४ में एक बिना किसी लाभ के उद्देश्य से जनता की सेवा करने वाली एक प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी की शक्ल में चालू किया गया था। इसको सरकारी प्रत्याभूति पर चालू किया गया था। यह उस समय चालू किया गया था जबकि देश में विश्व युद्ध की सामग्री का लेखा जोखा रखने के लिये कुशल एवं अनुभवी व्यक्तियों की बड़ी कमी थी। अपने प्रारम्भिक दिनों में सरकार ने इसकी बड़ी सहायता भी की थी। युद्ध के प्रारम्भिक दिनों में तत्कालीन भारत सरकार ने अपने संभरण मंत्रालय में युद्ध सामग्री की कीमतें लगाने के लिये लेखापालों की एक परामर्शदाता संस्था

बना रखी थी । किन्तु क्योंकि इससे सरकार की आवश्यकता पूरी न हो सकी तथा ये लोग सन्तोषप्रद ढंग से काम नहीं कर सकते थे और उन दिनों देश में रजिस्टर्ड लेखापालों की काफी कमी थी इसलिये सरकार ने एक इंस्टीच्यूट खोलने का विचार किया जो कि इस व्यवसाय के लोगों का परीक्षण ले सके तथा कनिष्ठ सरकारी कर्मचारियों व विद्यार्थियों को उचित प्रशिक्षण दे सके । इस प्रकार सन् १९४४ में यह इंस्टीच्यूट प्रारम्भ हुआ ।

इस समय इंस्टीच्यूट के ३८८ व्यक्ति पूरी तौर से सदस्य हैं और ३६८ व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने इंस्टीच्यूट की परीक्षाएं तो पास की हैं किन्तु जिन्होंने अभी इसकी सदस्यता के लिये नहीं लिखा । इसके इलावा १६० व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने लन्दन के लागत तथा निर्माण लेखापाल इंस्टीच्यूट की भारत में परीक्षा पास की हुई है । इसके अतिरिक्त इस समय ८३०० ऐसे व्यक्ति हैं जो इस व्यवसाय की परीक्षाएं देने के लिये विभिन्न इंस्टीच्यूटों में पढ़ रहे हैं । इस इंस्टीच्यूट की जनवरी १९५९ की परीक्षा में लगभग ३६०० विद्यार्थियों के बैठने की आशा है । इस इंस्टीच्यूट की परीक्षाओं का पाठ्यक्रम लन्दन के इंस्टीच्यूट के समानान्तर बनाया गया था । किन्तु हाल ही में इसका पुनरीक्षण किया गया है और अब इसका उससे भी ऊंचा स्तर हो गया है ।

इस देश में और कोई संस्था इस प्रकार का प्रशिक्षण नहीं देती और न ही कोई ऐसी परीक्षाएं लेती है । इसलिये यदि हम इस विधेयक में निर्दिष्ट संस्था बनाना चाहते हैं तो वह केवल इसी वर्तमान संस्था के इर्द-गिर्द इसी माडल को आधार मान कर ही बनाई जा सकती है ।

प्राय: ऐसी शिकायतें मिली हैं कि इस इंस्टीच्यूट की परीक्षाओं में बहुत कम विद्यार्थी पास होते हैं तथा विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिये बहुत कम सुविधायें हैं । इस विधेयक के पारित होने के बाद तथा परिनियत संस्था की स्थापना के बाद सरकार इन शिकायतों को दूर करने का प्रयास करना चाहती है । यह विधेयक १९४९ के चार्टर्ड एकाउन्टेंट अधिनियम के अनुसार ही बनाया गया है । इसमें केवल यत्र-तत्र आवश्यक परिवर्तन मात्र किये गये हैं । क्योंकि इस अधिनियम में मुख्यतया इस इंस्टीच्यूट के संगठन तथा कार्यों का उल्लेख किया गया है अत: इन दोनों संस्थाओं में अधिक अन्तर नहीं दिखाई देता । वर्तमान विधेयक में उन सभी प्रस्तावित संशोधनों का भी ध्यान रखा गया है जिनके बारे में चार्टर्ड एकाउन्टेंट संशोधन, विधेयक, १९५८ में चर्चा की गई है तथा जिस पर यह सभा अगले सत्र में विचार करने जा रही है ।

दूसरे सदन में इस विधेयक में कुछ परिवर्तन किये गये हैं । सम्भव है इस सभा में भी इसमें कुछ परिवर्तन हों । और मुझे आशा है संयुक्त समिति यह परिवर्तन करने के लिये सहमत होगी । इस विधेयक में प्रधानतया लागत तथा निर्माण लेखापालों का एक इंस्टीच्यूट बनाने का उपबन्ध किया गया है । इसके दो प्रकार के सदस्य होंगे । एक 'एसोसियेट्स' तथा दूसरे 'फेलोस', इस का प्रबन्ध एक परिषद् करेगी । यह परिषद् सदस्यों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों, सरकार द्वारा मनोनीत व्यक्तियों, तथा रीजनल आधार पर चुने गये प्रतिनिधियों से मिल कर बनेगी । यह परिषद् ही इस विधेयक में विहित सभी शक्तियों का प्रयोग करेगी । यह एक स्वायत्तशासी परिषद् होगी । केवल कुछ ही विषयों में, जिनका केन्द्रीय सरकार समय समय पर व्यवसाय के हित की दृष्टि से निश्चय करेगी, यह परिषद् केन्द्रीय सरकार के अधीन होगी । इस विधेयक में इस परिषद तथा सरकार दोनों को परस्पर मान्यता के आधार पर उन देशों की उपाधियों को मान्यता प्रदान करने का अधिकार होगा जो कि भारत में वैसी ही उपाधियों को अपने यहां मान्यता देंगे । यह मान्यता इस बात को ध्यान में रख कर दी जायेगी कि व्यवसाय की प्रतिष्ठा और गरिमा में कोई अन्तर न आये और न ही इसका लोकहित में कोई बुरा प्रभाव पड़े ।

[श्री सतीश चन्द्र]

इस परिषद् की सहायता के लिये प्रादेशिक निकाय बनाये जायेंगे, ये निकाय परिषद् के अधीक्षण, नियन्त्रण तथा निर्देशक के अनुसार इसके अधीन कार्य करेंगे। यह निकाय उसी तरीके से कलकत्ता इंस्टीच्यूट के वर्तमान सदस्यों को अपना सदस्य बना लेगा जैसे कि १९४९ में चार्टर्ड एकाउन्टेंट अधिनियम के पास होने पर उस समय के चार्टर्ड एकाउंटेंटों को चार्टर्डएकाउंटेंट इंस्टीच्यूट का सदस्य बना लिया गया था। इसमें कलकत्ता के वर्तमान इंस्टीच्यूट को बन्द करके उसकी सभी आस्तियों एवं प्रभारों के हस्तान्तरण का विधान भी किया गया है। वर्तमान इंस्टीच्यूट के सभी कर्मचारियों के सेवायें नये इंस्टीच्यूट में बदल दी जायेंगी। नया इंस्टीच्यूट बहुधा आत्म निर्भर होगा। केन्द्रीय सरकार केवल विशेष विकास योजनाओं के लिये ही इसे समय-समय पर आवश्यक सहायता देगी।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह व्यवसाय एक नया व्यवसाय है तथा इस प्रकार का इंस्टीच्यूट देश में पहली बार बनाया जा रहा है दूसरे सदन के सदस्यों ने यह सुझाव दिया था कि हमें इस विधेयक को पारित करने से पहले इंस्टीच्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स द्वारा प्राप्त अनुभव पर भी विचार कर लेना चाहिये। इन सब बातों को देखते हुए सरकार ने इस विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने का सुझाव स्वीकार कर लिया है।

श्रीमान्, मुझे आशा है कि यह सभा राज्य सभा की इस सिफारिश को स्वीकार करेगी।

†**सभापति महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री बारियार** (त्रिचूर): मैं इस लागत तथा निर्माण लेखापाल विधेयक का स्वागत करता हूं। श्री च० रा० नरसिंहन् ने पहले इसी प्रकार का एक संकल्प रखा था, लेकिन सरकार ने उस समय इसे उचित नहीं समझा। बड़ी खुशी की बात है कि सरकार अब ऐसा विधान पास करना उचित समझती है।

यह विधान अपने आप में पूर्ण या व्यापक नहीं है। माननीय मन्त्री ने कहा है कि लागत लेखा तैयार करना सामान्य लेखा तैयार करने से भिन्न होता है। जहां तक मेरा ख्याल है लागत लेखा रखना सामान्य लेखा रखने के कार्य का एक विस्तार ही है। इसलिये इसमें इस आशंका की कोई गुंजाइश नहीं है कि यह कोई बहुत पेचीदा और मुश्किल सी चीज होगी।

पाश्चात्य देशों में लागत लेखा रखने के कार्य में बहुत सुधार हो चुका है। इंग्लैण्ड में लागत लेखापाल प्रतिष्ठान की स्थापना १९१९ में हुई थी।

माननीय मंत्री का कहना है कि लागत लेखा तैयार करने का काम ज्यादातर सरकारी क्षेत्र तक ही सीमित रहेगा। मैं इससे सहमत नहीं हूं, निजी क्षेत्र में भी यह एक बहुत महत्वपूर्ण योग दे सकता है। क्योंकि निजी क्षेत्र में जो अपव्यय होता है वह हमेशा स्वाभाविक ही नहीं होता। उद्योगपति अपने मुनाफों को छिपाने के लिये भी बनावटी ढंग से अपने लेखों में अपव्यय दिखाते हैं।

मजदूर आन्दोलन के अपने अनुभव से, मैं कह सकता हूं कि आधुनिक उद्योगों में अपव्यय को एक मुनाफे का साधन ही माना जाता है, हानि का नहीं। सूती कपड़ा उद्योग का मुझे काफी ज्ञान है और मैं जानता हूं कि वहां जान बूझ कर अपव्यय दिखाया जाता है।

हमारी अर्थ-व्यवस्था एक योजनापूर्ण अर्थ-व्यवस्था है। इससे जाहिर है कि उसमें कुछ नियन्त्रण भी होना चाहिये। अपव्यय को हर स्तर पर, निर्माण की हर अवस्था पर रोकना चाहिये। इसके लिये सामान्य लेखा पर्याप्त नहीं है, क्योंकि हानि और लाभ के लेखों से हमें उद्योगों की सही स्थिति का पता

नहीं चलता । मजदूर आन्दोलन में श्रम-विवादों का कारण यही है कि मजदूरों को उद्योग की सही स्थिति का पता नहीं चलता । वह जानते हैं कि हानि और लाभ के लेखे में झूठे आंकड़े दिखाये जा सकते हैं, और दिखाए जाते हैं । वे जानते हैं कि अपव्यय दिखा कर उद्योगपति अपने मुनाफे को छिपा लेते हैं । इसलिये यह जरूरी है कि उद्योगों के मौजूदा स्टाक का मूल्यांकन सही तरीके पर किया जाये ।

सामान्य लेखों में स्टाक का मूल्यांकन बाजार भाव पर किया जाता है, लेकिन बाजार भाव तो हर बाजार के अपने-अपने होते हैं। यदि उसमें १ आने का भी हेर फेर हो जाये तो उसका मतलब होता है कि कुल मिला कर पूरे स्टाक के मूल्य में लाखों रुपये का अन्तर पड़ जाता है और इस तरीके से अंश-धारियों और श्रामिकों दोनों को धोखे में रखा जा सकता है । मौजूदा आन्दोलन में यही समस्या हमारे सामने आती है ।

साधारण तौर पर, आम मजदूर अपने उद्योग के लाभ और हानि का एक मोटे तौर पर अन्दाजा लगा लेते हैं । यह सही है कि उनकी गणना एक मोटे तौर पर ही की जाती है । लेकिन होता यह है कि उद्योगपतियों द्वारा पेश किये गये लाभ और हानि के लेखों में और उनके अपने अनुमान में ज़मीन आस-मान का अन्तर रहता है । इसीलिये यह विवाद खड़े होते हैं । मजदूर असल में स्टाक के मूल्य की गणना नहीं कर पाते । यदि लागत लेखा रखने का कार्य किया भी जाये, तो वह केवल बड़े-बड़े उद्योगों पर ही लागू किया जा सकता है । क्योंकि छोटे पैमाने के उद्योगों में लागत रखने पर जितना व्यय होता है उसकी सामर्थ्य नहीं होती । अब लागत लेखा देशों के लिये बहुत आवश्यक हो गया है । इसलिये कि हमारे देश के उद्योग और निर्माण की प्रक्रिया अब काफी पेचीदा और विस्तृत होती जा रही है। इसलिये यह निश्चित करना बड़ा कठिन हो जाता है कि अपव्यय कहां हो रहा है । जरूरत यह है कि उत्पादन की हर अवस्था पर लागत लेखा रखा जाये । एक योजना तैयार कर के काम करने की दृष्टि से भी यह बहुत महत्वपूर्ण है, और इस दृष्टि से भी कि इसके कारण श्रम-विवादों में बहुत कमी हो जायेगी ।

आम तौर पर कहा जाता है कि मजदूर झगड़ालू होते हैं । मैं इसे नहीं मानता । मेरा अनुभव तो यह है कि मजदूर बड़ी समझदारी से, अपने उद्योग के हितों को देखते हुए चलते हैं । असल में उद्योगपति ही अपने मुनाफे पर पर्दा डालने के लिये लेखे में चालबाज़ियां किया करते हैं । अब इस विधेयक को लीजिये । माननीय मंत्री ने जो आंकड़े दिये हैं उनसे पता लगता है कि देश में लागत लेखे के योग्य विशे-षज्ञों की बड़ी कमी है । एक निजी प्रतिष्ठान को सरकार ने मान्यता दे रखी है । वह प्रतिष्ठान इसके लिये परीक्षाएं भी करवाता है, लेकिन लागत लेखा रखना एक बहुत ही विशेषज्ञता-प्राप्त विषय है । विदेशों में, खास तौर से इंगलण्ड और अमरीका में इस पर काफी रुपया खर्च किया जाता है । साथ ही उत्पादन की विधियां भी बहुत ही पेचीदा होती जा रही हैं । इसलिये सामान्य लेखे से इसका अभाव दूर नहीं किया जा सकता ।

हमारे अधिकृत लेखा-पाल भी लागत लेखा रखने का कार्य करते हैं । अधिकृत लेखापाल अब यह समझ रहे हैं कि इस विधेयक को पारित कर के सरकार उनकी रोजी छीन रही है । इस सम्बन्ध में, मैं संयुक्त समिति के सामने एक सुझाव रखना चाहता हूं कि यदि अधिकृत लेखापाल एक विशेष विषय में लागत लेखा रखने के विषय में परीक्षा पास कर लें, तो उन्हें भी लागत तथा निर्माण-लेखा-पाल प्रतिष्ठान का सदस्य बनने की अनुमति दे दी जाये । मेरा दूसरा सुझाव यह है कि इस प्रतिष्ठान को स्वायत्त प्रतिष्ठान बनाया जाये । अभी व्यवस्था यह है कि प्रतिष्ठान के २५ प्रतिशत सदस्य सरकार द्वारा नामज़द किये जाते हैं । और ७५ प्रतिशत सदस्य निर्वाचित होते हैं । सरकार द्वारा नामजद २५ प्रतिशत सदस्य अधिकतर दिल्ली के ही होते हैं, और वे पूरे प्रतिष्ठान पर हावी रहते हैं ।

†**श्री सतीश चन्द्र:** मैं माननीय सदस्य को सही सूचना दे दूं। अधिकृत लेखापाल परिषद् में २५ सदस्य होते हैं, जिसमें से ५ सरकार द्वारा नामज़द किये जाते हैं। वे नामज़द सदस्य सरकारी अधिकारी नहीं होते। उनमें से दो-एक ही सरकारी अधिकारी होते हैं। बाकी सदस्य वाणिज्य मण्डलों से लिये जाते हैं।

†**श्री वारियर** : २० में से ५ नानज़द सदस्य २५ प्रतिशत के बराबर ही होते हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि केवल २ सस्दय ही नामज़द किये जायें। निर्वाचित सदस्यों की संख्या नामज़द सदस्यों की संख्या की तिगुनी होनी चाहिये।

इस प्रतिष्ठान को स्वायत्त संस्था के रूप में रखना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसलिये मैं चहाता हूं कि माननीय मंत्री यह सशोधन मान लें कि सरकार तीन से अधिक सदस्य नामज़द नहीं करेगी।

इस परिषद् का कार्यकाल ३ वर्ष का है। मैं चाहता हूं कि इसका निर्वाचन प्रतिवर्ष हो। इसके सभापति और उपसभापति को यह मालूम रहना चाहिये, उन्हें हमेशा इस बात का ध्यान रहना चाहिये कि वे परिषद् के कार्यकाल भर अपने पद पर नहीं रहेंगे, और उनके कार्य का लेखा जोखा भी किया जायेगा। मैं समझता हूं कि खण्ड २१ में रूपभेद करना जरूरी है। क्योंकि उसमें अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की शक्ति केवल केन्द्रीय सरकार को ही दी गयी है।

†**श्री सतीश चन्द्र** : अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की शक्ति केन्द्रीय सरकार को नहीं, परिषद् को दी गयी है। केवल अपील केन्द्रीय सरकार से की जा सकती है। खण्ड २१ (३) के अन्तर्गत अनुशाशासनात्मक कार्यवाही करने की शक्ति परिषद् को ही प्रदान की गयी है।

†**श्री वारियर** : मुझे इसका खेद है, मैंने शायद उसे ठीक से नहीं समझ पाया।

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**]

संयुक्त समिति को अनुशासनात्मक कार्यवाही सम्बन्धी सारी प्रक्रिया पर फिर से विचार करना चाहिये।

मैं इस विधान का स्वागत करता हूं। हालांकि इसमें अभी काफी सुधार करने की गुंजाइश है।

लागत लेखा पालों के प्रशिक्षण का कार्य कलकत्ता प्रतिष्ठान के एकाधिकार में ही रहता है; लेकिन इन लोगों की आवश्यकताएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि इंटरमीजिएट परीक्षा में भी एक ऐसा विषय सम्मिलित किया जाना चाहिये।

हमें एक ऐसी संविहित व्यवस्था करनी चाहिये कि यदि एक निश्चित स्तर से अधिक विनियोजन किसी उद्योग में हो तो उसके लिये लागत लेखापाल रखना जरूरी होगा।

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् (कुम्मकोणम्) : इस विधेयक को पारित करके, हम देश में लागत लेखापालों के एक नये व्यवसाय को जन्म दे रहे हैं। अभी हमारे देश में अधिकृत लेखापाल हैं और समवाय अधिनियम के अन्तर्गत यह आवश्यक है कि सम्बन्धित व्यावसायिक संस्थाओं को अधिकृत लेखापालों से अपना लेखा परीक्षित करवाना पड़ता है। लागत लेखापालों के सम्बन्ध में अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। इसका मतलब यह है कि हम लागत लेखापालों के व्यवसायों को जन्म तो दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले उनके लिये काम पैदा नहीं कर रहे हैं। यह सही है कि प्रशुल्क

---

†मूल अंग्रेजी में

आयोग ने इसकी सिफारिश की है। मैं मानता हूं कि हमारे देश की मिश्रित अर्थ-व्यवस्था को देखते हुए लागत लेखा बहुत ही महत्वपूर्ण होता जायेगा। लेकिन इस सम्बन्ध में एक शिकायत यह है कि लागत लेखापालों और अधिकृत लेखापालों के दो अलग-अलग वर्ग बनाये जा रहे हैं। आशा है कि संयुक्त समिति ऐसी कोई व्यवस्था करेगी कि अधिकृत लेखापाल भी लागत लेखापाल बन सकेंगे। इसकी अनुमति दी जानी चाहिये। मेरा तो ख्याल है कि लागत लेखापालों का अलग से कोई वर्ग बनाना जरूरी नहीं है। इंग्लैण्ड और अमरीका में भी ऐसा कोई अलग वर्ग नहीं रखा गया है। भारत में ही लागत लेखापाल प्रतिष्ठान अलग से स्थापित करने की बात सोची जा रही है।

इसका परिणाम यह होगा कि अधिकृत लेखापाल और लागत लेखापालों में कुछ प्रति द्वंद्विता हो जायेगी। कुछ मामलों में यह भी हो सकता है कि अधिकृत लेखापालों और लागत लेखापालों में किसी एक लेखे के विषय में मतभेद हो जाये। इसका कोई समाधान इस व्यवस्था में नहीं मिलता। धारा १५ में, परिषद् के कृत्यों का उल्लेख किया गया है, लेकिन इस पूरे अधिनियम में यह कहीं भी नहीं बताया गया कि लागत लेखे का क्षेत्र क्या होगा, इसे वैधानिक तौर पर औद्योगिक उपक्रमों के लिये अनिवार्य बनाया जायेगा या नहीं।

इस विधेयक में लागत लेखा पालों की अर्हताओं के बारे में भी कुछ नहीं कहा गया। इसमें यह भी नहीं बताया गया कि वह स्थायी कर्मचारी होंगे या अस्थायी ; वे स्वतन्त्र व्यक्ति होंगे या सरकारी कर्मचारी।

श्री वारियर ने अनुशासनात्मक कार्यवाही से सम्बन्धित सरकार की शक्तियों का उल्लेख किया था। मैं नहीं समझता कि सरकार लागत लेखापालों के आचरण की देख रेख करने और उन्हें अनुशासन में रखने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेगी।

†**श्री सतीश चन्द्र** : वह सिर्फ पुनरीक्षण करेगी।

†**श्री च० रा० पट्टाभिरामन्** : लेकिन पुनरीक्षण का कार्य भी काफी अधिक होगा।

१९५८ के विधेयक ८ में जो संशोधन रखा जा रहा है, और जिसके जरिये अधिकृत लेखापाल अधिनियम का संशोधन किया जा रहा है, उसे देखते हुए मैं समझता हूं कि अब इस अवस्था पर यह कहने का समय नहीं रहा है कि लागत लेखा रखने का कार्य अधिकृत लेखापालों पर ही छोड़ दिया जाये। दोनों के कृत्यों में स्पष्ट रूप से विभाजन होना चाहिये। लेकिन इस विधेयक में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में अधिकृत लेखापालों को जो आशंकायें हो रही हैं, उनका समाधान करना मुश्किल है।

†**श्री नरसिंहन्** (कृष्णगिरि) : मुझे इस विधेयक के सम्बन्ध में कुछ शंकायें हैं। इस में कुछ त्रुटियां आ गयी हैं। एक बड़ी त्रुटि यह है कि इस प्रतिष्ठान पर सरकार के प्रतिनिधि हावी रहेंगे। यह लागत लेखा विधेयक अधिकृत लेखा विधेयक के ढंग का ही है। दोनों विधेयकों में त्रुटि यह है कि सरकार ने अपने हाथ में काफी अधिक शक्तियां रखी हैं। लेकिन होता यह है कि सरकार पहले तो प्रतिष्ठान की प्रारम्भिक अवस्था का बहाना बता कर काफी महत्वपूर्ण शक्तियां अपने हाथ में ले लेती है, लेकिन बाद में प्रतिष्ठान के विकसित होने पर भी वह उन शक्तियों को छोड़ती नहीं है। सरकार ज्यादा से ज्यादा शक्ति हथिया लेना चाहती है। इस प्रवृत्ति को रोका जाना चाहिये। कम से कम स्वायत्त निकायों की स्थापना करते समय हमें इस प्रवृत्ति को उभरने नहीं देना चाहिये। यदि सरकार

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नरसिंहन्]

अधिक शक्तियां अपने हाथ में रखना चाहती है, तो उसे अधिनियम के ठीक रूप से कार्यान्वित होने या न होने की जिम्मेदारी भी अपने ऊपर लेनी चाहिये। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या संयुक्त समिति में इस पर चर्चा करते समय कोई सदस्य ऐसा प्रस्ताव रख सकता है कि कुछ विषेष श्रेणियों के समवायों को अनिवार्य तौर पर लागत लेखापाल रखना चाहिये। मैं चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय इस पर अपना विनिर्णय दें। यदि इस में ऐसा कोई खण्ड सम्मिलित नहीं किया जाता, तो यह विधान अधूरा रह जायेगा। इस विधान का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। यदि हम लागत लेखापाल प्रतिष्ठान की स्थापना करते हैं, तो इसे लागत लेखापालों की नियुक्ति के लिये भी व्यवस्था कर देनी चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं इसके सम्बन्ध में अभी कोई विनिर्णय नहीं देना चाहता। इसलिये कि यह एक काल्पनिक मामला है। ऐसा कोई भी प्रस्ताव सभा के सामने नहीं है। इस प्रस्ताव की कल्पना कर ली गयी है। इसलिये सभा उस पर कोई विचार नहीं कर सकती। हां, यदि संयुक्त समिति ऐसी कोई विशेष व्यवस्था करती है, तो सभा बाद में उस पर विचार कर सकती है।

†**श्री बर्मन** (कूच बिहार––रक्षित––अनुसूचित जातियां) : माननीय सदस्यों ने लागत लेखापालों की उपयोगिता के बारे में संदेह प्रकट किया है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

उन्होंने कहा है कि अधिकृत लेखापालों और लागत लेखापालों में आपस में मतभेद भी हो सकता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता। भारत बहुत तेज़ी से औद्योगिक विकास कर रहा है और इसलिये लागत लेखापालों की बहुत जरूरत है। देश में लागत लेखापालों के एक ऐसे प्रतिष्ठान की आवश्यकता है जो कि कार्यक्षमता से लागत लेखापालों का प्रशिक्षण कर सके। जब तक हम किसी काम को शुरू नहीं करते तब तक हम उसकी उपयोगिता को पूरी तरह से नहीं समझ सकते।

लागत लेखापालों के न होने से होता यह है कि प्रशुल्क आयोग को उत्पादन की विभिन्न अवस्थाओं पर होने वाली लागत का कोई पता नहीं चलता। प्रशुल्क आयोग यह अनुमान नहीं लगा सकता कि उत्पादन में मितव्ययता की जा रही है या नहीं। वह यह भी निश्चित नहीं कर सकता कि उद्योगपति अनुचित मुनाफे कमा रहे हैं, या नहीं। लागत लेखापाल ही इस सम्बन्ध में सही स्थिति बता सकेंगे। तभी हमें पता चल सकेगा कि हमारा उद्योग समृद्ध हो रहा है या नहीं।

अधिकृत लेखापालों और लागत लेखापालों में कोई मतभेद नहीं हो सकता, इसलिये कि उनके क्षेत्र बिल्कुल विभिन्न हैं। लागत लेखापाल उत्पादन की लागत का निर्धारण करते हैं। अधिकृत लेखापालों का यह काम नहीं है।

निजी उद्योगों को अनिवार्य तौर पर लागत लेखापाल रखने ही पड़ेंगे। सरकार को विधि में ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी। अभी तक स्थिति यह है कि न तो सरकार, न प्रबन्धक और न अंशधारी ही यह जानते हैं कि उत्पादन का विकास सही दिशा में हो रहा है या नहीं। लागत लेखापाल द्वारा बताये गये विवरण को देखकर, बड़ी आसानी से यह निश्चय किया जा सकेगा कि यह विकास सही दिशा में हो रहा है या नहीं।

†**डा० मेलकोटे** (रायचूर) : मैं अपने पूर्व वक्ता से सहमत हूं। मैं सरकार के इस विधेयक का स्वागत करता हूं। सरकार का यह बहुत ही उचित प्रयास है। यह इसलिये जरूरी है कि उद्योगों

---

†मूल अंग्रेजी में

द्वारा प्रस्तुत किये गये लाभ-हानि के लेखे से हमें किसी भी उद्योग की सही स्थिति का और उस में की जाने वाली चालबाज़ियों का ठीक–ठीक पता नहीं चलता। हमें यह भी पता नहीं चलता कि फैक्टरियों के संचालन में ग़लती कहां हो रही है। किसी भी फैक्टरी की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसके लिये खरीदी जाने वाली सामग्री, श्रम और अन्य सेवाओं की लागत क्या है। इसके लिये जरूरी है कि लागत लेखापाल उसकी सही स्थिति हमारे सामने रख सकें। लागत लेखापाल का काम विशेषज्ञ का काम है, इसलिये इस काम के लिये विशेष तौर पर प्रशिक्षित व्यक्तियों की जरूरत है।

भारत इन उद्योगों पर काफी राशियां व्यय कर रहा है, लेकिन फिर भी हमारे यहां फैक्टरियां बन्द होती जा रही हैं। अधिकृत लेखापाल तो वर्ष समाप्त होने पर ही हानि-लाभ के लेखों की परीक्षा करते हैं। इसलिये हमें यह पता नहीं चलता कि उद्योगों की वर्तमान हालत क्या है। उद्योगपति कहने लगते हैं कि उन्हें लाभ नहीं हो रहा है और वे फैक्टरियां बन्द करना चाहते हैं। इन तमाम एकाधिकारी व्यावसायिक संस्थाओं की सहायता सरकार भी करती है, लेकिन बिना लागत लेखों के सरकार को उनकी सही स्थिति का पता नहीं चलता। उद्योग चाहे सरकारी हों, या निजी, उनकी सही स्थिति जानना हमारे लिये बहुत जरूरी है। इसलिये मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं, और आशा करता हूं कि सरकार इसके लिये प्रर्याप्त प्रविधिक व्यक्ति जुटायेगी।

†**श्री सतीश चन्द्र :** सभा के प्रत्येक पक्ष ने विधेयक के सिद्धान्तों और उद्देश्यों का समर्थन किया है। विरोधीपक्ष के तथा सरकारी पक्ष के सदस्यों ने भी इस विधेयक का समर्थन किया है यद्यपि उन्होंने कुछ उपबन्धों से मतभेद प्रगट किया है। विशेषत: उन उपबन्धों से जो प्रसाशनिक बातों से सम्बन्ध रखते हैं। श्री वारियर ने यह आपत्ति की है कि अधिकृत लेखापाल संस्था की परिषद् में नाम निर्देशित सदस्यों की संख्या बहुत अधिक है। पच्चीस व्यक्तियों की इस संस्था में केवल पांच व्यक्ति नाम निर्देशित हैं उन में से भी केवल दो या तीन सरकारी अधिकारी हैं अन्य सदस्य वाणिज्यिक संस्थाओं को प्रतिनिधित्व देने के प्रयोजन से सरकार द्वारा नाम निर्देशित किये गये हैं। अत: उक्त संस्था में सरकार को अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है।

लागत तथा निर्माण संस्था में इस समय यह अनुपात अधिक ज्ञात होता है। तथापि संस्था की वृद्धि के साथ साथ इसके सदस्यों की भी संख्या बढ़ेगी। यद्यपि इस समय परिषद् में संस्था के आठ प्रतिनिधि रखे गये हैं तथापि भविष्य में इन सदस्यों की संस्था में वृद्धि होगी। उनमें से सरकार द्वारा नाम निर्देशित चार सदस्यों में से सरकारी अधिकारी होने आवश्यक नहीं हैं।

जहां तक प्रशासनिक कार्यवाही करने सम्बन्धी सरकार के अधिकारों का सम्बन्ध है, यह अधिकार परिषद् की अनुशासन तथा कार्यकारिणी समिति को दिये गये हैं। अनुशासन समिति या परिषद् किसी भी सदस्य का नाम पंजी से हटा सकती है या केवल उसे चेतावनी देकर ही छोड़ सकती है उसे इस सम्बन्ध में पूरा अधिकार किया गया है। तथापि यह उपबन्ध भी किया गया है कि किसी व्यक्ति को दंड देने या उसका नाम पंजी से पांच वर्ष से भी अधिक समय के लिये हटाने के पूर्व परिषद् को ऐसा मामला सरकार को भेजना चाहिये। सरकार उक्त मामले का पुनरीक्षण करेगी। वस्तुत: ऐसे मामले पर पुन: विचार करना उचित भी है। वर्तमान लेखापाल अधिनियम में यह शक्ति केवल उच्च न्यायालय को ही प्रदान की गई है तथापि अनुभव से यह ज्ञात

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सतीश चन्द्र]

हुआ है कि इससे मामले में बहुत विलम्ब और परेशानी होती है जो कि व्यक्ति और इस व्यवसाय के हित में भी अच्छी नहीं है। अतः यह व्यवस्था की गई है कि सरकार ही उक्त मामलों का पुनरीक्षण करेगी। अधिकृत लेखापाल संस्था और इस संस्था में एक अंतर भी है। अधिकृत लेखापालों के सम्बन्ध में जिस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है, उस व्यक्ति की रोजी छिन जाती है। समवाय अधिनियम के अनुसार कम्पनियों के लिये लेखाओं का परीक्षण किसी अधिकृत लेखापाल से कराना अनिवार्य है और अधिकृत लेखापाल वही है जो उक्त संस्था का सदस्य हो। यदि उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जाती है तो वह अपनी जीविका का उपार्जन नहीं कर सकता है। तथापि जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने भी कहा है कि किसी सरकारी या गैर-सरकारी कम्पनी के लिये यह अनिवार्य नहीं है कि वह अपना लेखा परीक्षण लागत लेखापाल से ही करवाये। अतः अनुशासनिक कार्यवाही करने पर भी उसकी रोजी नहीं छिनेगी। अतः समवाय विधि प्रशासन विभाग में ज्येष्ठ पदाधिकारी इन मामलों का पुनरीक्षण करेंगे। इससे इस पेशे के सदस्यों को अधिक संरक्षण प्राप्त होता है।

कई सदस्यों ने यह सुझाव दिया है कि लागत तथा निर्माण लेखापरीक्षकों द्वारा अनिवार्य लेखापरीक्षण होना चाहिये। इस प्रश्न पर वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए विचार करना चाहिये। मैंने अभी अभी आपको यह बताया है कि देश में केवल ३०० से कुछ ही अधिक लागत और निर्माण लेखापालों ने अपने को संस्था के सदस्य के रूप में दर्ज करवाया है। लगभग १०० व्यक्ति और हैं जिन्होंने ब्रिटेन की लागत और निर्माण लेखापाल संस्था से यह परीक्षा पास की है। इसलिये उद्योगों के किसी वर्ग से भी यह कह सकना संभव नहीं है कि वह अपने लेखाओं को निर्माण तथा लागत लेखापालों से ही दिखवाये। लागत तथा निर्माण लेखापाल का कार्य भी अधिकृत लेखापाल का कार्य से बिल्कुल भिन्न है वह उसकी तरह वर्ष के अंत में हिसाब की परीक्षा करके यह नहीं देखता कि सारा व्यय कम्पनी के खातों के अनुसार ही हुआ है। लागत तथा निर्माण लेखापाल किसी विशेष कारखाने से संलग्न रहता है वह कच्चे माल की लागत का ध्यान रखता है और यह देखता है कि मशीन और श्रम का पूरी तरह उपयोग किया जा रहा है कि नही। वह यह देखता है कि कच्चे माल व मशीन और जनशक्ति के उपयोग में संतुलन रखा जा रहा है या नहीं। और कारखानों में किये जाने वाले सारे व्यय से जन शक्ति और कच्चे माल इत्यादि का पूरा पूरा लाभ मिल रहा है या नहीं। अतः हम ऐसी स्थिति में इसे अनिवार्य नहीं कर सकते हैं। भविष्य में इस प्रश्न पर पुनः विचार किया जा सकता है और पहिले पहल सरकारी क्षेत्र में इन्हें रखना अधिक लाभदायक सिद्ध होगा। गैर सरकारी क्षेत्र ने कई कारणों से अभी इसकी उपयोगिता को पूरी तरह से अनुभव नहीं किया है। यदि वे इस विषय पर अधिक व्यापक दृष्टि से विचार करेंगे तो उन्हें ज्ञात होगा कि यह तरीका उन के लिये ही लाभकारी है क्योंकि इससे वह अपनी स्थिति का सही सही अनुमान लगाने में समर्थ होंगे। वस्तुतः इस समय हमारे पास पर्याप्त लागत तथा निर्माण लेखापाल नहीं हैं।

वस्तुतः इस विधेयक में ऐसा उपबन्ध किया भी नहीं जा सकता है। समवाय अधिनियम में यह उपबन्ध किया गया है कि सभी समवाय अपने लेखाओं की परीक्षा अधिकृत लेखापालों द्वारा करायेंगे। इसी प्रकार प्रशुल्क अधिनियम में इस प्रकार का संशोधन करना आवश्यक हो सकता है कि सरकार द्वारा रक्षित उद्योगों के, जिनके लिये उपभोक्ता से अधिक कीमत देने को कहा जाता है, हिसाब की परीक्षा की जानी चाहिये। यह उपबन्ध प्रशुल्क अधिनियम में किया जाना चाहिये न कि लागत तथा निर्माण लेखापाल अधिनियम में। इस विधेयक का उद्देश्य इस व्यवसाय का

विनियमन करना, उनका संगठन करना, उसके प्रशिक्षण और उसके नियंत्रण के लिये व्यवस्था करना और उनके लिये व्यवहार संहिता बनाना तथा तत्सम्बन्धी अनुशासन के मामलों इत्यादि पर कार्यवाही करना है । निसंदेह लेखापरीक्षा की यह पद्धति महत्वपूर्ण है लेकिन इसे अनिवार्य रूप से लागू करना दूसरी बात है । वस्तुत : यह इस विधेयक के उपबन्धों के अन्तर्गत नहीं आ सकता है ।

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् ने यह कहा है कि व्यवस्था में इस प्रकार की गुंजाइश की जाय कि अधिकृत लेखापाल, लागत तथा निर्माण लेखापाल का काम और लागत तथा निर्माण लेखापाल, अधिकृत लेखापाल का कार्य कर सके । यदि वह इस संस्था का सदस्य होने की अर्हता रखता है तो वह दोनों काम कर सकता है । इस विधेयक में कोई ऐसा प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है । वस्तुत: दोनों कार्यों में पर्याप्त भिन्नता होने के कारण एक व्यक्ति दोनों कार्य करना पसन्द नहीं करेगा । वैज्ञानिक तथा टैक्नीक्ल दृष्टि से प्रगतिशील देशों में भी लोग एक ही विषय में विशेषज्ञता प्राप्त करते हैं । वस्तुत: इन दोनों के कार्यों में इतना ही अन्तर है जितना कि इस सभा की प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति के कार्य में अंतर होता है । लागत तथा निर्माण लेखापालों का यह कार्य है कि वह कारखाने का प्रतिदिन का कार्य देख कर यह पता लगायें कि क्या कारखाने में संतोषजनक प्रगति हो रही है । क्या विभिन्न लागतों में संतुलन है और इतना व्यय करने पर अंत में जो लागत आयेगी वह उचित होगी । इस प्रकार वह कारखाने के वर्तमान हिसाब किताब को देख रेख करता है जब कि अधिकृत लेखापाल का कार्य सारे हिसाब किताब की बाद में जांच करना है । अधिकृत लेखापाल को वित्तीय सौदे करने, हिसाब किताब रखने और रसीदें इत्यादि रखने की प्रणाली की अच्छी जानकारी होनी चाहिये परन्तु लागत तथा निर्माण लेखापाल को उत्पादन के तरीकों तथा उद्योग की व्यवस्था इत्यादि के सम्बन्ध में पर्याप्त जानकारी होनी चाहिये । इसलिये इन दोनों में बहुत अन्तर है । यदि एक अधिकृत लेखापाल लागत तथा निर्माण लेखापाल संस्था का सदस्य बन सकता है तो उसे यह कार्य करने में कोई प्रतिबन्ध नहीं है । संयुक्त समिति इन उपबन्धों में इच्छानुसार संशोधन कर सकती है तथापि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार एक व्यक्ति दोनों संस्थाओं का सदस्य बन सकता है ।

श्री नरसिंहन् ने पुरजोर शब्दों में इस संस्था को स्वायत्तशासी बनाने की सिफारिश की है । विधेयक के द्वारा भी इस संस्था को स्वायत्तशासी पद प्रदान किया गया है । केवल इस प्रकार की व्यवस्था रखने के कारण की अमुक परिस्थिति में सरकार निर्देश जारी कर सकती है वह सोचते हैं कि संस्था की स्वतंत्रता का अपहरण हुआ है और सरकार केवल अपने अहं की तुष्टि के लिये अधिक अधिकार रखना चाहती है । वह इस बात को अधिक निश्चय से नहीं कह सके हैं कि यह अधिक शक्ति कौन अपने लिये चाहता है । यदि वह इस विषय को सही दृष्टिकोण से देखें तो केवल यह तथ्य कि सरकार ने इस संस्था को संविहित मान्यता प्रदान करने की आवश्यकता समझी है और इसे स्वायत्तशासी दर्जा प्रदान किया है इस बात का पक्का प्रमाण है कि सरकार इस व्यवसाय की उचित उन्नति चाहती है । क्योंकि सरकार को व्यवसाय की वर्तमान स्थिति तथा प्रशिक्षण सुविधाओं व परीक्षा लेने के तरीकों से संतोष नहीं है इसीलिये सरकार ने वर्तमान संस्था की सहमति से यह विधेयक प्रस्तुत किया है । निसंदेह हमने यह विधेयक बनाते समय अधिकृत लेखापाल संस्था के अनुभव से लाभ उठाया है । राज्य सभा द्वारा पारित अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक जो कि अगले सत्र में इस सभा में विचारार्थ प्रस्तुत होगा हमने यही व्यवस्था की है । ऐसे अवसर भी आये हैं जब कि संस्था के सदस्य अपने मतभेद दूर नहीं कर सके और उन्होंने हमसे सहायता तथा पथ प्रदर्शन की मांग की है । अधिकृत लेखापाल अधिनियम के पिछले नौ वर्ष के अनुभव के फलस्वरूप यह व्यवस्था उक्त अधिनियम में लागू की जा रही है । इसलिये यह आवश्यक समझा गया कि सरकार इस

[श्री सतीश चन्द्र]

व्यवसाय के सम्बन्ध में भी जो कि अभी प्रारम्भ ही हो रहा है यह अधिकार अपने हाथों में रखे। वस्तुतः जब संसद् लागत तथा निर्माण लेखापाल संस्था को संविहित मान्यता दे रही है और सरकार उसके प्रशासन की सफलता और असफलता के लिये उत्तरदायी है तो कुछ शक्ति रक्षित रखना अधिक नहीं कहा जा सकता है। सरकार के पास ऐसी शक्ति होनी चाहिये कि आवश्यकता पड़ने पर, व्यवसाय के व्यापक हितों को ध्यान में रख कर वह ऐसे समय जब कि संस्था स्वयं कोई निर्णय न कर सके उचित कार्य करने में समर्थ हों।

मुझे इससे अधिक कुछ नहीं कहना है। मैं उन सदस्यों का कृतज्ञ हूं जिन्होंने इन उपबन्धों का स्वागत किया है। मैं आशा करता हूं कि संयुक्त समिति इस विषय पर विस्तार से विचार करेगी। यदि सदस्य इस विधेयक की व्यवस्था में सुधार करने के हेतु कुछ सुझाव देंगे तो सरकार तदनुसार विधेयक में संशोधन करेगी।

मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि वे इस प्रस्ताव का समर्थन करे।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य-सभा की १० दिसम्बर, १९५८ की बैठक में स्वीकृत तथा इस सभा को १२ दिसम्बर, १९५८ को संसूचित प्रस्ताव में की गई इस सिफारिश से सहमत है कि यह सभा लागत तथा निर्माण लेखापाल विधेयक, १९५८ सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संकल्प करती है कि उक्त संयुक्त समिति में काम करने के लिये लोक-सभा के निम्नलिखित सदस्य नाम-निर्देशित किये जायें, अर्थात्, श्री नि० चं० लाश्कर, श्री ई० मधुसूदन राव, श्री भोली सरदार, श्रीमती जयाबेन शाह, श्री राधे लाल व्यास, श्री नरसिंहन्, श्री अगाड़ी, श्री स० चं० सामन्त, लाला अचिन्त राम, श्री मुरारका, स्वामी रामानन्द शास्त्री, श्री पद्म देव, श्री सुन्दर लाल, श्री प्रभात कार, श्री राजेन्द्र सिंह, श्री जयपाल सिंह, श्री क० उ० परमार, पंडित ब्रज नारायण 'ब्रजेश', श्री सतीश चन्द्र तथा श्री लाल बहादुर शास्त्री।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सभा लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार करेगी।

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : मैं प्रस्ताव करता* हूं :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये।"

---

†मूल अंग्रेज़ी में

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत हुआ।

वस्तुतः यह एक संशोधन विधेयक है । इस की आवश्यकता राज्यों के पुनर्गठन के कारण हुई है । प्रवर समिति ने कुछ ही महत्वपूर्ण उपबन्धों पर संशोधन किया है । यदि हम खंड ७ और ८ को देखें तो यह ज्ञात होगा कि "सामान्यतः निर्वाचन क्षेत्र का निवासी है" शब्दों के कारण निर्वाचन नामावलियों को तैयार करने में बहुत कठिनाई हुई है । प्रवर समिति में खंड ८ पर संशोधन प्रस्तुत किये गये जिनका आशय यह था कि १९५० के अधिनियम की धारा २० में इस आशय का संशोधन किया जाय कि किसी विशेष क्षेत्र में केवल मकान होने से कोई व्यक्ति सामान्यतः उस प्रदेश का निवासी नहीं माना जा सकता है । सरकार ने इस व्याख्या को स्वीकार कर लिया है ।

१९५० के अधिनियम की धारा २० की धारा १क और १ख में भी महत्वपूर्ण संशोधन किये गये हैं । व्याख्या के रूप में यह बहुत उचित संशोधन हैं । एक व्यक्ति विदेश यात्रा या तीर्थ यात्रा के लिये अस्थायी समय के लिये अपने निर्वाचन क्षेत्र से बाहर रह सकता है और यदि निर्वाचन नामावलियां तैयार करने के समय वह वहां नहीं होगा तो उसे मतदान का अधिकारी नहीं समझा जायेगा । धारा १क का तात्पर्य यह है कि अस्थायी रूप से बाहर रहने से यह नहीं समझा जायेगा कि वह व्यक्ति सामान्यतः उस निर्वाचन क्षेत्र का निवासी नहीं है ।

धारा १ख भी बहुत उचित है । संसद् तथा विधान सभा के सदस्यों को संसद इत्यादि के काम से अपने निर्वाचन क्षेत्र से बाहर रहना पड़ता है और संभव है कि अधिकारियों के निरीक्षण करते समय अनुपस्थित रहने के कारण उस का नाम नामावली से हटा दिया जाय । स्वयं मेरे मामले में भी यही हुआ है । मुझे यह ज्ञात होने पर बहुत आश्चर्य हुआ कि पिछले उपचुनावों में मेरे यहां रहने के कारण मेरा नाम निर्वाचन नामावली से हटा दिया गया था । इसलिये यह संशोधन किया गया है और सरकार ने भी इसे स्वीकार कर लिया है । मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि वह इन संशोधनों को उचित समझ कर इन्हें स्वीकार करे ।

अगले संशोधन का आशय यह है कि विधेयक में जो गलत बातें रख दी गई थीं या जो बातें गलती से हटा दी गई थीं उन्हें ठीक कर दिया जाय । प्रवर समिति ने एक परन्तुक भी रखा है जो इस विधेयक के पृष्ठ ३ में है । उस का आशय यह है कि मतदाता का नाम निर्वाचन नामावली से हटाने के पूर्व अधिकारी उसे अपनी बात कहने का एक अवसर प्रदान करेगा । वस्तुतः यह व्यवस्था अधिनियम में ही की गई है और नियमों में इस का उपबन्ध किया गया है । वस्तुतः इस खंड की पहिली आवश्यकता यह है कि जिस का नाम हटाया जा रहा है वह उस निर्वाचन क्षेत्र का सामान्यतः निवासी नहीं है अतः उस के अधिकारों पर हस्तक्षेप करने के पूर्व उसे अपनी बात कहने का अवसर प्रदान करना बिल्कुल उचित है । प्रवर समिति के सदस्य चाहते थे कि इस का उल्लेख अधिनियम में ही स्पष्ट रूप से हो जाय अतः यह व्यवस्था की गई है ।

अगला संशोधन विधेयक के खंड १५ में किया गया है । हम ने १९५१ के अधिनियम की धारा ७ में जिन संशोधनों का प्रस्ताव किया था उन से किसी प्रकार की सेवा, ठेका या संभरण करने वाले व्यक्ति अनर्हत हो जाते हैं । तत्पश्चात् यह ज्ञात हुआ है कि इस से हजारों लोग जोकि आकाश वाणी में अपने प्रोग्राम देते हैं या खाद्यान्नों का संभरण करते हैं वे भी अनर्हत हो जायेंगे । वस्तुतः प्रवर समिति के अधिकांश सदस्यों की भी यही राय थी। मूल धारा में एक संशोधन प्रस्तुत किया जिससे कि इस प्रकार के छोटे मोटे ठेकों को छूट मिलती थी । तथापि प्रवर समिति के अधिकांश सदस्यों ने यह मत व्यक्त किया कि इस पूरे खंड को ही हटा दिया जाय । इंगलैण्ड में १९५७ में उन्होंने एक ऐसे ही उपबन्ध को हटा दिया जिस में, हमारी धारा ७ की तरह व्यवस्था थी । प्रवर समिति ने भी यह अनुभव किया कि हमें भी यह धारा हटा देनी चाहिये यदि भविष्य में किसी प्रकार के प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता हुई तो इस विषय पर पुनः विचार किया जा सकता है । अब यह बात सभा की

[श्री अ० कु० सेन]

इच्छा पर निर्भर है कि वह विधेयक को मूल रूप में स्वीकार करे या प्रवर समिति द्वारा किये गये संशोधन को स्वीकार करे। सरकार खंड १५ ख में प्रस्तावित संशोधन को भी स्वीकार करना चाहती है। जो इस प्रकार है। कि खंड (ङ) में "प्रबन्धक अभिकर्ता या जो कोई लाभ पद धारण करता है" शब्दों के स्थान में "प्रबन्धक अभिकर्त्ता, प्रबन्धक या सचिव" शब्द रख दिये जायें।

वर्तमान अधिनियम में मूल उपबन्ध यह था कि कोई भी प्रबन्धक अभिकर्त्ता या किसी ऐसी कम्पनी में पद धारण करने वाला व्यक्ति जिस में सरकार के २५ प्रतिशत से अधिक अंश हों अनर्हत हो जायेगा। इस का परिणाम यह होगा कि हजारों श्रमिक जो ऐसे कारखानों में काम करते हैं वह मजूरी कमाने के कारण लाभ पद वाले समझे जायेंगे और अनर्हत करार दिये जायेंगे। सरकार का अभिप्राय यह कदापि नहीं है कि वह ऐसे कारखानों में जहां सरकार के २५ प्रतिशत से कम अंश नहीं हैं काम करने वाले हजारों श्रमिकों को अनर्हत करार देवे वह सिर्फ प्रबन्धक अभिकर्त्ताओं, प्रबन्धकों और सचिवों को अनर्हत करार देना चाहती है। क्योंकि इन का पर्याप्त प्रभाव रहता है और इन्हें पर्याप्त रक्षण भी प्राप्त रहता है। अतः यह संशोधन बहुत उचित है मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि वह इसे स्वीकार करे।

पृष्ठ ७ खंड ३४ में भी प्रवर समिति ने एक छोटा संशोधन किया है। उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय से कि इस अधिनियम के अधीन घूस देना भ्रष्टाचार के अन्तर्गत नहीं आता है हमें यह संशोधन करना पड़ा। जिस से घूस देना खंड ३४ में उल्लिखित परिभाषा के अन्दर भ्रष्टाचार के अधीन आ गया है। प्रवर समिति ने इस सम्बन्ध में यह किया है कि मूल शब्दों के आगे "उम्मीदवार या उस के एजेन्ट की सहमति से" शब्द और जोड़ दिये गये। मेरे विचार से यह संशोधन बहुत उचित है।

यदि कोई व्यक्ति उम्मीदवार या उसके एजेन्ट के बिना जाने हुए ऐसा करता है अधिनियम उसे भ्रष्टाचार का दोषी नही ठहरायेगा। अब इस संशोधन से यह बात स्पष्ट की गई है कि यदि ऐसा उस उम्मीदवार या उसके ऐजेन्ट की जानकारी में किया गया है तो यह भ्रष्टाचार के बराबर है।

धारा ७ को हटाने और परिचय पत्र दिखाने से सम्बन्धित खंड २५ के सम्बन्ध में कुछ विमति टिप्पण संलग्न किये गये हैं। वस्तुतः इस खंड की शब्दावलि पर अच्छी तरह ध्यान न देने से बहुत भ्रांति पैदा हो गई है। इस खंड में मूल अधिनियम के अधीन निर्वाचक अधिकारी को यह शक्ति प्रदान की गई है कि मतदाता के अंगूठे में न मिटने वाली स्याही से निशान लगाया जाय। इस संशोधन में अग्रेतर यह व्यवस्था की गई है कि वह फोटो वाला या बिना फोटो वाला परिचय पत्र दिखलाये। तत्पश्चात् यह महत्वपूर्ण शब्द लिखे गये हैं। "मतदान स्थान के निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं को फोटो वाले या फोटोरहित परिचयपत्र प्रदान किये गये हैं" इस के द्वारा निर्वाचन अधिकारी मतदान पत्र देने के पूर्व प्रत्येक मतदाता से परिचय पत्र दिखाने को कह सकता है। यह शक्ति केवल उन्हीं निर्वाचन क्षेत्रों में प्रयुक्त होगी जहां कि मतदाताओं को परिचय पत्र प्रदान किये गये हैं। इसलिये ग्रामीण क्षेत्रों में,—जहां मुख्य चुनाव आयुक्त के मत से नाम बदल कर मतदान देने की समस्या नहीं है—यह व्यवस्था लागू नहीं होगी। गांवों में नाम बदल कर मतदान देने वाले आदमी कम ही उपलब्ध होते हैं। तथा नगरों में विशेषतः औद्योगिक बस्तियों में जहां मजदूरों की आबादी अधिक होती है और निर्वाचन नामावलियों में पर्याप्त त्रुटियां रहती हैं वहां नाम बदल कर मतदान देने की समस्या बहुत गम्भीर रूप से विद्यमान रहती है। अतः हमारे अनुभव से यह बात सिद्ध हुई है कि यदि हम ऐसे क्षेत्रों में सच्चा निर्वाचन चाहते हैं तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी को यह अधिकार दिया जाय कि वह उन क्षेत्रों में जहां वह उचित समझे परिचय पत्र दिखाने का नियम लागू करे।

कहीं फोटो लगाना आवश्यक हो सकता है कहीं नहीं । केवल ऐसे ही क्षेत्रों में निर्वाचन अधिकारी को परिचयपत्र मांगने का अधिकार प्राप्त होगा । मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह है कि जिन नगरीय क्षेत्रों में आबादी बढ़ रही है उन क्षेत्रों के लिये यह एक लाभकारी व्यवस्था है । इसी व्यवस्था से दूसरे के नाम से मतदान करने इत्यादि की धोकेबाजी, उपचुनावों या आम चुनावों में बन्द हो सकती है ।

दूसरा संशोधन लोकसभा द्वारा पारित अनर्हता निवारण विधेयक के फलस्वरूप किया गया है । यह ऐसे लम्बरदार और मालगुजारों से सम्बन्धित है जो पुलिस कार्य नहीं किया करते हैं । हम ने केवल उन लम्बरदार और मालगुजारों को अनर्हता से छूट प्रदान की थी जोकि पुलिस का कार्य नहीं किया करते हैं । १९५१ के अधिनियम की धारा १२३ की उपधारा ७ के अनुसार कोई उम्मीदवार मालगुजार या इसी प्रकार के अन्य अधिकारियों की सहायता नहीं ले सकता है चाहे वह पुलिस का कार्य करते हैं अथवा नहीं । अतः हमें दोनों विधेयकों को समान स्तर पर लाना चाहिये। हम यह चाहते हैं कि गांव के राजस्व अधिकारी उम्मीदवारों की मदद न करें तथापि हम उसी प्रकार की छूट प्रदान करना चाहते हैं जैसीकि अनर्हता निवारण अधिनियम में प्रदान की गई है । अतः हम ने लिख दिया है कि "लम्बरदार, मालगुजार, पटेल और देशमुख या ऐसे ही नामधारी अधिकारियों के अलावा अन्य अधिकारी जो भूमि राजस्व जमा करते हैं और जिन्हें उस में से एक अंश प्राप्त होता है तथापि वे पुलिस का कार्य नहीं करते हैं ।" अनर्हता निवारण अधिनियम में भी हम ने यही भाषा प्रयुक्त की है । कुछ सदस्यों ने यह कहा कि मालगुजारों इत्यादि को छूट देने से वे दोनों विधेयक एक दूसरे के विरोधी हो जायेंगे । अतः विषम स्थिति उत्पन्न हो जाती इसलिये यह संशोधन उक्त अधिनियम के फलस्वरूप ही करना पड़ा है । मैं आशा करता हूं सभा इसे स्वीकार करेगी ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री खुशवक्त राय (खेरी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज के दिन माननीय मंत्री जी ने इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट सभा पटल पर रखी है । अच्छा तो यह होता कि एक कंप्रीहेंसिव बिल बनता जिस में जो सुझाव इलेक्शन कमीशन ने दिये हैं वे भी आ जाते और उन पर विचार हो जाता । परन्तु किसी कारण से मंत्री जी को जल्दी है कि यह कानून पास हो जाये और सदन के इसी सत्र में पास हो जाये । इसलिये उन का इसरार है कि आज के दिन ही इस पर बहस हो जाये । मैं तो अब भी समझता हूं कि इस को पास करने की जल्दी नहीं है, क्योंकि जो संशोधन करने सरकार जा रही है वे ऐसे नहीं हैं कि उन के बिना कोई काम क जाये । सिर्फ एक बात है कि पहली जनवरी आप ने क्वालीफाइंग डेट रखी है और आप समझते हैं कि अगर यह बिल पास हो जाता है तो रेवेन्यू आफिसर्स को आसानी होगी और वह आसानी से इलेक्टोरल रोल्स का रिवीजन कर सकेंगे । सिवा इस के और कोई वजह नहीं है कि इस को जल्दी पास किया जाये ।

फिर भी जब आप ने इस को पेश कर दिया है तो ठीक है । मुझे एक बात का दुःख है । साधारणतया तो यह होता है कि जब कोई बिल प्रवर समिति के सामने जाता है तो सुधर कर आता है लेकिन इस बिल में वहां जाने पर अवनति हुई है । सन् १९५१ के अधिनियम में जिस सिद्धान्त को माना गया था वह बहुत अच्छा सिद्धान्त था लेकिन उस को इस में से निकाला जा रहा है । मैं तो यह समझता हूं कि क्लाज ७डी० का रहना आवश्यकीय है । यह ठीक है कि उस में कुछ संशोधन होना चाहिये । जैसे कि स्टेट ट्रेडिंग (राज्य द्वारा व्यापार) है जिस में किसी को सरकार को गल्ला देना पड़ता हो, वह अभी इस में न आये इसलिये मैंने शब्द "नारमल" बढ़ा दिया है । मैंने जो संशोधन दिया है उस में लिखा है : "सामान्य व्यापार या कारोबार के दौरान" आजकल स्टेट ट्रेडिंग हो रहा है। इसलिये जो भी सरकार को गल्ला देगा उस पर इस का असर

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री खुशवक्त राय]

पड़ सकता है । लेकिन यह नहीं होना चाहिये कि जो भी ठेका लें आप उन को इस में शामिल कर लें । मैं यह नहीं चाहता कि यह सभा ठेकेदारों की सभा बन जाये । मंत्री जी ने कहा कि इंगलिस्तान में भी ऐसा ही किया गया है लेकिन उस के पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास है । माननीय मंत्री जी को मालूम है कि वहां पर ठेकेदारों की डिस्क्वालीफिकेशन के बारे में कानून १७८२ में पास हुआ था । और सन् १८०१ में वही कानून आयरलैण्ड के लिये किया गया था । इतने दिनों का उन के पास इतिहास है । फिर उन्हों ने देखा कि उस की अब कोई जरूरत नहीं है, इस के अलावा उस में कुछ कमी थी, कुछ ऐसे ठेकेदार थे जिन को वह कवर नहीं कर पाता था । इस के अलावा जो युनाइटेड किंगडम में उस कानून पर विचार करने के लिये सिलेक्ट कमेटी बैठी उस के सामने यह शहादत आई कि पिछले सौ वर्षों में ऐसा कोई मामला नहीं सामने आया जिस में यह बात हो कि एग्जीक्यूटिव ने करप्ट करने के लिये किसी मेम्बर को ठेका दिया हो । यह ठीक है कि १९वीं सदी और अठारहवीं सदी में ऐसे केसेज़ सामने आये । सिलेक्ट कमेटी के सामने जो शहादत पेश हुई उसका वह खास हिस्सा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जिसमें यह कहा गया है कि सौ वर्ष से इस तरह का मामला पार्लियामेंट के सामने नहीं आया । सिलेक्ट कमेटी के सामने एटार्नी जनरल और क्लर्क आव दी हाउस की शहादत हुई थी जिसमें उन्होंने यह कहा था कि पिछले सौ वर्षों से ऐसा कोई मामला पार्लियामेंट के सामने नहीं आया जिसमें किसी को इस तरह से करप्ट (भ्रष्ट) किया गया हो । सिलेक्ट कमेटी के सामने ये बातें आयी थीं जिनकी वजह से उन्होंने सन् १७८२ के कानून को रिपील कर दिये जाने की सिफारिश की । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अभी हमारी वह अवस्था नहीं है कि जो यूनाइटेड किंगडम की है । हमारा प्रजातंत्र अभी आठ साल पुराना ही है क्योंकि यह सन् १९५० में ही कायम हुआ है और उसके बाद से हम वह स्वस्थ परम्परायें नहीं कायम कर सके हैं कि जो लोग सरकार से ठेका लें, सरकार से फायदा उठायें उनको यहां आने की इजाजत दी जा सके ।

इसका एक और पहलू भी है । ऐसे लोगों के पास पैसा बहुत होता है और वह उस पैसे का दुरुपयोग करेंगे क्योंकि अगर वह इस सदन में या राज्यों की असेम्बलियों में पहुंच जायेंगे तो सरकार में उनकी पहुंच हो जायेगी, मंत्रियों के पास उनकी पहुंच हो जायेगी । यह तो मैं नहीं कह सकता कि वे इस में कहां तक कामयाब होंगे । लेकिन अभी दो तीन दिन पहले इस सदन में इस बात पर बहस हुई थी कि जो रिटायर्ड गवर्नमेंट आफिशियल्स हैं उनको यह इजाजत न दी जाये कि वे प्राइवेट कम्पनियों में नौकरी करें । उस समय सदन के एक सदस्य ने यह भी कहा था कि यह बात तो उन पर भी लागू होती है जो आज मंत्रिमंडल में हैं ।

तो मेरा कहना है कि आज हम ने वे स्वस्थ परम्परायें कायम नहीं कर पायी हैं इस देश में कि हम उस हालत में हों कि हम क्लाज ७डी० को हटा सकें । तो मैं आपके ज़रिये से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे मेरा संशोधन स्वीकार कर लें ।

मुझे दो तीन बातें और कहनी हैं । एक बात तो मुझे सेक्शन ११ के बारे में कहनी है । आपने इस दफा में रखा है कि इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन आफिसर अगर कोई गड़बड़ी करें तो उनको ५०० रुपया तक जुरमाना हो सकता है । मैं समझता हूं कि यह जुरमाना बहुत कम है । अगर आप दंड देना चाहते हैं तो वह इतना होना चाहिये कि जिसको दंड दिया जाय वह उसको महसूस करे । आप जानते हैं कि अगर कोई इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन आफिसर से गड़बड़ी करा सकता है तो वह कोई पार्टी ही करा सकती है । और जब पार्टी यह गड़बड़ी करायेगी तो ५०० रुपये का जुरमाना बहुत कम है । ५०० रुपया तो पार्टी अपने उम्मीदवार की जमानत के लिये जमा कर देती है, इसलिये

वह इतना रुपया आसानी से दे सकेगी । इसलिये मैं चाहता हूं कि आप ५००० रुपया जुरमाना रखें अगर आप चाहते हैं कि इसका यह असर हो कि इस तरह की गड़बड़ी न हो । इतना रुपया पार्टी के लिये भी देना कठिन होगा । माननीय मंत्री जी ने जो यह प्रावीजन किया है वह शायद इसलिये कि केरल में जो एलेक्शन हुए थे उनके बारे में कहा गया था कि इस तरह की गड़बड़ी हुई और नाम बढ़ा दि गये । और वह इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन आफिसर की वजह से बढ़ाये गये । तो मैं समझता हूं कि इसका आपको इन्तिजाम करना चाहिये । आपको यह दंड बढ़ा कर ५०० से ५००० कर देना चाहिये ।

तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, वह धारा २८ से सम्बन्धित है । यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि धारा २८ में यह एक्सप्लेनेशन क्यों जोड़ा जाता है । धारा ८५ में आप ने जो अधिकार इलेक्शन कमीशन को दे रखा है, वही अधिकार धारा ९०(३) में आप ने इलैक्शन ट्रिब्यूनल को दे रखा है । उस जगह उस की अपील नहीं हो सकती और दूसरी जगह अपील हो सकती है । पिछले चुनाव में जो इलैक्शन पेटीशन्ज़ दाखिल हुईं, उन में से सोलह पेटीशन्ज़ इन्हीं कारणों से इलैक्शन कमीशन ने खारिज कर दीं । आज सरकार की ओर से जो रिपोर्ट दी गई है, उस में बताया गया है कि इलैक्शन कमीशन ने धारा ८५ के अन्तर्गत सोलह इलैक्शन पेटीशन्ज़ खारिज कर दीं । उन की कोई अपील नहीं है—कहीं कोई सुनवाई नहीं हो सकती है । लेकिन ९०(३) के अन्तर्गत इलैक्शन ट्रिब्यूनल को जो अधिकार दिया गया है, उस की अपील हो सकती है । आखिर, कितनी दफ़ा अपील होगी ? अगर ९०(३) में इलैक्शन पेटीशन खारिज हो जाये, तो पेटीशनर अपील करे या रेस्पांडेंट अपील करे । उस के बाद जब फिर ९८ के अन्तर्गत दूसरा फैसला हो, तो फिर अपील करे । प्रश्न यह है कि क्या सरकार खर्चा बढ़ाना चाहती है । मेरा निवेदन है कि जो प्रतिबन्ध धारा ८५ के लिये है कि उस में कोई अपील नहीं हो सकती है, उसी तरह से धारा ९०(३) के अन्तर्गत भी अपील नहीं होनी चाहिये ।

चौथी बात मैं धारा ३०, ३१ के बारे में कहना चाहता हूं । इस दफ़ा जब इलैक्शन पेटीशन्ज़ हुई, तो इलैक्शन कमीशन ने—मैं नहीं जानता किस तरह से—अधिकांश इलैक्शन पेटीशन्ज़ के बारे में ऐतराज़ कर दिया कि उनकी जो सिक्योरिटी दाखिल है, सिक्योरिटी का जो चालान आया है, उसमें यह मालूम नहीं होता कि सिक्योरिटी का रुपया किस के नाम जमा है । उन्होंने कहा कि यह मामला ऐसा है कि इसको इलैक्शन ट्रिब्यूनल देख ले और देख कर उचित फ़ैसला कर दें । मुझे ठीक मालूम नहीं है—मैंने एक सवाल पूछा था, जिस का जवाब अभी तक नहीं दिया गया है—कि जो ४९७ इलैक्शन पेटीशन्ज़ हुई थीं, उनमें कितनों पर यह ऐतराज किया गया, लेकिन मैं समझता हूं कि काफ़ी पर यह एतराज़ किया गया । वह ऐतराज़ इलैक्शन ट्रिब्यूनल के सामने पेश हुआ । ज़ाहिर बात है कि जब इलैक्शन कमीशन ने लिखित ऐतराज़ कर दिया, तो पार्टीज़ ने वह ऐतराज़ लिया, उस पर बहस हुई और मामला आगे गया—वह हाई कोर्ट तक गया और मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट तक दो मामले गए । इलैक्शन कमीशन की मेहरबानी से यह बात हुई । इलैक्शन कमीशन को ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी । अगर वह समझते थे कि धारा ११७ की कम्पलायेंस नहीं हुई है, तो उनको स्वयं ही इलैक्शन पेटीशन को खारिज़ करने का अधिकार था, लेकिन ऐसा न करके उन्होंने मामला नीचे की अदालत को भेज दिया, जिसके ऊपर इस बात का बड़ा भारी असर पड़ा कि इलैक्शन कमीशन से लिख कर यह आया है और उन्होंने लिख दिया कि हमारी समझ में सिक्योरिटी ठीक नहीं है । उसका नतीज़ा यह हुआ कि सैंकड़ों तो नहीं, दस, बीस पचास पेटीशन्ज़ खारिज हो गईं और उनमें से ऐसी पेटीशन्स भी खारिज हो गईं, जो कि नहीं होनी चाहिए थीं, क्योंकि बाद में हाई कोर्ट ने फ़ैसला दे दिया कि सब्सडेंशियल कम्पलायेंस ही काफ़ी है और लिटरल कम्पलायेंस की ज़रूरत नहीं है । लेकिन यह फ़ैससा

[श्री खुशवक्त राय]

होने में देर लगी और मामला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में गया । जो पेटीशन खारिज हो चुकी थीं, उनके बारे में कोई चाराजोई नहीं हो सकती । इसकी सारी ज़िम्मेदारी इलैक्शन कमीशन की थी । अगर इलैक्शन कमीशन ने न लिखा होता, तो यह सब न होता । मेरे ध्यान में भी यह बात तभी आई—मैं इलैक्शन पेटीशन में वकील था—जब इलैक्शन कमीशन ने एतराज़ किया । मैं जानता था कि इस के लिए इलैक्शन ट्रिब्यूनल ने फ़ैसला भी किया है, लेकिन मेरे ध्यान में बात नहीं आई । जब मैंने इलैक्शन कमीशन का एतराज़ देखा, तो मेरे ध्यान में बात आई और मैंने भी एतराज़ किया । इलैक्शन ट्रिब्यूनल ने पेटीशन खारिज करदी, लेकिन हाईकोर्ट में फ़ैसला खिलाफ हुआ। मेरे कहने का मतलब यह है कि ज़रूरत इस बात की है कि आप ऐसा कानून बनायें कि जिसकी वजह से न तो इलैक्शन पेटीशनर को कोई परेशानी हो और न रेस्पाडेंट को परेशानी हो । जहां तक सिक्योरिटी की बात है, उसके लिये सिर्फ़ इतना ही काफ़ी होना चाहिये कि जो इलैक्शन पेटीशनर है, वह चालान दाखिल कर दे और उस चालान से मालूम पड़ जाये कि एक हज़ार रुपए स्टेट बैंक या रिज़र्व बैंक आफ़ इण्डिया में जमा हो गए हैं और इलैक्शन कमीशन के सेक्रेटरी को वे एवेलेबल हो जायें । आपको यह सुन कर ताज्जुब होगा कि जब इलैक्शन कमीशन ने ऐतराज़ कर दिया, उस के बाद कुछ लोगों ने इलैक्शन कमीशन की शहादत दिलाई और उन्होंने कहा कि रुपया इलैक्शन कमीशन के सेक्रेटरी को एवेलेबल है। लेकिन इलैक्शन पेटीशनर्ज को बड़ी परेशानी हुई और उन्हें हाईकोर्ट तक जाना पड़ा । सुप्रीम कोर्ट में भी दो मामले आए और सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला हुआ । मेरे कहने का मतलब यह है कि आप ऐसा कानून बनायें, जिससे इलैक्शन पेटीशनर परेशानी में न पड़ें । इसलिये मैंने सैक्शन ११७ का जो अमेंडमेंट दिया है, यह ज़रूरी है कि उसको मान लिया जाये ।

मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया ।

श्री रामन् (नरसापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, रिप्रेज़ेन्टेशन आफ़ दि पीपल एक्ट में कुछ सुधार करने के लिये यह बिल लाया गया है । आइडेन्टिटी कार्ड के बारे में जो व्यवस्था की जा रही है, उसको कुछ सदस्यों ने अच्छी तरह से नहीं समझा है । उसके बारे में कहा गया है कि उससे इलैक्शन कमीशन को बहुत सुविधा होगी, लेकिन उससे जो दिक्कतें पैदा होंगी, उन पर विचार नहीं किया गया है । हम इस चुनाव को शुद्ध रखना चाहते हैं और ग़ैर-कानूनी तौर पर लोग वोट न दे सकें, इस उद्देश्य से इस क्लाज़ को रखा गया है, ऐसा हमें बताया गया है । लेकिन मेरे ख्याल में जब यह कानून अमल में आयेगा, तो ग़ैर-कानूनी कामों के बहुत बढ़ जाने का खतरा है, क्योंकि हमें इस बात का विचार रखना चाहिए कि उसके अमल का रूप कैसा होगा । मन्त्री महोदय ने बताया है कि देहात में लोगों को पहचानने में दिक्कत होती है । जो लोग भारत के देहात की स्थिति को जानते हैं, उनको ज्ञात है कि लोग एक दूसरे को न पहचानें, ऐसी हालत देहात में नहीं है, शहर में हो सकती है । देहात में तो पहचानने की कोई दिक्कत नहीं है । हर एक आदमी दूसरे को जानता है । वहां पर गांव के पटेल पटवारी बैठते हैं और सभी पार्टियों और सभी उम्मीदवारों के एजेण्ट बैठते हैं । इसलिये वहां इम्पर्सनेशन होने की कोई सम्भावना नहीं है । इसलिये मेरा निवेदन है कि इससे बहुत गड़बड़ हो जायगी, बहुत मैलप्रैक्टिस हो जायगी। इसलिये कृपा करके इस को निकाल दीजिये । सरकार ग़ैर-कानूनी कार्यवाहियों को रोकना चाहती है, लेकिन इस कानून को अमल में लाने में क्या दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं, इसका ध्यान रखना आवश्यक है । देहात में फ़ील्ड लेबरर्ज़ और एग्रीकल्चरल लेबरर्ज़ होते हैं, जो कि किसी लैंड-लार्ड के खेत में काम करने के लिये जाते हैं। इलैक्शन आफ़िसर उन को कह सकते हैं कि अमुक समय पर अमुक जगह पर हम तुम्हारा फ़ोटोग्राफ़ लेंगे, वहां आ जाओ ।

लेकिन वहां पर जो वोटर्स हैं उन सभी लोगों की तस्वीर निकालने में कुछ दिक्कतें हैं। वहां की जो औरतें हैं वे कुछ पुराने खयालात रखती हैं और वे इसके लिये हो सकता है तैयार न हों। इसके साथ ही साथ जो गरीब लोग हैं उनको अपनी फोटो खिचवाने का समय नहीं मिलेगा वे खिचवा नहीं सकेंगे और इसका नतीजा यह होगा कि जो वोटर्स लिस्टस हैं वे अधूरी रहेंगी। बाद में इसका फल यह निकलेगा कि उन लोगों को अपने वोट के इस्तैमाल से हम वंचित कर देंगे जो कि ठीक चीज़ नहीं है। आप को चाहिये कि ये जो खतरे हैं इनको आप समझें और मैं चाहता हूं कि यह सदन इस बारे में काफी सोच विचार के बाद ही कोई कदम उठाये।

इसके साथ ही साथ फोटो उतारने में जो खर्चा होगा उसकी तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिये। कल यहां पर आधे घंटे की बहस हुई थी और वह आंध्र में शुगर फैक्ट्रीज़ के बारे में थी। उसमें मंत्री महोदय की तरफ से कहा गया था कि हमारे पास पैसे की कमी है, फारेन एक्सचेंज की कमी है और वे कुछ कर नहीं सकते हैं। अगले चुनावों तक वोटर्स की तादाद १९–२० करोड़ तक पहुंच जाने की संभावना है और अगर हम २० करोड़ आदमियों के लिए फोटो उतरवाने के लिए कानून बनाते हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना खर्चा पड़ेगा। साथ ही साथ है जो फिल्म्स हैं वे हमारे देश में नहीं बनती हैं, रा फिल्म्स नहीं बनती हैं, उनको हम विदेशों से मंगाते हैं और हो सकता है कि इस काम के लिए हमको १० करोड़ रुपये की आवश्यकता महसूस हो। यह काम्या हमको फारेन एक्सचेंज में चाहिये जो कि हम खर्च नहीं कर सकते हैं।

फोटो के साथ जो आप फूल प्रूफ सिस्टम बनाना चाहते हैं और आप यह भी चाहते हैं कि जालसाज़ी बन्द हो जाए, तो उसका यह तरीका नहीं है। क्या जालसाज़ी को बन्द करने का आपके पास यही एक तरीका बच रहा है? जो नेता लोग हैं, जो पार्टियां हैं, वे मिल कर इस प्रश्न पर सोच सकती हैं और जो लोग सच्चे तौर पर इन इलैकशंस में श्रद्धा रखते हैं वे भी अपने सुझाव दे सकते हैं और इस जालसाज़ी को, मैं समझता हूं, बन्द किया जा सकता है और बड़ी आसानी से बन्द किया जा सकता है। इसको रोकने का कोई तरीका अवश्य निकाला जा सकता है। अगर आप फोटो की बात करते रहेंगे तो इसका मतलब यह होगा कि एक हाथ से तो आप वोट देने का अधिकार लोगों को देंगे और दूसरी तरफ से उनके हाथ से उनके इस अधिकार को छीनेंगे। इस वास्ते मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस पर फिर से विचार करें। इस सम्बन्ध में जो एक खास सुझाव मैं देना चाहता हूं वह यह है कि आप दूसरी पार्टियों से बातचीत कर सकते हैं, उनकी राय ले सकते हैं और मैं समझता हूं इस बिल को पास करने में हमको जल्दी नहीं करनी चाहिये। जो जनरल इलैक्शंस हैं वे अभी दूर हैं, उनको अभी तीन साल का समय पड़ा हुआ है और उनके पहले इस काम को किसी भी समय आसानी के साथ किया जा सकता है, जो असली बिल है, उसको किसी भी समय अमेंड किया जा सकता है और इस को अमेंड करने में सभी पार्टियां सहमत हो सकती हैं।

फोटो इत्यादि पर इतना खर्च करने के बाद भी क्या होगा? गांवों के जो लैंडलार्डस हैं उनका बहुत ज़ोर है और हो सकता है कि जो माल-प्रेक्टिस आज है वह दूसरी तरह से बढ़ जाए। वह जो लैंडलार्डस हैं वह इन सब एग्रिकलचरल लेबरर्रस के वोट इकट्ठा कर लेगा और अपने पास रख लेगा और जब ये बेचारे वोट देने के लिए जायेंगे तो इनसे कह दिया जाए कि तुम्हें वोट देने का हक नहीं है और उनको निराश हो कर वहां से वापिस आना पड़ेगा। इस तरह से एक

[श्री रामम्]

और ही तरीके से इस चीज़ का खतरा बढ़ सकता है। इससे आप जो माल-प्रेक्टिस कम करना चाहते हैं वह कम नहीं होगी और हो सकता है कि बढ़ जाए। इस लिए मैं चाहता हूं कि इस पर आप फिर विचार कर लें।

अगर गवर्नमेंट चाहे तो वह यह कर सकती है कि बजाय इसके कि आइडेंटिटी कार्ड लोगों में बांटे वह अपने रजिस्टर में आइडेंटिटी मार्क दर्ज कर सकती है और उस रजिस्टर को पोलिंग आफिसर्स के पास रख सकती है और इसमें जालसाज़ी का कोई खतरा पैदा नहीं हो सकता है। उसमें जो मार्क लिखे होंगे उनको जो वोट देने आएगा उसके मार्कों से मिलाया जा सकता है और जालसाज़ी को रोका जा सकता है। जो पोलिंग आफिसर है वह बैलेट पेपर देने से पहले आइडेंटिटी मार्क देख सकता है और इस तरह से जालसाज़ी को कम किया जा सकता है। मैं चाहता हूं कि इस मेरे सुझाव पर विचार किया जाए। अगर इसमें कोई दिक्कत पेश आएगी तो फिर इस प्रश्न पर विचार किया जा सकता है। इस वास्ते मैं कहना चाहता हूं कि फोटो देने का जो तरीका आप अपनाने जा रहे हैं उस पर आप दुबारा विचार कर लें।

अब मैं जो पहले बिल में क्लाज़ ५६ थी और जिसको अब अमेंड करते समय कम करने की बात सोची जा रही है, उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। आपका विचार यह है कि आठ घंटे के बजाय छः घंटे कर दिये जायें। आप जानते ही हैं कि गांवों में मींस आफ कम्युनिकेशन कम हैं, आने जाने की सुविधायें कम हैं और अगर आपने वक्त को कम कर दिया तो बहुत सी दिक्कतें पैदा हो जायेंगी। आप पोलिंग आफिसर्स को इकट्ठा करने के लिये, हल बनाने के लिये इलेकशन कमीशन को अधिकार दे रहे हैं। क्या हमारा मंशा यह है कि हम पोलिंग आफिसर्स को दो चार घंटे कम बैठने के लिये यह करें और उनके वर्किंग आवर्स कम कर दिये जायें? इससे क्या फायदा होगा? उस दिन वे लोग किसी दूसरी नौकरी पर या दुबारा अपने ही काम पर जा कर काम नहीं कर सकेंगे। उस दिन तो उनको यही काम करना होगा। साथ ही साथ जो देहाती लोग हैं उनकी सुविधा का भी हमको ध्यान रखना होगा। आने जाने के उनके पास कोई साधन नहीं हैं। वे ठीक समय पर वोट देने के लिये पहुंच नहीं सकते हैं, उनको आने में देरी हो सकती है और इस कारण से हो सकता है कि वे अपना वोट न दे सकें अगर वक्त कम कर दिया गया। इसका नतीजा यह होगा कि उनका जो वोट है वह जाया चला जायेगा और उनका हक उनसे छिन जायेगा। इस वास्ते पोलिंग आवर्स कम करने की बात सोचना उचित नहीं है। मैं चाहता हूं कि जो पुरानी क्लाज़ थी, वही रहे। अगर वे लोग रेलगाड़ी पर या किसी दूसरी तरह भी जायेंगे तब भी उनको घंटा दो घटा देरी हो सकती है। इस वास्ते जो दिक्कत उनको होगी उसका भी हमें खयाल रखना होगा। इससे फायदा कोई नहीं है बल्कि नुकसान ही ज्यादा है। इस वास्ते इन दोनों सेकशंस के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि अब जो आपने रखा है उसको न रखें और पुराने सैकशंस ही रहने दें। दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास जैसे बड़े बड़े और अव्वल दर्जे के शहरों के लिये अगर आप फोटो की बात करें तो बात समझ में आ सकती है। लेकिन इंडस्ट्रियल एरियाज़ में तथा देहातों में लोगों को फोटो देने की बात समझ में नहीं आती है। हमारे देश में जब फिल्में तैयार होने लग जायें, उसके बाद इस प्रश्न पर विचार किया जा सकता है। जो गरीब लोग हैं वे जिन्दगी भर अपनी तसवीर खिचवाने की बात भी नहीं सोच सकते हैं और आप इतना रुपया उनकी फोटो खिचवाने के लिये खर्च करने की बात सोच रहे हैं। हमारे पास चीनी मिलों के लिये मशीनरी मंगवाने के लिये फारेन एक्सचेंज नहीं है और आप दस करोड़ रुपया फोटो खिचवाने के लिये खर्च करना चाहते हैं, यह ठीक नहीं है। जालसाज़ी को दूसरे तरीके से रोका जा सकता है और मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इन सब बातों पर फिर विचार कर लें।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (हिसार) : इस बिल के अन्दर जो कि शुरू में लाया गया था, बहुत सी खुशगवार चीजें थीं। बहुत सी ऐसी चीजें रक्खी गई थीं, जिन के वास्ते हमारे ला मिनिस्टर साहब ने एक्स्प्लेनेशन भी दिया था, जो सिवा चन्द के सब की सब ऐसी थीं जिनको मैंने सपोर्ट किया था। अब भी मैं इस बिल की दफ़ाओं को जेनरली सपोर्ट करता हूं। लेकिन इस बिल के अन्दर तीन या चार ऐसी कंटेंशस चीजें हैं जिनके बारे में अर्ज करना चाहता हूं।

इस बिल की दफा ७ के ऊपर बहुत से मेम्बरान ने जो अपनी तरामीम पेश की हैं और उन्होंने कहा है कि दफा ७(डी) को ओमिट करने से कुछ गलती हुई है। दफा ८ पर इतनी तरामीम तो नहीं हैं, लेकिन ताहम, जैसा ला मिनिस्टर साहब ने खुद फरमाया, वहां से आफिस आफ प्राफिट उड़ा दिया गया और उसके बजाय सेक्रेटरी और मैनेजर को रखा गया। लेकिन मेरी गुजारिश यह है कि जहां तक ७ और ८ दफा का सवाल है, जिस वक्त ओरिजिनल बिल यानी पीपल्स रिप्रेजेन्टेशन बिल बनने लगा था उस वक्त भी हाउस म काफी झगड़ा हुआ था, और हालांकि शुरू में अल्फाज़ बड़े वाइड थे, लेकिन आखिर में दफा ७ को रख कर उनकी अहमियत कुछ कम कर दी गई थी। आज दफा ७ में मुझे जो मुसीबत नजर आती है वह यह है कि अगर दफा ७ और ८ को उनके असली मानों में पढ़ा जाय तो उनके अल्फाज ऐसे हैं कि मुझे डर है कि उनका असर बेहद बढ़ा हुआ है। मसलन् अगर स्टेट ट्रेडिंग का फैसला हो गया तो लाखों करोड़ों आदमी ऐसे होंगे जो उनकी जद में आ जायेंगे। अगर इस कंट्रेक्ट के माने सिर्फ मामूली ठेके न लगाये जायें, बल्कि कंट्रेक्ट को सिर्फ एक आम माअहदा समझा जाय तो जैसा ला मिनिस्टर साहब ने फरमाया उसमें जितने भी वर्कर्स होंगे वह सब के सब कंट्रेक्ट की डेफिनेशन में आ जायेंगे। जो गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं उनके साथ वह कंट्रेक्ट ही तो करते हैं। उनको मजदूरी मिले या तनख्वाह मिले, वह है तो कंट्रेक्ट ही। अगर कंट्रेक्ट के असली माने लिये गये तो जितने बड़े-बड़े कारखानेदार हैं, उनके सारे के सारे मजदूर इस कानून की जद में आ जायेंगे जो कि दरअस्ल कानून का मंशा नहीं था। इस वास्ते मैं समझता हूं कि अगर दफा ७ और ८ को मौजूदा सूरत में रक्खा गया तो इसकी स्पिरिट को तो लोग नहीं समझेंगे और दिक्कत यह पैदा होगी कि इसके अन्दर बेहद आदमी शामिल हो जायेंगे।

एक माननीय सदस्य : वकीलों का क्या होगा ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : वकील बेचारों का तो जो होगा उसको वह भुगतेंगे, लेकिन मेरे खयाल में इस का सब से बड़ा असर पालिटीशियन्स पर होगा। उन की तो आफत ही आ जायेगी।

मुझे याद है कि जब कंट्रोल के जमाने में दफा ७ की एलेक्शन पिटिशन्स आई तो कितने ही डिपो होल्डर इसकी जद में आ गये और आखिर में मामलात हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गये। मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स ने मुख्तलिफ इंटरप्रेटेशन किये और बहुत मुबाहसे के बाद कोई अथारिटेटिव डिसीजन हो पाया है। आज लोग स्टेट ट्रेडिंग की मांग करते हैं, बहुत से हमारे भाई पब्लिक सेक्टर के हक में हैं और सोशलिस्ट पैटर्न चाहते हैं। जिसके माने यह हैं कि जो लोग ऐसे कारखानों में काम करेंगे जो कि गवर्नमेंट से कंट्रेक्ट लेंगे, खुसूसन उस वक्त जब कि गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन भी अपने हाथ में लेगी तो हमेशा कंट्रेक्ट होगा और उसमें बेशुमार आदमी आ जायेंगे और उनके आ जाने से इस तरह का तबका बहुत बड़ा बन जायेगा, उन सब लोगों को आप डिसएन्फ्रैंचाइज़ कर देंगे।

अलावा इसके कि जिसको इसमें आफिस आफ प्राफिट कहते हैं, उसको आप हटा तो देंगे, लेकिन मुझे डर है कि इसमें आफिस आफ प्राफिट की तारीफ तो है नहीं, और आर्टिकल १०२ को आप तब्दील नहीं कर रहे हैं--हालांकि उसको हटा देने से मालूम नहीं आपका मकसद पुरा होगा

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

या नहीं— तो काम चलना मुश्किल हो जायेगा । इसलिये मैं अर्ज करता हूं कि कम से कम दफा ८ में तो आप तरमीम मंजूर कीजिये, उसको छोड़ दीजिये तो सिचुएशन थोडी ठीक जरूर हो जायेगी, आज का डर कम हो जायेगा । मैं अर्ज करता हूं और आज हाउस का भी रुझान मैं इस तरफ देखता हूं, नया बिल भी आया है जिसमें आफिस आफ प्राफिट को न रख कर सिवा चेअरमैन के किसी को भी डिस्क्वालिफाई नहीं किया गया है क्योंकि और कोई क्या नेपाटिज्म कर सकेगा । जहां तक कंट्रेक्ट्स का सवाल है, मान लीजिये किसी ने गवर्नमेंट का थोड़ा सा भी काम किया और एक कंट्रेक्ट भी कर लिया तो क्या हुआ । हर एक आदमी नेपोटिज्म नहीं करता है । नेपाटिज्म इसे कहते हैं कि कोई आदमी कंट्रेक्ट करता है तो उसे बेईमानी से फायदा उठाने के लिये वह कंट्रेक्ट दे दिया जाय । नेपाटिज्म वहीं है कि अगर किसी आदमी की बेईमानी से दूसरे पर असर पड़ता हो । यह चीज तो मैं समझ सकता हूं । यहां पर जो मेम्बर्स आये हैं अगर उनके राय देने का सवाल उठे तो यहां के रूल्स कहते हैं कि उसका असर अगर किसी दूसरे पर पड़ता हो तो उस मेम्बर को राय देने का अख्त्यार नहीं होगा । लेकिन इस बिल में कंट्रेक्ट की तारीफ तो नहीं की गई कि कितना बड़ा कंट्रेक्ट होगा । वैसे यह मामूली सी चीज दिखाई देती है । लेकिन इसमें मझे कूछ दिक्कत दिखाई देती है अगर यह दिक्कत दूर हो जाय तो मुझे इस चीज को मानने में कोई एतराज नहीं है ।

इसके अलावा इस बिल में फोटो का प्राविजन किया गया है । मैंने आनरेबल मिनिस्टर साहब की तकरीर सुनी । उससे मालूम होता है कि यह चीज अरबन एरियाज के लिये वह रखना चाहते हैं जहां कि नेपाटिज्म ज्यादा होता है । शायद वह प्रेजोडेंसी टाउन्स में होता होगा क्योंकि वहां के लोग ज्यादा होशियार हैं और ऐसी कार्रवाइयों को ज्यादा जानते हैं । कम से कम गांवों के अन्दर ऐसा नहीं होता । मैं समझता हूं कि अगर हम आज गांव वालों को यह सर्टिफिकेट दे देते हैं .....

उपाध्यक्ष महोदय : गांव वाले शहर में आ जाते हैं तो उनकी भी आदतें ऐसी ही हो जाती हैं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : बहरसूरत मैं तो यह देखता हूं कि अगर सारे देश में आप आइडेंटी काड्स का सिस्टम कर रहे हैं तो यह एक गैर मुमकिन चीज है । गैर मुमकिन है कि १८ करोड़ आदमी जो यहां मौजूद हैं, उनकी फोटों ली जा सके । कितने आदमियों के फोटो आप लेंगे । अकेले पंजाब के अन्दर आपको यह दिक्कत पैदा हो जायेगी, और जगह के लिये क्या कहा जाय । इसके अन्दर कहा गया है कि फोटो नहीं बदली जा सकेगी । फोटो की तरमीम तो नहीं की जा सकेगी, फोटो दूसरे की तो नहीं पेश की जा सकेगी । लेकिन इसमें दूसरी सारी खराबियां मौजूद होंगी । इतना बड़ा यह मुल्क है, इसमें फोटो की तजवीज करना, देखने में तो बड़ा अच्छा है, दूसरे मुल्कों की नकल भी है, लेकिन यह चीज प्रैक्टिस में बड़ी मुश्किल साबित होगी । अगर हम फोटो के बगैर भी आइडेंटी कार्ड्स को रखें तो भी यह बहुत इंप्रैक्टिकेबल चीज होगी । कितने आदमी आखिर आप इसके लिये रखेंगे, कितने छापेखानों में आप उस को छपवायेंगे । इस पर अमल करने के लिये भी तो आपको बड़ा भारी अमला रखना होगा । कम से कम मैं इस चीज के हक में नहीं हूं । जहां तक मुझे मालूम है गवर्नमेंट अच्छे से अच्छे कामों के लिये भी आज रुपया खर्च नहीं कर पा रही है, फाइव इअर प्लैन के लिये ही उसका तमाम रुपया खर्च हो रहा है, इसलिये एक ऐसी चीज के लिये जो कि गैर मुमकिन हो मैं अपना स्वाद नहीं दे सकता हूं । यह ठीक नहीं है और मैं इसकी सख्त मुखालिफत करता हूं ।

इसके अलावा हमारे आनरेबल मिनिस्टर साहब ने एफ के बारे में कहा । जो डिस्कवालिफिकेशन आफ मेम्बर्स बिल इस हाउस में पास किया गया उसे यहां पर लाया गया । जो चीज वहां पर पास की गई उसको यहां पर लाने की कोशिश की गई । ओरिजिनल बिल में यह नहीं था, लेकिन इसमें है ।

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद) : सेलेक्ट कमेटी से यह आया है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : सेलेक्ट कमेटी से नहीं आया, ओरिजिनल बिल में नहीं था । मैंने दरख्वास्त की थी कि सारे लोगों को इस पर अख्त्यार दिया जाय कि वह सेलेक्ट कमेटी में अपनी बात को रख सकें, लेकिन इस वक्त इस चीज को नहीं माना गया था क्योंकि सेलेक्ट कमेटी को वह चीज सुपुर्द नहीं की गई थी । इस वक्त हालांकि आनरेबल मिनिस्टर साहब इस चीज को बैकडोर से इसको यहां पर ला रहे हैं, लेकिन चूंकि अच्छी चीजों को हमको तसलीम कर लेना चाहिये, इसलिये इसके तसलीम करने में मैं कोई हर्ज नहीं समझता । इसको मान ही लेना चाहिये । लेकिन इसमें जो कुछ कहा गया है वह पहले से भी खराब कर दिया गया है ।

जनाब मुलाहिजा फ़रमायेंगे कि इसके अन्दर से यह अल्फ़ाज़ निकाल दिये गये हैं, जैसे पटवारी, लेखपाल, तलाती, कारनाम वग़ैरा ।

जहां तक पंजाब का सवाल है, बहुत सारे लोग हैं जो मालगुजार हैं । किसी जगह पर बेचारे मालगुजार को ऐसा शख्स नहीं समझा जाता जिस पर ऐसी पाबन्दी आयद हो । मालगुजार वह आदमी है जो रेवेन्यू देता है । हर एक आदमी जिसके पास थोड़ी सी जमीन है वह मालगुजारी देता है । कहीं पर मालगुजार पर कोई कैद नहीं, लेकिन यहां पर आप मालगुजार का लफ्ज़ रखते हैं । जैसा मैंने अर्ज किया मालगुजार को एग्जेम्शन देने की जरूरत है । लेकिन आपने यह मान लिया है कि मालगुजार को एग्जेम्शन दे दिया जायेगा । अभी तक तो वह ऐक्ट भी पास नहीं हुआ । जब बिल पास होगा तब इसका दार मदार उस पर होगा कि वह इसको मानता है या नहीं । बहरहाल पता नहीं वह बिल कब आयेगा और कब मालगुजार को इससे फुर्सत मिलेगी । एक साल में आये, पता नहीं कितना वक्त लगे, तब तक पता नहीं एलेक्शन के वक्त नम्बरदार और मालगुजार पर कितना गजब हो जायेगा । इसके बाद जनाबवाला मुलाहिजा फ़रमायेंगे कि वही अल्फ़ाज़ "जो पुलिस का कार्य नहीं करते हैं" जिनपर कि पहले ऐतराज़ किया गया था उनके मानी को लेकर फिर झगड़ा उठेगा और मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि एलेक्शन पेटिशन के अन्दर जब झगड़ा होगा तो सवाल उठेगा कि इन अल्फ़ाज़ के क्या मानी हैं । प्रीवेंशन आफ़ डिस्क्वालिफिकेशन (अमेंडमेंट) बिल में यह बड़ी गलती की इन अल्फ़ाज़ को बगैर यह कहे हुये कि यह एक्सक्लूडेड हैं या नानएक्सक्लूडेड हैं, हमने रख दिया और इसका फ़ैसला स्क्रुटिनी आफ़िसर के हाथ में दे दिया कि आया वह पुलिस फ़ंक्शन एक्सरसाइज़ करता है कि नहीं । अब आप उसी ग़लती को इस बिल में रिपीट करने लगे हैं और चूंकि मुबहम अल्फ़ाज़ हैं इसलिये हर एक एलेक्शन पेटिशन में इनको लेकर झगड़ा उठेगा और यह कहा जायेगा कि वह पुलिस फ़ंक्शन डिस्चार्ज करता था । इसका फ़ैसला कि वह पुलिस फ़ंक्शन डिस्चार्ज करता है कि नहीं, स्क्रुटिनी आफ़िसर के हाथ में दे दिया गया है और चूंकि इन अल्फ़ाज़ के मुबहम माने निकलते हैं इसलिये वहां पर यह झगड़ा उठ खड़ा होगा । मैं चाहता हूं कि आनरेबुल मिनिस्टर ही मुझे यह बतला दें कि आखिर पुलिस फ़ंक्शन के क्या माने हैं ? मैंने पुलिस ऐक्ट पढ़ा है और जिस जगह पर पुलिस के फ़ंक्शंन दर्ज हैं वहीं पर पुलिस फ़ंक्शन में यह भी दिया हुआ है 'कि शांति के प्रभावित करने वाली बातों की जानकारी देना' यह भी एक काम है । मैं जनाब की तवज्जह क्रिमिनल प्रोसीज्योर कोड की दफा ४५ की तरफ दिलाना चाहता हूं जहां पर यह दर्ज है कि हर एक हैडमैन का यह फ़र्ज होगा कि अगर कोई बदमाश इलाके से गुज़रे तो

[पं० ठाकुर दास भार्गव]

उसकी खबर वह पुलिस में दिया करे। अगर कोई जुर्म हो या किसी जुर्म के होने का अंदेशा हो या जो भी उसके बारे में खबर मिले उसकी जाकर पुलिस में इत्तिला दे। हैडमैन को किसी भी औफेंस की अथवा किसी औफेंस की एटेम्पट होने की खबर लगे, तो उसकी पुलिस में उसकी इत्तिला करनी होती है। २३१ से लेकर २३८ तक और ३०२, ३०४ और ४३९ दफ़ाओं के मातहत होने वाले जुर्मों का अगर उसे पता लगे तो इनकी इनफ़ार्मेशन वह पुलिस में दे। और खास बात उनमें यह है कि "ऐसी बात जिससे शांति में व्यववात होता हो" उसके सम्बन्ध में भी जाकर पुलिस को इत्तिला दे। इसके माने यह हैं कि पुलिस फ़ंक्शंस जो कि पुलिस ऐक्ट में दिये हुये हैं वे सब लागू होंगे और वह क्रिमिनल प्रोसीज्योर कोड से तय हो जाते हैं।

हमें जो लिटरेचर पेश किया गया उसमें दर्ज था कि जहां तक राजस्थान और पंजाब का सवाल है वहां तक १५ फ़ंक्शंस लम्बरदार के हुआ करते हैं। इसलिये मेरा कहना यह है कि ऐसे अल्फ़ाज़ ही क्यों रखे जायें जो कि मुबहम हों और जिनका कि इंटरप्रेटेशन एम्बीगुअस हो। वहां पर अगर उनकी ऐसी मंशा है कि लम्बरदार को छूट होनी चाहिये और लम्बरदार इज़ एक्सक्लूडेड तो मुझे तो वह पसन्द है और उसके लिये जो मैंने तरमीम पेश की है कि इनको निकाल दिया, उसको मंजूर कर लिया जाय। इसका एक नतीजा यह निकलेगा कि पटवारी वगैरह अफ़सर जिनको कि १२३ दफ़ा में रेवेन्यु आफ़िसर कहा गया है हालांकि पटवारी रेवेन्यु आफ़िसर नहीं है और मैं जनाब की तवज्जह सैक्शन ३(११) पंजाब टेनेन्सी एक्ट और सैक्शन ४ (१२) लैंड रेवेन्यू ऐक्ट की तरफ़ दिलाना चाहता हूं जिसके कि अन्दर तारीफ़ की गई है कि विलेज आफ़िसर कौन होता है। उसमें विलेज आफ़िसर के वास्ते लिखा है 'विलेज आफ़िसर का अर्थ मुखिया या पटवारी से है' फिर रेवेन्यू आफ़िसर की तारीफ़ है। सेक्शन ३ और ४ में लिखा है कि रेवेन्यू आफ़िसर वह होता है जो कि ऐक्ट के मातहत पैदावार से अपनी गुज़र करता है। अब इन दोनों तारीफ़ों की रू से लम्बरदार और पटवारी यह दोनों के दोनों रेवेन्यू आफ़िसर नहीं हैं और अगर कहीं इसका झगड़ा पड़ा और अगर एलेक्शन पेटिशन हुई तो चूंकि वह रेवेन्यू आफ़िसर नहीं है और वे इस शर्त को पूरा नहीं करते हैं। और इस बिना पर वह एलेक्शन रेट एसाइड हो जायेगा। इसलिये मेरा कहना यह है कि ऐसे मुबहम अल्फ़ाज़ क्यों रखे जायें जिनके कि दो तीन माने हो सकते हों। हमारे ला मिनिस्टर साहब मैं समझता हूं कि वे शायद पंजाब टेनेन्सी ऐक्ट और लैंड रेवेन्यू के लोकल ऐक्ट से पूरी तरह वाकिफ़ नहीं होंगे। इसलिये मेरी गुज़ारिश है कि वह इस पर फिर से पूरी तरह सोच विचार करें कि इसका क्या असर पड़ेगा और मैं तो चाहूंगा कि इसको थोड़े समय के लिये मुल्तवी कर दिया जाय और बाद में विचार करके एक कम्प्रीहैंसिव बिल लायें। और उसमें जो प्राविज़न ज़रूरी हों, उनको रक्खें।

मुझे यह जरा अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि किसी प्राइवेट मेम्बर की बात चाहे कितनी ही रीज़नेबुल हो, मिनिस्टर साहब अपनी चीज़ में एक कौमा का भी हेरफेर करना पसन्द नहीं करते हैं और उस हालत में जब वह किसी की बात नहीं सुनते और अपने मन की करते हैं तब इसके लिये जिम्मेदारी भी उन्हीं की होगी। मेरी समझ में पंजाब में इसका खराब असर होगा और हमेशा लम्बरदार की जान आफ़त में रहेगी कि उसको एग्ज़म्पशन मिला कि नहीं और इसलिये मैं चाहता हूं कि यह डाउटफुल है और इसलिये इन्हें निकाल देना चाहिये।

इस हमारे बिल के अन्दर जो कि अब ऐक्ट बनने जा रहा है इसमें कई ऐसी तरमीमें हैं जो कि दरअसल बड़ी मुफ़ीद है मसलन् जहां कि एलेक्टोरल रोल तबदील करने का ज़िक्र आया है। मैं खुश हूं कि आपने श्री ईश्वर अय्यर का यह सुझाव मान लिया है कि जब तक उस आदमी को बुला कर सुन न लिया जाय तब तक उसको तबदील न किया जाय। इसलिये मैं एक बार फिर

यही कहूंगा कि इस बिल के अन्दर जो ऐसी चीजें हैं जिनसे मुकद्दमेबाज़ी बढ़ेगी और एलेक्शंस ला ज्यादा कम्पलीकेटेड हो जायेंगे, ऐसी चीजों को रखना मुनासिब नहीं है, इन अल्फ़ाज़ के साथ मैं इसको सपोर्ट करता हूं ।

†**श्री केशव** (बंगलौर नगर) : ग्रामीण क्षेत्र से आये हुये एक माननीय सदस्य ने मतदाताओं को परिचय पत्र देने का विरोध किया है । वस्तुतः नगरों में इसकी बहुत आवश्यकता है क्योंकि वहां नाम बदल कर मतदान देने की बुराई व्यापक रूप में फैली हुई है । अतः वहां परिचय पत्र प्रथा लागू करना आवश्यक है । निस्संदेह इस प्रथा को क्रियान्वित करने में कुछ कठिनाइयां होंगी और संभव है कि यह व्यावहारिक सिद्ध न हो तब हम इसमें तदनुसार परिवर्तन कर सकते हैं ।

एक अन्य बात यह है कि उच्च न्यायालय के निर्णय को संसद के अध्यक्ष या विधान सभाओं के अध्यक्ष या सभापति तक भेजने सम्बन्धी कोई उपबन्ध नहीं है । जब चुनाव न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जाती है और वहां से 'कार्य रोको' आदेश मिल जाता है तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि उक्त आदेश न केवल चुनाव आयोग के अपितु तत्सम्बन्धी सभा के अध्यक्ष को भी भेजा जाय । इससे सदस्य को असुविधाओं से मुक्ति मिलेगी । अतः मंत्री महोदय को इस प्रश्न पर विचार करना चाहिये ।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : सत्र के अन्तिम दिनों में हम एक महत्वपूर्ण विधेयक को बहुत शीघ्रता से पारित करने का प्रयत्न कर रहे हैं । तथापि मैं आपका ध्यान धारा ७ की उपधारा (घ) के हटाने की ओर दिलाना चाहता हूं । जिस से आपने सरकारी ठेकेदारों को संसद में आने की खुली छूट प्रदान कर दी है । वस्तुतः यह लोकतंत्र का उपहास करने के समान है । क्योंकि वे लोग सभा में आकर भी ठेके लेने का प्रयत्न करेंगे और सदैव सरकार को प्रसन्न रखने का प्रयत्न करेंगे । उन्हें संसद सदस्य होने के नाते बहुमूल्य जानकारी भी मिलती रहेगी जिसका कि वे लाभ उठायेंगे इसके अलावा अपने पद के कारण वे अधिकारियों को प्रभावित कर अपने कामों को पास करवाने या अपने काम को पूर्ववर्तिता दिलाने में सफल होंगे । फलस्वरूप भ्रष्टाचार बढ़ेगा । इसके पक्ष में यह दलील दी गई है कि इंगलैंड में भी ऐसा ही किया गया है । तथापि सरकार को याद रखना चाहिये कि इंगलैंड में लोकतंत्र की परम्परा ७ शताब्दि पुरानी है जब कि भारत में अभी इसे प्रारम्भ हुये केवल ८ वर्ष हो रहे हैं । मैं नहीं समझता कि इन सरकारी ठेकेदारों के बिना संसद् का काम चल ही नहीं सकता है अतः इन्हें लाना अनिवार्य है भले ही इससे लोक-सभा के अन्दर ही भ्रष्टाचार बढ़ जाय ।

इस संशोधन का एक परिणाम यह भी होगा कि सरकार लम्बरदार पटेल इत्यादि में से एक चुनाव सेना बनाने में समर्थ होगी । सरकार ऐसा आदेश निकाल सकती है कि वे सब कांग्रेसी उम्मीदवार की मदद करें । इसका परिणाम यही होगा कि हमारे चुनाव जो अभी तक अपेक्षाकृत स्वतंत्र और निष्पक्ष हुये हैं अब पक्षपातपूर्ण हो जायेंगे और लोकतंत्र की सारी मर्यादा समाप्त हो जायेगी ।

जहां तक परिचय पत्रों का सम्बन्ध है मैं उनका समर्थन करता हूं तथापि उनमें फोटो होने आवश्यक नहीं हैं । यदि आप परिचय पत्र जारी ही करना चाहते हैं तो आप उनमें मतदाता का नाम, संख्या, निर्वाचन नामावलि में उसकी पृष्ठ संख्या इत्यादि ही देवें । इससे उम्मीदवार के लाखों रुपयों की बचत होगी और लक्ष्य सिद्धि भी हो सकती है ।

अतः मैं विधेयक के उक्त खण्डों का विरोध करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बर्मन** (कूच बिहार–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : प्रवर समिति के प्रमुख सदस्य ने यह कहा है कि प्रवर समिति ने विषय को सरसरी दृष्टि से देखा है। वस्तुतः केवल दो दिनों में विषय को गहराई से देखना संभव भी नहीं था। उक्त सदस्य ने अपना मत सदस्यों के समक्ष रखा तथापि वे बहुमत को सन्तुष्ट नहीं कर पाये।

इस विधेयक का सब से विवादग्रस्त खंड १५ है यद्यपि बहुत से सदस्य प्रवर समिति के निर्णय से असन्तुष्ट रहे तथापि वे कोई वैकल्पिक हल भी नहीं सुझा सके। मूल खंड से भी प्रवर समिति के सदस्य असंतुष्ट थे क्योंकि मूल खंड के अनुसार भी भले ही कोई व्यक्ति स्वयं ठेके इत्यादि न ले लेकिन अपने भागीदार के द्वारा यह कार्य कर सकता था।

श्री भरूचा ने कहा है कि इस खंड के रहने पर केवल .०००१ प्रतिशत व्यक्ति अनर्हत होते। यह गलत है। आज देश में सरकार सब से बड़ी खरीददार है। सरकार किसानों से अनाज और जूता बनाने वालों से जूते खरीद रही है तो क्या सारे किसान या मोची लोग अनर्हत करार दिये जायं। अतः हम तत्काल ऐसा नियम नहीं बना सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति ने सरकार से अमुक राशि से अधिक का ठेका लिया हो तो उसे अनर्हत करार दिया जाय, यह गलत है। इसीलिये प्रवर समिति को इस मामले में इंगलैंड का अनुकरण करना पड़ा। हमें देखना चाहिये कि इसका क्या प्रभाव होता है। अतः यह आरोप लगाना कि प्रवर समिति ने विधेयक पर गम्भीरता से विचार नहीं किया गलत है।

†**श्री बि० दास गुप्त** (पुरुलिया) : खण्ड १५ और ३४ के सम्बन्ध में अनेक बातें कही गई हैं। कुछ लोगों ने कहा कि १९५१ के अधिनियम की धारा ७ (घ) को बिल्कुल निकाल दिया जाय। मुझे आशा नहीं थी कि माननीय मंत्री इस विधेयक के मूल संशोधन के लिये तनिक भी आग्रह करेंगे। खण्ड १५ धारा ७(घ) का संशोधन करता है। इसका कारण यह है कि उसकी भाषा अस्पष्ट तथा बहुत विस्तृत है। सरकार का कहना है कि पिछले अनुभवों को ध्यान में रखते हुये उसने यह संशोधन प्रस्तुत किया है जिसमें उस धारा की भाषा को स्पष्ट किया गया है।

अन्य वधानिक प्रश्नों तथा प्रविधियों के अतिरिक्त, मेरा निवेदन है कि हमारे देश की स्थिति ब्रिटेन की स्थिति से भिन्न है। हमारे देश में भ्रष्टाचार खूब फैला हुआ है। और इस प्रकार हम भ्रष्टाचारी व्यक्तियों को विधानमण्डलों में आने की खुली छूट दे रहे हैं। यह बात हमारे देश के लिये बहुत घातक सिद्ध होगी। मैं माननीय मंत्री से निवदन करूंगा कि वह इस बात पर विचार करें कि सरकार से ठका लेने वाले व्यक्तियों को विधान मण्डलों में न आने दिया जाय अन्यथा स्थिति बहुत ही खराब हो जायगी। आशा है माननीय मंत्री माननीय सदस्यों के किसी न किसी संशोधन को स्वीकार करेंगे।

खण्ड ३४ के सम्बन्ध में प्रवर समिति ने "उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की अनुमति से" शब्द जोड़ने की बात कही है। यह बहुत गम्भीर व खतरनाक संशोधन है। क्या इस प्रकार कोई भ्रष्टाचार का मामला सिद्ध हो सकेगा ? उपखण्ड (३) या उपखण्ड (४) में यदि हम इन शब्दों को जोड़ देंगे तो क्या स्थिति होगी ? इस प्रकार तो भ्रष्टाचार को और भी प्रोत्साहन मिलेगा अतः मेरा निवदन है कि माननीय मंत्री इस बात पर विचार करें और या तो अपना मूल

†मूल अंग्रेजी में

संशोधन या अन्य किसी संशोधन को स्वीकार करें ताकि यह त्रुटि दूर हो जाये । खण्ड ३४ में इन शब्दों का रखा जाना ठीक नहीं है ।

†**श्री श्रीनारायण दास** (दरभंगा) : मेरे विमति टिप्पण पर श्री बर्मन को, जो प्रवर समिति के सभापति थे, कुछ आपत्ति थी । मेरा निवेदन है कि यदि उन शब्दों से उन्हें कुछ ठेस पहुंची है तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं । यह विधेयक प्रवर समिति को सौंपा गया था । पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा था कि सम्पूर्ण अधिनियम का पुनरीक्षण किया जाय पर उनके सुझाव को स्वीकार नहीं किया गया । मेरा निवेदन है कि प्रत्येक सामान्य चुनाव के पूर्व सम्पूर्ण अधिनियम का पुनरीक्षण अवश्य किया जाय । इसके लिये विजित तथा विजेता दोनों प्रकार के उम्मीदवारों तथा सामान्य जनता के अनुभवों को सामने रख कर अधिनियम में संशोधन किया जाना अधिक उचित होगा । और उसके बाद सरकार को एक विस्तृत विधान प्रस्तुत करना चाहिये ।

चुनाव याचिकाओं के सम्बन्ध में, मेरा निवेदन है कि पिछले निर्वाचनों के अनुभव के आधार पर सरकार ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के कुछ उपबन्धों में संशोधन किया था । उसमें कहा गया था कि न्यायाधिकरणों का निर्णय अन्तिम माना जायेगा । उसके बाद भी चुनाव याचिका के अनेक मामले उच्च न्यायालयों व सर्वोच्च न्यायालय में गये । गत चुनाव के सम्बन्ध में भी अभी बहुत सी याचिकायें पड़ी हैं । क्या सरकार ने याचिकाओं की संख्या कम करने तथा उनको शीघ्रता से निबटाने के सम्बन्ध में कुछ किया है ?

मेरा निवेदन है कि इस विधेयक को पारित करने के बाद विभिन्न वर्गों तथा जनता से सुझाव मांगें जायें और उनके आधार पर संशोधन करके एक विस्तृत विधान प्रस्तुत किया जाये ।

खण्ड १५ को लीजिये । संविधान के अनुच्छेद १०२ के उपबन्धों के अनुसार कोई भी लाभ-पद धारण करने वाला व्यक्ति सभा का सदस्य नहीं बन सकता । १९५१ में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम पारित करते समय धारा ७(घ) में इस अनुच्छेद के अनुरूप ही उपबन्ध किया गया था । इस समय सरकार इस पूरी धारा को निकालना चाहती है । मैं चाहता हूं कि सरकार इस बात पर पुनः विचार करे और वर्तमान विधेयक के खण्ड १५ को स्वीकार न करे तथा उक्त धारा ७(घ) को यथापूर्व रहने दे । उस के पश्चात् योजना आयोग तथा जनता से सुझाव मांगने के बाद आगामी सामान्य चुनाव के पूर्व एक विस्तृत विधान प्रस्तुत करे । अन्य उपबन्धों के सम्बन्ध में मुझे कुछ भी नहीं कहना है ।

श्री ब्रजराज सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, दो तीन बातें मैं संक्षेप में कहना चाहता हूं । जहां तक नए बिल की फ़ोटोग्राफ़ और आइडेन्टिटी कार्ड सम्बन्धी धारा का सम्बन्ध है, मुझे उस के बारे में कुछ शंकायें हैं । मैं चाहूंगा कि कानून मंत्री इस को पास करने से पहले यह देख लें कि कहीं यह धारा हमारे कांस्टीच्यूशन के आर्टिकल ३२६ और रिप्रेज़ेन्टेशन आफ़ दी पीपल एक्ट, १९५१ की धारा ६२ को तो इनफ्रिन्ज नहीं करती है । कांस्टीच्यूशन का आर्टिकल ३२६ इस प्रकार है —

"लोक-सभा तथा प्रत्येक राज्य की विधान-सभा के लिये निर्वाचन वयस्क-मताधिकार के आधार पर होंगे, अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है तथा जो ऐसी तारीख पर, जैसी की समुचित विधान मण्डल द्वारा निर्मित किसी विधि के द्वारा या अधीन इसलिये नियत की गई हो, इक्कीस वर्ष की अवस्था से कम नहीं है, तथा इस संविधान अथवा समुचित विधान-मंडल द्वारा निर्मित किसी

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ब्रजराज सिंह]

विधि के अधीन अनिवास, चित्त-विकृति, अपराध अथवा भ्रष्ट या अवैध आचार के आधार पर अनर्ह नहीं कर दिया गया है, ऐसे किसी निर्वाचन में मतदाता के रूप में पंजीबद्ध होने का हक्कदार होगा।"

आर्टिकल ३२६ में सिर्फ़ यह व्यवस्था है कि हर वह व्यक्ति जो नान-रेज़ीडेंस, अनसाउंड माइन्ड, क्राइम या करप्ट आर इल्लीगल प्रैक्टिस के ग्राउंड पर डिस्क्वालिफ़ाई नहीं होगा, वह वोटर के तौर पर रजिस्टर्ड हो सकेगा। सैक्शन ६२ कहता है —

> "किसी निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में जिस व्यक्ति का नाम तत्समय प्रविष्ट नहीं है, वह उस निर्वाचन क्षेत्र में मत देने के लिये हक्कदार न होगा और किसी निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलि में जिस व्यक्ति का नाम तत्समय प्रविष्ट है ऐसा प्रत्येक व्यक्ति इस अधिनियम में अन्यथा स्पष्टतः उपबन्धित् के सिवाय उस निर्वाचन क्षेत्र में मत देने के लिये हक्कदार होगा।"

जिस के माने ये हैं कि अगर किसी व्यक्ति के लिए ये ग्राउंड्ज़ नहीं हैं और वह किसी कांस्टीच्युएन्सी में रजिस्टर्ड है, तो उस को वोट देने का हक होगा। इस नए बिल की क्लाज़ २५(सी) में यह कहा गया है—

> "किसी मतदान केन्द्र पर मतदान करने के लिए किसी व्यक्ति को मतदान पत्र देने के लिये मना किया जा सकेगा यदि मतदान पत्र मांगते समय उसके अंगूठे या अन्य किसी उंगली पर ऐसा कोई चिन्ह होगा या मांग किये जाने पर वह मतदान केन्द्र के निर्वाचन अधिकारी या मतदान अधिकारी के सामने अपना पहचान पत्र उपस्थित नहीं कर सकेगा।"

मेरा निवेदन यह है कि जहां तक अंगूठे या उंगली पर निशान का सवाल है, वह तो अब तक देखा जा सकता था। अगर कोई मार्क हुआ, तो पोलिंग आफ़िसर रेफ़्यूज़ कर सकता था कि तुम वोट डाल चुके हो, तुम को बैलट पेपर नहीं दिया जायेगा। इस का मतलब यह है कि रजिस्टर्ड वोटर अपने वोट देने के अधिकार का इस्तेमाल कर सके और दोबारा वोट न दे सके। लेकिन इस नई धारा से यह खतरा पैदा हो सकता है कि एक आदमी का नाम इलैक्ट्रल रोल में रजिस्टर्ड है और उस को इस नई धारा के मुताबिक आइडेन्टिटी कार्ड दिया गया है, लेकिन अगर वह कार्ड खो जाता है, तो पोलिंग स्टेशन पर उस को कहा जायेगा कि चूंकि तुम अपना आइडेन्टिटी कार्ड नहीं दिखा सकते, इस लिए तुम को वोट नहीं डालने दिया जायगा अर्थात् आइडेन्टिटी कार्ड के खो जाने से उस का वोट देने का अधिकार ही छिन जायगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह का प्राविज़न कांस्टीच्यूशन के आर्टिकल ३२६ और १९५१ के एक्ट की धारा ६२ के खिलाफ़ जाता है। सरकार कोई इस तरह का कानून नहीं बना सकती है, जिस से वह किसी आदमी को, जो कि वोटर के रूप में रजिस्टर्ड है, वोट देने से रोक सके। वह दूसरी बार वोट न दे सके, इस का उपाय तो सरकार कर सकती है, लेकिन इस नये बिल में यह व्यवस्था की जा रही है कि आइडेन्टिटी कार्ड खो जाने पर कोई आदमी एक बार भी वोट न दे पाए। हो सकता है कि बहुत से आदमी, जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं, इस धारा की वजह से वोट देने के अपने अधिकार का इस्तेमाल न कर सके। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह अधिकार आप ले नहीं सकते हैं। इस तरह का कानून बनाने से पहले कानून मंत्री को अच्छी तरह से विचार कर लेना चाहिए।

जहां तक इस की व्यवस्था का सवाल है, बहुत सी दिक्कतें उठ खड़ी हो सकती हैं। कहा जाता है कि १९६२ के इलेक्शन से पहले हम इस को सिर्फ़ शहरों में लागू करना चाहते हैं और इस के लिये एक काम्प्रीहैंसिव ला लाया जायगा। अगर यही बात है, तो मैं कहना चाहता हूं कि ग़लत तौर पर वोट देने और दोबारा वोट देने की कोई ऐसी बड़ी समस्या पैदा नहीं हो गई है, जिस के लिए इस तरह की

व्यवस्था रखी जाय, जिस के परिणामस्वरूप बहुत से लोगों के बोट देने के अधिकार से बंचित हो जाने की आशंका हो। इस सदन में बार बार कहा जाता है कि इस विषय में सब की राय ली जानी चाहिए और पहले जो चुनाव हो चुके हैं, उन के तजुर्बे से लाभ उठाया जाना चाहिए। इस बात को दृष्टि में रख कर और कानूनी दिक्कतों के कारण, जिन का कि मैंने अभी ज़िक्र किया है, कानून मंत्री कम से कम इस धारा को इस वक्त पास कराने की कोशिश न करें।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस कानून में हम ने नई व्यवस्था की है कि पार्लियामेंट और असेम्बली के मेम्बरों को अपने निर्वाचन-क्षेत्र में जहां वे रजिस्टर्ड हैं, वोट का अधिकार इस्तेमाल करने से इसलिए नहीं रोका जा सकेगा कि वे वहां नहीं रहते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि फ़ौज के लोगों और दूसरी ऐसी सर्विसिज़ के लोगों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। हो सकता है कि ऐसा करके हम लाखों आदमियों को डिस-एनफ्रेन्चाइज़ करदें तो मैं चाहता हूं कि इस धारा को पास करने से पहले अच्छी तरह से विचार कर लिया जाये।

अन्त में मैं ठेकों के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। ठेके की बात जो आज लाई जा रही है, मैं समझता हूं कि वह बहुत ही खतरनाक बात है। उस से पार्लियामेंट की निष्पक्षता नष्ट हो सकती है। उस से पार्टियों का बैलेंस—संतुलन—नष्ट हो सकता है। उस से जनतंत्र को खतरा पैदा हो सकता है। ताज्जुब यह है कि इस से पहले गवर्नमेंट का दिमाग दूसरी तरफ़ था, लेकिन इस बीच में यह निश्चय किया गया कि सरकार अनाज का थोक व्यापार अपने हाथ में लेना चाहती है, इसलिए अब सम्बन्धित धारा में परिवर्तन करने का निश्चय किया गया है। इस के साफ़ मायाने हैं कि बहुत से लोग, जो कि सरकारी पार्टी से सम्बन्धित हैं, अनाज के थोक व्यापार में ले लिए जायेंगे। राज्यों में इस तरह की बातें चलती हैं कि आज इस चीफ़ मिनिस्टर को खतरा है और कल दूसरे चीफ़ मिनिस्टर को खतरा है, झगड़े चल रहे हैं। लोगों पर असर डालने के लिए ही यह व्यवस्था की जा रही है। यह जनतंत्र के लिए खतरा होगा, इस लिए इस धारा को पास न किया जाये।

†**श्री अ० कु० सेन** : श्री खुशवक्त राय और श्री श्रीनारायण दास का कहना है कि हमें एक विस्तृत विधान के लिए प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। इस विधेयक पर पहली बार विचार करने का समय मैंने बताया था कि जब तक कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त इस बात की आवश्यकता महसूस नहीं करते हम कोई विस्तृत विधान नहीं प्रस्तुत करना चाहते। फिर, हमारा अधिनियम इतना दोषपूर्ण नहीं है कि हर पांचवें वर्ष उस में विस्तृत परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़े। हो सकता है कि बाद में कुछ उपबन्धों का संशोधन करना पड़े।

मैं सभा को बता चुका हूं कि जब तक कि विवचिन आयोग निर्वाचनों द्वारा प्राप्त अनुभव के आधार पर अधिनियम में परिवर्तन करने की आवश्यकता महसूस नहीं करता, तब तक विधान में स्वयं परिवर्तन करने की नीति सरकार की नहीं है। राजस्व पदाधिकारियों को जनवरी से लेने की बात के अतिरिक्त उस उपबन्धों की अविलम्बिता के संबंध में मैंने उस समय बताया था।

पहचान पत्रों का प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि यदि कुछ चुनाव क्षेत्रों में पहचान पत्र चलाने हैं, तो रजिस्टर तैयार करने तथा रजिस्टर में दर्ज लोगों को पहचान पत्र देने की तैयारी में दो वर्ष का समय लग जायेगा। इस संबंध में दो चुनाव क्षेत्रों में परीक्षण किया गया था। रजिस्टर में दर्ज व्यक्तियों के चित्र बनवाये गये और इसका परिणाम बहुत ही उत्साह जनक रहा। मैं समझता हूं कि कोई भी माननीय सदस्य हमारी राय से इस संबंध में असहमत नहीं है क्योंकि इस से किसी प्रकार गलत नाम से कोई व्यक्ति मतदान नहीं कर पायेगा जैसा कि पिछले दो सामान्य चुनावों में हुआ था।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० कु० सेन]

माननीय सदस्यों ने इसको कार्वान्वित करने में आने वाली कठिनाइयों का जिक्र किया है। मुझे स्मरण है कि जब प्रथम सामान्य चुनाव हुये थे और वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन की बात स्वीकार की गयी थी तो हमारे देश में तथा बाहर भी यह शंका उत्पन्न हुई थी कि देहातों में रहने वाले निरक्षर १९ करोड़ मतदाताओं द्वारा यह मतदान ठीक प्रकार सम्पन्न नहीं हो पायेगा। इस संबंध में अनेक कठिनाइयों का उल्लेख किया गया था और बहुत से विदेशी पत्रों ने भी कहा था कि दूरस्थ देहातों में रहने वाले निरक्षर लोगों के आधार पर इतना बड़ा निर्वाचन संभव नहीं होगा। पर मुझे प्रसन्नता है कि पिछले दिनों सामान्य चुनावों ने लोगों की गलत फहमी दूर कर दी है और यह सिद्ध कर दिया है कि हमारी जनता लोकतंत्रात्मक प्रणाली की समर्थक है तथा अपने उत्तरदायित्व को समझदार मतदाता की तरह संभाल सकती है। हमारी इसी सफलता ने संसार को प्रभावित किया है। यह सब इस कारण संभव हो सका कि हमारे संविधान ने निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र सत्ता प्रदान की है। निर्वाचन के संबंध में हमें निर्वाचन आयोग की सिफारिशों पर ही ध्यान देना चाहिए। जब निर्वाचन आयोग किसी भी प्रकार की कार्यवाही की सिफारिश करता है तो हमें बिना अच्छी तरह विचार किये सिफारिशों को अस्वीकार नहीं करना चाहिए। वर्तमान विधेयक को हमने मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर प्रस्तुत किया है। यदि पहचान पत्र संबंधी उपबन्ध को लागू करने में कठिनाईयां आयेंगी तो निर्वाचन आयोग उन कठिनाइयों का सामना करेगा। फिर भी यह बात किसी के विरूद्ध नहीं है क्योंकि यदि निर्वाचकों को जब तक पहचान पत्र नहीं दिये जायेंगे तब तक उन से मतपत्र लेते समय पहचान पत्र मांगे नहीं जायेंगे। कुछ लोगों ने कहा कि यदि पहचान पत्र न दिये जायें तो क्या हानि है। जिस चुनाव क्षेत्र में पहचान पत्र बांटे जायेंगे वहीं मतदाताओं पर यह जिम्मेदारी होगी अन्य चुनाव क्षेत्रों में यह जिम्मेदारी नहीं होगी।

श्री ब्रजराज सिंह ने जो वैधानिक बात उठाई है, मैं उसे समझने में असमर्थ हूं। संविधान के अनुच्छेद ३२६ में कहा गया है कि हमारे देश में निर्वाचन वयस्क-मताधिकार के आधार पर होगा और २१ वर्ष से अधिक आयु वाले सभी व्यक्ति मतदान कर सकेंगे। इस विधेयक के उपबन्धों द्वारा भी यह प्रयत्न किया जा रहा है कि सामान्यतया एक क्षेत्र में रहने वाले २१ वर्ष से अधिक आयु वाले सभी व्यक्तियों को मतदाता सूची में सम्मिलित कर लिया जाये। पर प्रत्येक देश और विधान मंडल को यह सुनिश्चित करने का अधिकार है कि वही व्यक्ति मतदान करे जिसका नाम रजिस्टर में है। यह बात ठीक है कि २१ वर्ष से अधिक आयु वाले सभी व्यक्तियों का नाम मतदान सूची में हो, पर विधान मंडल तथा निर्वाचन संगठन का कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि वही व्यक्ति मतदान करे जिसका नाम सूची में हो। इसी कारण न मिटने वाले चिन्हों संबंधी नियम है। यदि आप नियमों को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि मतदान अधिकारी या निर्वाचन अधिकारी को अधिकार होता है कि वे मतदान के लिए आने वाले प्रत्येक व्यक्ति से पूछ सकते हैं कि क्या वास्तव में वह वही व्यक्ति है जिसका नाम सूची में है। सभी प्रश्नों का उत्तर देने के बाद ही मतदाता को मतदान पत्र दिया जाता है क्योंकि मतदान पदाधिकारी का कर्त्तव्य है कि वह इस बात का ध्यान रखे कि एक विशेष व्यक्ति का मतदान पत्र उसी को दिया जाये अन्य किसी व्यक्ति को नहीं। ये सब उपबन्ध इसीलिए है कि जिस व्यक्ति को मत देने का अधिकार है वही व्यक्ति मत दे। कई बार ऐसे भी मामले हुये हैं कि जब कोई मतदाता मतदान के लिए जाता है तो उसे पता लगता है अन्य कोई व्यक्ति उसके स्थान पर मतदान कर चुका है। अतः ये नियम केवल यह सुनिश्चित करने के लिये हैं कि जिस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में है वही मतदान करे।

खण्ड ७ के संबंध में, इस खण्ड को बिल्कुल निकाल देने की बात से मैं भी खुश नहीं हूं। इस संबंध में मुझ पर जो आरोप लगाया गया है वह ठीक नहीं है। मूल विधेयक में इस धारा को निकाला

नहीं गया था । उस में केवल यह सुधार किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति संभवतः किसी प्रविधिक कारण से सरकार से कोई करार कर लेता है, जैसे कि वह रेडियो पर कोई वार्ता देता है, तो वह लोक-सभा की सदस्या के लिए चुनाव में खड़े होने के लिए अर्ह रहे । मूल धारा यही थी। पर हमारे सामने कुछ ऐसी बातें आईं जिन पर ध्यान देना आवश्यक है। पंडित ठाकुरदास भार्गव ने इस संबंध में जो बात कही थी, मैं उस से बहुत प्रभावित हुआ था । उन्होंने कहा था कि प्रत्येक वर्ष सरकार लाखों व्यक्तियों से अनाज लेती है तो इस प्रकार हर वर्ष में वह किसानों के साथ नया करार करती है । इस प्रकार यदि विधि इसी प्रकार रहेगी तो वे किसान इस पद के लिए अनर्ह रहेंगे । मैं व्यक्तिगत रूप से यह नहीं चाहता कि ऐसे किसान निर्वाचन में खड़े होने के लिए अनर्ह हों ।

इसके अतिरिक्त ठेका प्रणाली में बहुत से लोग जैसे मजदूर या अन्य लोग गांव के निर्माण-कार्य व अन्य नहरों आदि के निर्माण में काम करते हैं । श्री महन्ती ने एक संशोधन रखा था कि उड़ीसा तथा अन्य भागों में इस के कारण बड़ी कठिनाई पैदा हो गयी है । हम गांव के विकास का कार्य समुदाय के आधार पर कर रहे हैं और संबंधित विकास का कार्य गांव के कुछ व्यक्तियों को दे देते हैं । अतः उन्होंने ठीक ही कहा था कि इस प्रकार के विकास संबंधी कार्य करने वाले व्यक्तियों को अनर्हता की श्रेणी से मुक्त रखा जाये । उनकी बात में काफी शक्ति है ।

और भी अनेक बातें कही गयीं कि सरकार लोगों को सरकारी ठेकेदार बना कर, निर्वाचन कार्यकर्ता प्राप्त करना चाहती है । मैं समझता हूं कि वे तो अभी भी उम्मीदवार बने बिना भी, निर्वाचन कार्य कर्ता बन सकते हैं । हम यह नहीं चाहते कि ठेकेदार निर्वाचन कार्यकर्ता बनें, अतः मैं उस आरोप का खंडन करता हूं कि इस विधेयक के पीछे या इस खण्ड को निकालने के पीछे कोई सरकारी साजिश है क्योंकि इस खण्ड को तो प्रवर समिति ने निकाला है, हमने नहीं । इस संबंध में कोई जबरदस्ती हम नहीं कर सकते थे कि सरकार यह चाहती है । अतः मैं इस प्रकार के सुझाव या आरोप का खण्डन करता हूं कि सरकार ठेकेदारों से अपने निर्वाचन में चुनाव अभिकर्ता का काम लेने के लिये यह चाल चल रही है। हमारे शत्रु भी यह मानेंगे कि गत ९ वर्षों में सरकार ने लोकतंत्र की कोई गलत प्रणाली नहीं अपनाई है और हमारी लोकतंत्रात्मक प्रणाली संसार के अनेक देशों की लोकतंत्रात्मक प्रणाली की तुलना में कहीं अधिक अच्छी है । त्रुटियों को दूर करने के लिए पूरा प्रयत्न किया गया है पर हम सार्वजनिक नैतिकता में किसी देश से पीछे नहीं हैं और लोकतंत्रात्मक प्रणालियों के पालन में भी किसी से पीछे नहीं हैं । मुझे आशा है कि यह सरकार किसी ऐसे कार्य को नहीं करेगी जिस से लोकतंत्रात्मक परिपाटी के आधारों को आघात पहुंचे ।

यही मुख्य-मुख्य बातें थीं, जिनका मैंने उत्तर दिया है ।

† **उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

> "कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम १९५१ में, अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, बिचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २—(धारा ३ का संशोधन)

†**श्री भक्त दर्शन** (गढ़वाल) : मैं अपना संशोधन संख्या २५ प्रस्तुत करता हूं । श्रीमन् मैं ने जो संशोधन रखने की सूचना दी है, मुझे बहुत शंका है कि वह इस सदन में वैधानिक रूप से

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री भक्त दर्शन]

रखा जा सकता है या नहीं। इस संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे यह बताया गया है कि हमारे संविधान का जो अंग्रेजी संस्करण है उस में "हाउस आफ दि पीपल" शब्दों का प्रयोग किया गया है, लेकिन हिन्दी संस्करण में जो अनुवाद किया गया है उस में "लोकसभा" शब्द का प्रयोग किया गया है। लेकिन मैं समझता हूं कि संविधान की धारा ७९ में जो शब्दावली प्रयुक्त की गई है उस में लिखा है :

> "संघ के लिये एक संसद् होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिल कर बनेगी जिन के नाम क्रमश: राज्य परिषद् और लोक सभा होगे"।

अगर यह अनुवाद अधिकृत अर्थात् अथारिटेटिव था तो राज्य परिषद् का राज्य सभा में कैसे बदल दिया गया? यदि एग्जिक्यूटिव आर्डर के द्वारा बदला गया तो इस का मतलब यह है कि हिन्दी का जो अनुवाद है वह अधिकृत नहीं है। मेरा निवेदन यह है कि लोक सभा का नाम इतना लोकप्रिय हो चुका है कि उस को मैं यह तो नहीं कह सकता कि वह कानून सम्मत नहीं है या विधान सम्मत नहीं है और उसे बदला जा सकता है, मेरे प्रश्न उठाने का मतलब यह है कि हमारे विधि मंत्री इसे गम्भीरता पूर्वक सोचें राज्य सभा के लिये अंग्रेजी में कौंसिल आफ स्टेट शब्द आया है। हिन्दी तथा अन्य भाषाओं के अनुवाद जो हुए हैं उन को भी देख लिया जाय। मैं समझता हूं कि हमारे स्वर्गीय अध्यक्ष श्री मावलंकर साहब ने जिन्होंने बहुत जाज्वल्यमान ढंग से और आदर्श के साथ इस स्थान को सुशोभित किया था, उन्होंने लोक सभा का नाम रखने का कदम उठाया और जो हमारे राज्य सभा के चेअरमैन हैं उन्होंने भी उसको स्वीकार किया था कि उन के सदन का नाम राज्य सभा में परिवर्तित कर दिया जाय। इस पर कानूनी तौर पर विचार किया जाना चाहिये। नहीं तो यह नहीं हैं कि शासन प्रबन्ध की सुबिधा की दृष्टि से आज लोक सभा और राज्य सभा शब्दों का हम लोग यहां प्रयोग कर रहे हैं? मैं चाहता हूं कि इस पर विचार किया जाये और आशा करता हूं कि हमारे विधि मंत्री महोदय इस पर अवश्य ध्यान देंगे।

†**श्री अ० कु० सेन** : मैं पहले ही व्याख्या कर चुका हूं कि जहां तक अंग्रेजी के प्रारूप का संबंध है हम "हाउस आफ पीपल" शब्द ही प्रयोग करते हैं जो संविधान में है। किन्तु जब इन विधियों का अनुवाद हिन्दी में किया जाता है तो हम 'लोक-सभा" शब्दों का प्रयोग करते हैं। लोक-सभा हिन्दी में ठीक है। यदि इसे यहां परिवर्तन किया गया तो सर्वत्र परिवर्तन करना होगा। वि न्तु हम सारी विधियों का अनुवाद कराते हैं वहां परिवर्तन हो जायेगा।

श्री भक्त दर्शन : क्या इस का मतलब यह है कि समय आने पर इस पर गम्भीरता से विचार किया जायेगा?

उपाध्यक्ष महोदय : यही कह रहे हैं वह। तो आप प्रेस तो नहीं करते?

श्री भक्त दर्शन : जी नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या इस सदन की आज्ञा है कि माननीय सदस्य अपने संशोधन को वापस ले लें?

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

संशोधन संख्या २५ सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"खंड २ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड ३ तथा ४ विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड ५—(धारा १४ का संशोधन)

†**डा० सामन्त सिंहार** (भुवनेश्वर) : मैं संशोधन संख्या १५ प्रस्तुत करता हूं।

यह संशोधन मैंने इस कारण दिया है कि मेरे क्षेत्र में राजस्व का एकगण जनवरी फरवरी आदि के महीनों में होता है। इससे वहां थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। शक सम्बत २२ मार्च से प्रारंभ होता है अतः निर्वाचक सूचियां नये कैलेडर के अनुसार परिवर्तित की जानी चाहिये।

श्री भक्त दर्शन : मैं अपना संशोधन संख्या २६ प्रस्तुत करता हूं :

इस संबंध में मुझे यह निवेदन करना है जैसा कि मैंने मूल विधेयक पर बोलते हुए कहा था कि पहाड़ों के अन्दर ऐसी जनसंख्या है जो जाड़े में मैदानों में उतर आती है। इस के सम्बन्ध में प्रश्न उठ सकता है। धारा ८ (१) (ए) के द्वारा यह सुविधा दी जा रही है कि यदि कोई व्यक्ति अस्थायी रूप से कहीं चले जायें तो उन को उन के अधिकारों से बंचित न किया जाय। मैं समझता हूं कि शायद हमारे विधि मंत्री महोदय का यह मतलब है कि यदि कोई भी कुछ दिनों के लिये अपने स्थायी निवास स्थान से दूसरे स्थानों को किसी रोजगार की तलाश में चले आते हैं तो उन को इन अधिकारों से बंचित न किया जाय।

इस संबंध में मुझे जो तिब्बत के सीमान्त निवासी हैं जो कि अस्थायी रूप से नहीं बल्कि स्थायी रूप से स्थान बदलते आ रहे हैं और छः महीने अपने घरों में रहते हैं और छः महीने बाहर रहते हैं, उनके बारे में कहना चाहता हूं। उनकी कठिनाई किस तरह से दूर होगी, इस सम्बन्ध में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं, और चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय उस पर गंभीरता से विचार कर के जनवरी के स्थान पर नवम्बर रख दें। यदि यह कर दिया जाय तो उन लोगों के लिये ज्यादा सुविधाजनक होगा। उधर से मेरे मित्र श्री सामन्त सिंहार ने भी जो बात रखी है उस में वह भी यही चाहते हैं कि यह कार्य जनवरी के महीने में न रक्खा जाय और उनका विचार है कि २२ मार्च उस की तिथि रक्खी जाय लेकिन वह भी मुझ से सहमत हैं कि अगर एक नवम्बर की तिथि रक्खी जाय तो वह सब के लिये सुविधाजनक होगी। अतः आशा है कि माननीय विधि मंत्री महोदय विचार करने की कृपा करेंगे।

†**श्री अ० कु० सेन** : माननीय सदस्यों को गलतफहमी है। 'जनवरी' कहने का तात्पर्य यह नहीं कि हम प्रत्येक वस्तु को जनवरी में ही करेंगे। उड़ीसा में काम मार्च में होगा। पहले हम ऐसा नहीं कर सकते थे किन्तु अब हम यह कर सकते हैं। जहां बर्फ जमी हो वहां जनवरी में काम कैसे होगा?

---

†मूल अंग्रेजी में

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १५ तथा २६ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"खंड ५ विधयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड ५ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ६ से ८ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खंड ९—(धारा २२ के स्थान पर नई धारा का रखा जाना)

निर्वाचन नामावलियों में शुद्धि

†**श्री श्रीनारायण दास** : मेरे संशोधन का आशय है कि निर्वाचक नामावलियों में शुद्धि करने के लिये भी स्थानीय निकायों से परामर्श लिया जाना चाहिये ।

†**श्री अ० कु० सेन** : यह नियमों की बात है इसकी व्यवस्था हो जायेगी ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड ९ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड ९ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १० विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ११—(धारा ३० के पश्चात् नई धारा ३१ तथा ३२ का रखा जाना—झूठी घोषणा करना तथा निर्वाचक नामावलियों की तैयारी से सम्बन्धित सरकारी कर्तव्य का पालन करना आदि)

†**श्री खुशवक्त राय** : मैं अपना संशोधन संख्या १ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री भक्त दर्शन** : मैं अपना संशोधन संख्या २७ प्रस्तुत करता हूं ।

श्री भक्त दर्शन : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इस सम्बन्ध में यह निवेदन है कि इस में फाइन के संबंध में जो भाषा प्रयोग की गई है उस में इस जुर्माने की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है और इसलिए लाखों रुपये का जुर्माना हो सकता है । इसलिए मैं ने यह २७ नवम्बर का संशोधन दिया है जिस में मैंने चाहा है कि उस में ५०० रुपये तक के जुर्माने की सीमा निर्धारित कर दी जाय । अतः मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय मेरे सुझाव को स्वीकार करने की कृपा करें क्योंकि जुर्माने की सीमा निर्धारित न करना मेरी समझ में उचित और न्यायपूर्ण नहीं होगा ।

†**श्री अ० कु० सेन** : हम इन संशोधनों को स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि ये अन्य उपबन्धों के विपरीत हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा ये संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

---

†मूल अंग्रेजी में

"खण्ड ११ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड ११ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड १२ से १४ विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड १५—(धारा ७ का संशोधन)

†**श्री ईश्वर अय्यर** (त्रिवेन्द्रम): मैं अपना संशोधन संख्या १७ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट): मैं संशोधन संख्या २१ प्रस्तुत करती हूं।

†**श्री खुशवक्त राय**: मैं अपना संशोधन संख्या २ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री बि० दास गुप्त**: मैं अपना संशोधन संख्या ३ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री मू० चं० जैन**: (कैथल): मैं अपना संशोधन संख्या २८ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री श्रीनारायण दास**: मैं अपना संशोधन संख्या ११ तथा १२ प्रस्तुत करता हूं। मेरा संशोधन संख्या ११ इस प्रकार है:

"कि पृष्ठ ४ में पंक्ति २० को हटा दिया जाय।"

†**श्री ईश्वर अय्यर**: श्रीमान् जो संशोधन धारा से संबंधित हों वही रखे जा सकते हैं। किन्तु प्रवर समिति तो धारा ७ (घ) को ही हटाना चाहती है। क्या नियम ८० के अधीन यह संभव है?

†**उपाध्यक्ष महोदय**: इसको मैं देख लूंगा। श्री जैन भाषण जारी रखें।

†**श्री मू० चं० जैन**: खंड १५ पर बहुत कुछ कहा गया है। धारा ७ (घ) को हटाने के लिये यह तर्क उपस्थित किया गया है कि इस प्रकार लाखों छोटे व्यक्ति भी विकास कार्यों में सरकार की सहायता करेंगे।

श्रीमान्, इस धारा को हटाये बिना भी इस उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती थी। इसके हटाने से तो एक बड़ी भारी गलती हो जायेगी।

कल्पना कीजिये कोई ठेकेदार है जिसे लोक निर्माण विभाग वाले उसके खराब आचरण के कारण काम देना बन्द कर देते हैं। क्या उसे संसद सदस्य बनाने की आज्ञा दी जा सकती है?

यदि मेरा संशोधन स्वीकार हो जाय तो किसी को भी कोई हानि नहीं पहुंचेगी। सारे खंड को हटा कर तो हम भ्रष्टाचार की व्याप्ति को उत्पन्न कर देंगे। वास्तव में लोग यह नहीं समझ रहे कि खण्ड हटा देने से क्या क्या हानियां होंगी? अतः इस संशोधन को स्वीकार करने में माननीय मंत्री को किसी प्रकार की कठिनाई अनुभव नहीं करनी चाहिये।

इंग्लैण्ड का उदाहरण दिया गया है किन्तु इंग्लैण्ड के स्तर से हमारा स्तर विभिन्न है। इसकी तुलना नहीं हो सकती।

श्री खुशवक्त राय: श्रीमन् अपने संशोधन के द्वारा मैं ने शब्द "नार्मल" बढ़ाया है। अगर "नार्मल ट्रेड आर बिजनेस" की बात आ जाती है, तो सरकार जिस काश्तकार से गल्ला खरीदेगी, वह

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री खुशवन्त राय]

इस धारा के अन्तर्गत नहीं आयेगा, क्योंकि वह उस का "नार्मल ट्रेड" नहीं होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि मैंने जो संशोधन दिया है, उस को माननीय मंत्री जी को स्वीकार कर लेना चाहिये।

हिसार के माननीय सदस्य ने कहा था कि अगर यह रहेगा, तो जितने पब्लिक कार्पोरेशन और नैशनल इंडस्ट्री के ठेके लेने वाले लोग हैं, वे सब डिस्क्वालिफ़ाइड हो जायेंगे। मैं उन की बहुत इज्ज़त करता हूं और उन के ज्ञान की बहुत इज्ज़त करता हूं, लेकिन मैं अदब से कहना चाहता हूं कि थाम्पसन वर्सस पीयर्ज़ के केस में यह रूलिंग दी गई थी कि अगर गवर्नमेंट का कंट्रेक्ट है, तो सम्बन्धित व्यक्ति डिस्क्वालिफ़ाइड हो जायेगा, लेकिन अगर कोई आटोनोमस बाडी या कार्पोरेशन हो, तो वह डिस्क्वालिफ़ाइड नहीं होगा।

कंट्रेक्ट के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी हम ने दिल्ली म्यूनिसिपल कार्पोरेशन बिल पास किया है और उस में यह व्यवस्था की है कि कार्पोरेशन के ठेकेदार मेम्बरी के लिए खड़े नहीं हो सकते हैं। मैंने म्यूनिसिपैलिटीज़ के और भी एक्ट्स देखे हैं। उन सब में यह व्यवस्था है कि कोई भी लोकल बाडी का ठेकेदार मेम्बरी के लिए खड़ा नहीं हो सकता है।

ठेकेदारी के मामले में देखने की बात यह है कि कि करप्टिंग एजेन्ट कौन है। अगर गवर्नमेंट या एग्ज़ेक्टिव अथारिटी करप्टिंग एजेन्ट है, तो सम्बन्धित व्यक्ति पर प्रतिबन्ध होना चाहिये, क्योंकि, जैसा हमारे साथियों ने कहा है, डेमोक्रेसी के लिए यह ज़रूरी है कि ऐसे करप्ट लोग इस सदन में न आयें।

जब हाउस आफ़ कामन्ज़ की सिलेक्ट कमेटी में इस प्रकार का बिल था, तो वहां के क्लार्क ने अपने दिल की शंका को इस प्रकार प्रकट किया था —

> "इस प्रकार की चीज के बाहर जाने से कि हम अनर्हता सम्बन्धी नियमों में ढिलाई कर रहे हैं बाहर यही बात ली जायेगी कि हम भ्रष्टाचार के लिये डील कर रहे हैं। यह बुरा होगा।"

वहां के क्लार्क ने भी कहा था कि यह चीज़ बाहर नहीं जानी चाहिये। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारा जो प्रजातंत्र है, वह एक बहुत छोटा सा बच्चा है। इसलिए यह ज़रूरी है कि हम इस बारे में जागरूक रहें।

†**श्री बर्मन** : श्रीमान्, मुझे श्री ईश्वर अय्यर की आपत्ति के सम्बन्ध में कुछ बातें कहना है। खण्ड १५ से १९५१ के अधिनियम की धारा ७ (घ) में कतिपय: परिवर्तन होने थे। संशोधन का अर्थ केवल शब्दों का ही परिवर्तन तो होता नहीं है। प्रवर समिति ने जो उपयुक्त समझा सिफारिश की। मैं समझता हूं कि यह सिफारिश किसी भी प्रकार से नियमों के विरूद्ध नहीं है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री ईश्वर अय्यर ने कहा है कि उद्देश्य धारा ७ (घ) में संशोधन करने का था किन्तु प्रवर समिति अपने कार्य का उल्लंघन करके बाहर चली गई है। यह तो ठीक है किन्तु हो सकता है प्रवर समिति में यह प्रश्न उठा हो तथा समिति के सभापति ने यह निर्णय दिया हो कि प्रवर समिति अपने अधिकारों में ही काम कर रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अब यदि सभा उसे स्वीकार न करे तो अलग बात है । वैसे श्री श्रीनारायण दास ने वास्तविक स्थिति बनाये रखने के लिये संशोधन प्रस्तुत किया है। यह सभा का काम है कि उस पर क्या निर्णय हो ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती:** मैं यह बात नहीं समझी कि प्रवर समिति के सभापति का विनिश्चय उस स्थिति को कैसे ठीक कर सकता है जो कि गुणावगुणों के आधार पर सभा में न ली जा सके ।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : यदि प्रवर समिति एक खंड के अतिरिक्त दूसरे में भी यथोचित संशोधन कर दे तो क्या सभा यह कह सकती है कि वैसा क्यों हुआ ? इस संबंध में भी मैं आपका स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : वास्तव में वही खंड संशोधित किये जा सकते हैं जो संशोधन करने वाले विधेयक का विषय हों ।

किन्तु अब जब कि यह चीज सभा के समक्ष है सभा ही इस पर निर्णय करेगी ।

†**श्री अ० कु० सेन** : क्या मैं भी इस सम्बन्ध में यहां कुछ कह सकता हूं । मैं श्रीमान् के विनिश्चय के अतिरिक्त गुणों के आधार पर कुछ निवेदन करना चाहता हूं । आप ने कहा सभा इस पर निर्णय करेगी । श्री ईश्वर अय्यर ने यह कैसे कहा कि यह प्रवर समिति की व्याप्ति से बाहर है । समिति ने धारा ७ (घ) के स्थान पर संशोधित धारा ७ (घ) रखी । धारा ७ (घ) का संशोधन सारी ही धारा के संशोधन करने से ही हो सकता है । धारा ७ (घ) के पाठ से विदित हो जायेगा कि संशोधन का प्रभाव यह है कि इसे यह हटाता है क्योंकि अब धारा ७ (घ) ही नहीं है ।

†**श्री हो० ना० मुकर्जी** : (कलकत्ता–मध्य) : पहले जब एक बार निवारक निरोध अधिनियम प्रवर समिति को सौंपा गया था हमें बताया गया था कि प्रवर समिति संशोधन करने वाले विधेयक तक ही अपने कार्य को सीमित न रखेगी किन्तु इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि समिति ने संशोधन अपनी ही इच्छा से कर दिया है ।

प्रतीत होता है किसी प्रकार की अस्पष्टता ही वहां रह गई ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : चाहेकुछ भी हो । अध्यक्ष प्रवर समिति के किये हुए काम को उलटने का उत्तरदायित्व नहीं ले सकता । यह सब चीजें अब सभा के सामने हैं । सभा यदि इसे ठीक नहीं समझती तो निसंदेह इसे अस्वीकृत कर सकती है । ऐसा संशोधन सभा के समक्ष है । सभा चाहे तो उसे स्वीकार कर ले और पहली बात को ही बनाये रखे ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मैं मानीय विधि मंत्री से सहमत हूं कि एक चीज को हटाना भी संशोधन ही है । यदि प्रवर समिति ने कोई गलती की है तो सभा उसे ठीक कर सकती है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : मेरा आशय संशोधन रखने का यह है कि प्रवर समिति ने वास्तव में वह खण्ड हटा दिया है जो अत्यन्त महत्वपूर्ण था । उसी के द्वारा सीधे सरकारी सम्बन्धों या हितों वाले लोगों को संसद् सदस्यता के लिये अनर्हता थी ।

अभी कुछ दिन पूर्व यह कहा जा रहा था कि संसद सदस्यों को निगमों में निदेशक बनने का अधिकार नहीं देना चाहिये । ताकि वे भ्रष्ट न हो जायें किन्तु इस कार्यवाही से भ्रष्टाचार के द्वार ही खोले जा रहे हैं ।

---

† मूल अंग्रेजी में ।

मैं समझती हूं कि मूल खंड वास्तव में ही लाभदायक था क्योंकि उससे भ्रष्टाचार के लिये तो कोई सामान्य स्थिति की व्युत्पति न थी।

किन्तु प्रवर समिति ने इस सारी बात ही को निकाल फेंका। संभवतया यह कार्यवाही इस कारण की गई हो कि इस सभा पर बड़े ठेकेदारों का ही कब्जा हो जाय। यदि थोड़ी सी बात वहां से हटा दी गई होती तो भी बात समझ में आ सकती थी किन्तु यह तो बड़ी दुखःद बात है कि वह सब तो वैसे ही है और उससे भी अधिक खराबी कर दी गई है। इस प्रकार तो जो लोग सरकारी कामों के ठेके लेंगे वे भी सभा के सदस्य बन बैठेंगे। आप ही बतायें कि इस से भ्रष्टाचार फैलेगा या घटेगा? अतः मैं इस बात का कठोर विरोध करती हूं।

†**श्री कोडियान** (क्विलोंन—रक्षित-अनुसूचित जातियां): मुझे खेद है कि प्रवर समिति ने धारा ७ (घ) को हटा देने की सिफारिश की है। यह वास्तव में खतरनाक काम है जो उस समिति ने किया है। इस प्रकार देश में प्रजातंत्र का स्वस्थ विकास नहीं हो सकता है। मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वह अब भी संशोधन संख्या १७ को स्वीकार कर लें।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

†**श्री ईश्वर अय्यर**: प्रवर समिति ने अपने संशोधन करने का आधार यह बनाया था कि भविष्य में सरकार कृषकों से प्रत्यक्षतः अनाज भी खरीदा करेगी; इस से कठिनाइयां आयेंगी। यह कोई ठोस आधार नहीं है। हम नहीं चाहते कि वह लोग भी सदस्य बनें जो सरकार से प्रत्यक्ष सौदे बाजी करने वाले हों। एक बुराई को दूर करने के लिए हमें दूसरी बुराई को नहीं लाना चाहिये। इससे संसद सदस्यों की स्वतंत्रता खत्म हो जायेगी। हम इसका विरोध करते हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: जनाब स्पीकर साहब, मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे कम्यूनिस्ट दोस्त जो डिस्क्वालिफिकेशन आफ मेम्बर्स आफ पार्लियामेंट बिल पर बड़े जोर शोर से कह रहे थे कि लोगों को ऐसी हालत में रक्खा जा रहा है कि मेम्बर बना कर और सेक्रेटरी बना कर पार्लियामेंट के मेम्बरों को सेड्यूस किया जा सकता है। आज उनकी आंखें खुली हैं। यह लोग स्पीचेज दिया करते थे कि गवर्नमेंट ने हाउस की प्योरिटी और इंडेपेंडेंस को खत्म कर दिया। एक तरफ यह कहा जा रहा है कि कंट्रेक्टर्स के आने से हाउस खराब हो जायेगा दूसरी तरफ हाउस ने आनरेबिल मिनिस्टर साहब की स्पीच को सुना तो उससे जाहिर हुआ कि लाखों लोग ऐसे होंगे जिनके हक को आप छीन रहे हैं। आज छोटे छोटे लोग हैं जिन से फडग्रेन्स के लिये हमारी सरकार कंट्रेक्ट कर रही है। अगर वे अल्फाज रक्खे गये जो कि दूसरे मेम्बर साहबान ने अपने अमेंडमेंट में दिये हैं तो मझे डर है कि लाखों लेबरर्स भी इस बिल की जद में आ जायेंगे। कंट्रेक्ट का लफ्ज इतना वाइड है जिसमें सभी तरह के आदमी शामिल हो जाते हैं। लेकिन ताहम मैं चश्म पोशी नहीं कर सकता उस चीज से जो कम्युनिस्ट पार्टी वालों ने फरमाया है और उनसे बढ कर श्री भरूचा, श्री श्रीनारायण दास और मूल चंद जैन ने जो चीज कही है उसको मैं फरामोश नहीं कर सकता। मुझे वह दिन बहुत बुरा मालूम होता है जब कि सी० पी० डब्ल्यू० डी० के कंट्रेक्टर्स और दूसरे लोग जो करोड़ों लाखों रुपया की हैसियत रखते हैं, यहां आयें क्योंकि वह लोग यहां आ गये तो जरूर हाउस की प्योरिटी कायम नहीं रहेगी। मुझे इस क्लाज से बहुत डर लगता है। जो तरमीम सिलेक्ट कमेटी की है वह मुश्किलात से भरी हुई है। जो कुछ हमारे चेअरमैन साहब, सेलेक्ट कमेटी ने फरमाया मैं उसकी ताईद करता हूं। दरअसल ऐसा क्लाज बनना चाहिये जिसकी वजह से वह दरवाजा न खुले जिसको आप फ्लड गेट कहते हैं। आज हम को वह दरवाजा नहीं खुलने देना चाहिये। लेकिन

†मूल अंग्रेजी में

जो लोग गवर्नमेंट को अपना अनाज देते या उनकी मजदूरी करते हैं वह भी हमारे इतने अजीज हैं जिसकी इन्तहा नहीं है। मैं नहीं चाहता कि उनके राइट्स जाते रहें। मुझे इसका अफसोस है कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में सिर्फ दो दिन के लिये भेजा गया वरना सेलेक्ट कमेटी इस चीज का कोई न कोई सोल्यूशन जरूर निकालती। मैंने उनसे दरख्वास्त की कि आप सब लोगों को इसके अन्दर अमेंडमेंट करने की इजाजत दे दें। लेकिन ला मिनिस्टर साहेब ने मन्जूर नहीं किया। मैं चाहता हूं कि इस बिल के बारे में अपना खुला दिल रख कर, ओपेन माइंड रख कर आनरेबुल मिनिस्टर कोई ऐसी चीज करें ताकि जिनको कि वह नहीं आने देना चाहते उनका रास्ता बंद हो जाय और जिनके लिए कि हम चाहते हैं कि रास्ता बंद न हो, उनके लिए रास्ता खुला रहे। अब मुश्किल यह है कि या तो आप चूज़ कीजिये जैसे कि वारेन हेस्टिंग्ज के जमाने में टिकटिकी लगाई जाती थी और उसके एक तरफ लड़का होता था तो दूसरी तरफ लड़के का बाप और जिधर जाय उधर मुश्किल है। मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि आप ठीक से इस बारे में बैठ कर फैसला करें। मैंने बेशक इस पर एक अमेंडमेंट दिया था कि (७-डी) को ओमिट कर दिया जाय जिसके कि लिये मेरे लायक दोस्तों को डर है कि उसका रहना ठीक नहीं है। मैं उनकी स्पीचेज को सुन कर उससे बिलकुल मुतासिर हूं। हमने पहले भी उनको यह करने के लिए कहा था। अगर आप यह नहीं चाहते कि ऐसे लोग जो कि सरकार को खुराक वगैरह दें, उनका रास्ता बंद हो और अगर आप यह चाहते हैं कि वह हाउस में आ सकें तो मेरी अदब से गुजारिश है कि जैसा उन्होंने फरमाया है कि वह एक कम्प्रीहेंसिव बिल लायेंगे और मैं चाहूंगा कि उसमें ठीक से इसको तरमीम करें और उस वक्त तक हम अपने हाथ स्टे कर दें। इस (७ डी) को ओमिट करने का अमेंडमेंट देकर हम अपने आपको जिम्मेदारियों से फरामोश नहीं कर सकते। मैं बहुत ही नाखुश हूंगा अपने दिल में अगर मेरे अमेंडमेंट की वजह से जो मैंने दी थी उसका यह असर हो कि यह लोग सबके सब आ जांय। इंडिपेंडेंस आफ पार्लियामेंट पहली चीज है और आखिरी चीज है जिसको कि हमें बरकरार रखना है और अगर यह कायम नहीं रहेगी तो ऐडमिनिस्ट्रेशन सारा का सारा खराब हो जायगा। हमारा फर्ज यह है कि ऐसी तजवीज माने कि लाठी भी न टूटे और सांप भी मर जाये।

†**श्री अ० कु० सेन** : विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर वाद-विवाद का उत्तर देते समय मैंने कहा था कि मुझे स्वयं धारा ७ (घ) के हटाये जाने से प्रसन्नता नहीं हुई किन्तु उसीके साथ हमें उन संभावनाओं का भी ध्यान रखना पड़ा तो माननीय सदस्यों ने व्यक्त की कि इस प्रकार तो वे लोग भी, जो सरकार को कुछ गेहूं बेचेंगें, अनर्ह हो जायेंगे।

हम संशोधन संख्या २८ को स्वीकार करते हैं जिससे स्थिति पर्याप्त रूप से संभल जायगी और सरकार से होने वाले के अनर्हता देने वाले हो जायेंगे तथा खाद्यान्नों इत्यादि के विक्रय पर विमुक्ति दी जायेगी।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : हम सब इस बात पर सहमत हैं कि थोड़े से गेहूं बेचने वाले कृषकों को अनर्हता प्राप्त न हो किन्तु हम इस सम्बन्ध में स्पष्ट परन्तुक रख सकते हैं।

†**श्री नौशीर भरूचा** : क्यों न मूल खंड ही को रखा जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : वास्तव में विक्रय के लिये ठेका तथा विक्रय में अन्तर है। माननीय सदस्य इसीको तो जानना चाहते हैं। यह मंत्री की इच्छा है कि वे क्या स्वीकार करें?

---

† मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० कु० सेन** : मैं तो मूल उपबन्ध ही को स्वीकार कर लूंगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ४ पंक्ति २० को हटा दिया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**श्री श्रीनारायण दास** : मेरे इस संशोधन के स्वीकृत होने पर कुछ आनुषंगिक संशोधन भी होंगे।

†**श्री अ० कु० सेन** : यह संशोधन इस उद्देश्य से स्वीकार किया गया है कि मूल उपबन्ध को ही रखा जाय। किन्तु हटा देने का अर्थ तो यह होगा कि वहां कुछ भी नहीं होगा। (क) के स्थान पर मूल खंड (घ) होगा।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

खंड १५ में, उपखंड (क) के स्थान पर निम्न उपखंड रखा जाय :—

["(d) if there subsists a contract entered into in the course of his trade or business by him with the appropriate Government for the supply of goods to, or for the execution of any works undertaken by, that Government."]

["(घ) यदि उसके वाणिज्य अथवा व्यापार के मध्य उपयुक्त सरकार से वस्तु संभरण अथवा उस सरकार द्वारा किये जा रहे किसी कार्य की क्रियान्विति के लिये कोई संविदा की हुई हो।"]

†**अध्यक्ष महोदय**: प्रश्न यह है कि :

खंड १५ में, उपखंड (क) के स्थान पर निम्न उपखंड रखा जाय :—

["(d) if there subsists a contract entered into in the course of his trade or business by him with the appropriate Government for the supply of goods to, or for the execution of any works undertaken by, that Government."]

["(घ) यदि उसके वाणिज्य अथवा व्यापार के मध्य उपयुक्त सरकार से वस्तु संभरण अथवा उस सरकार द्वारा किये जा रहे किसी कार्य की क्रियान्विति के लिये कोई संविदा की हुई हो।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय द्वारा अन्य संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"खंड १५, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

---

† मूल अंग्रेजी में

खंड १५, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड १६, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड १७ (धारा ९ का संशोधन)

†**श्री अ० कु० सेन** : इसमें एक आनुषंगिक संशोधन संख्या १३ है ।

संशोधन किया गया

पृष्ठ ४ पर,

खण्ड १७ के स्थान पर निम्न रखा जाये :--

"17. **Amendment of Section 9.**—In Section 9 of the 1951 Act,—

(a) Clause (b) of Sub-section (1) shall be omitted; and

(b) Sub-section (2) shall be omitted."

["१७. **धारा ९ का संशोधन.**--१९५१ के अधिनियम की धारा ९ में :

(क) उप-धारा (१) के खंड (ख) हटा दिया जाये ;

तथा

(ख) उपधारा (२) हटा दी जाये]" ।

--श्री अ० कु० सेन

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"खंड १७, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड १७, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड १८ से २४ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड २५--(धारा ६१ के स्थान पर नई धारा का रखा जाना)

†**श्री ईश्वर अय्यर** : मैं अपना संशोधन १८ तथा १९ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : हम मानते हैं कि यह बात बुरी है कि एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति मत डाले । किन्तु इस तरीके से सरकार को कभी भी सफलता नहीं मिल सकती । इससे मतदाताओं को भारी कठिनाइयां होंगी। सब व्यक्तियों को अपनी फोटो लिये फिरना तो कठिन है । मुसलमान स्त्रियां तो कभी फोटो नहीं उतरवायेंगी ।

शनाखती पत्रों वाली बात भी अधिक सफल नहीं रह सकती । बहुत से लोग तो इन पत्रों को खो ही देंगे ।

अतः यह खंड खतरनाक है । इससे कठिनाई दूर न होगी ।

आप जानते ही हैं कि निर्वाचनों में कितने धन का अपव्यय होता है । लोग धन-बल से ही इन कार्डों को खरीद सकते हैं । मैं पूरी आशा करती हूँ कि सदस्य इस प्रकार की उलझनें यहां पैदा नहीं करेंगे ।

---

† मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

वास्तव में सब दलों के प्रतिनिधियों को निर्वाचन आयोग के साथ बैठकर यह बात तै करनी चाहिये कि निर्वाचनों की त्रुटियों को किस प्रकार दूर किया जाय।

†**श्री खाडिलकर** (अहमदनगर) : श्रीमान्, यह मामला बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हमें भारत की स्थिति को अच्छी तरह समझना चाहिये। यहां तो गांवों में वोट खरीदे जाते हैं।

हम सब लोग यही चाहते हैं कि एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति वोट न डाले। इसका प्रभावपूर्ण तरीका ही यह है कि सब दलों को मिलकर लोगों को शिक्षा देनी चाहिये।

इस तरह से पहचान पत्रों के वितरण से भ्रष्टाचार फैलेगा और नवीन कठिनाइयां उत्पन्न होंगी। अतः इस उपबन्ध को हटा दिया जाय।

†**श्री दासप्पा** (बंगलौर) : श्रीमान्, मैं भी यही चाहता हूँ कि फोटो की व्यवस्था आदि न होनी चाहिये। मुसलमान तो फोटो उतरवाते ही नहीं हैं। यह बात उनके धर्म के ही विरुद्ध है। किन्तु मुझे पहचान पत्रों पर कोई आपत्ति नहीं है। इसके अतिरिक्त सब दलों को भी मिलकर लोगों को शिक्षा देनी चाहिये।

†**श्री अ० कु० सेन** : वास्तविक चर्चा तो धारा ७ (घ) तथा पहचान पत्रों पर थी। श्रीमती रेणु चक्रवर्ती तो कभी भी सरकार को तथा निर्वाचन व्यवस्था को समझदार समझने के लिये तत्पर नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि मतदाता पहचान पत्र गंवा डालेंगे। निर्वाचन आयोग इन सब बातों पर विचार करेगा तथा नियमों में सब व्यवस्था की जायेगी। वास्तव में दो पहचान पत्र होंगे एक कार्यालय में रहेगा तथा दूसरा मतदाता के पास। यदि एक मतदाता का पत्र गुम भी हो जाय तब भी कार्यालय के पत्र से उसकी व्यवस्था की जा सकती है। इससे किसी को हानि न होगी। अनेक नगरीय क्षेत्रों में यह प्रणाली है। शेष व्यवस्था के अधिकार हम आयोग को देंगे। मैं आशा करता हूँ कि निर्वाचन आयोग इस सम्बन्ध में उपयुक्त नियम बनायेगा तथा सब दलों से परामर्श लेगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १८ तथा १९ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"खंड २५ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड २५ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड २६ तथा २७ विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड २८—(धारा ९० का संशोधन)

श्री खुशवक्त राय : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना एमेंडमेंट नम्बर २४ मूव करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : जनरल डिसकशन में मैंने यह बताया था कि ९० (३) के मातहत इलैक्शन कमिशन को वही अधिकार मिले हुए हैं जो कि सैक्शन ८५ में इलैक्शन कमिशन

† मूल अंग्रेजी में

को दिये गये थे। इलैक्शन कमिशन अगर कोई आदेश देता है तो उसके खिलाफ कोई अपील नहीं होती है। अब एक और अपील करने की आप इजाजत दे रहे हैं। अब उसको आप अपीलेबल बनाने जा रहे हैं। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इससे खर्चा बढ़ता है। अब दो बार अपील करने की इजाजत देने आप जा रहे हैं, एक बार तो ९० (३) में और दूसरी बार धारा ९८ में और आप कहते हैं कि जो हुक्म हो उस पर अपील की जा सकती है। मैं समझता हूं इससे आप इलैक्शन कमिशन का खर्चा बढ़ा रहे हैं जो कि बाजिव नहीं है और मैं चाहता हूं इस पर गौर कर लिया जाए।

†श्री अ० कु० सेन : मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता/वास्तव में यह उपबन्ध आयोग की सिफारिश से ही रखा गया है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या २४ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड २८ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड २८ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड २८क तथा २८ख (नये)

शोधन किया गया

पृष्ठ ६ पर,

पंक्ति ९ के बाद निम्नलिखित रखा जाये :—

"28A. **Amendment of section 99.** —In Section 99 of 1959 Act, in Sub-Clause (i) of clause (a) of Sub-Section (1), the words "by or with the consent of any candidate or his agent" shall be omitted.

28B. **Amendment of Section 100.**—In section 100 of the 1951 Act,—

(a) in sub-clause (ii) of clause (d) of sub-section (1), for the words "by a person other than that candidate or his election agent or a person acting with the consent of such candidate or election agent" the words "by an agent other than his election agent" shall be substituted; and

(b) in sub-section (2), clause (b) shall be omitted."

["२८क. धारा ९९ का संशोधन.—१९५१ के अधिनियम की धारा ९९ में उपधारा (१) के खंड (क) के उपखंड (१) में "किसी उम्मीदवार अथवा उसके अभिकर्ता द्वारा अथवा उसकी सहमति से" शब्द हटा दिये जायें।

२८ख. धारा १०० का संशोधन.—१९५१ के अधिनियम की धारा १०० में,—

(क) उपखंड (१) के खंड (घ) के उपखंड (२) में "उस उम्मीदवार अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता अथवा ऐसे उम्मीदवार अथवा निर्वाचन अभिकर्ता की सहमति से काम

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

करने वाले व्यक्ति के अतिरिक्त" शब्दों के स्थान पर "उसके निर्वाचन अभिकर्ता के अतिरिक्त किसी अभिकर्ता द्वारा" शब्द रखे जायें; तथा

(ख) उपधारा (२) में खंड (ख) हटा दिया जाये।"]

—श्री अ० कु० सेन

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"नये खंड २८क तथा २८ख विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

नये खंड २८क तथा २८ख विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड २९—(धारा ११६क का संशोधन)

संशोधन किया गया :—

पृष्ठ ६, पंक्ति १३ में.—

"Election Commission" (निर्वाचन आयोग) के बाद यह रखा जाये :—

"and the Speaker or Chairman as the case may be of the House of Parliament or of the State Legislature concerned."

(संसद के सदनों अथवा सम्बद्ध राज्य विधानमंडलों के अध्यक्ष अथवा सभापति, जैसी भी स्थिति हो)

पृष्ठ ६, पंक्ति १९ में—

"Commission" (आयोग) के पश्चात् यह रखा जाये :—

"and the Speaker or Chairman, as the case may be of the House of Parliament or of the State Legislature concerned."

(संसद के सदनों अथवा राज्य विधान-मंडलों के अध्यक्ष अथवा सभापति, जैसी भी स्थिति हो)

—श्री केशव

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड २९, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड २९, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड ३०—(धारा ११७ का संशोधन)

†**श्री खुशवक्त राय** : मैं अपना संशोधन संख्या ७ प्रस्तुत करता हूँ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन सभा में मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड ३० विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड ३० विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ३१ से ३३ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खंड ३४ (धारा १२३ का संशोधन)

†**श्री बि० दास गुप्त**: मैं अपने संशोधन संख्या ८ तथा ९ प्रस्तुत करता हूँ ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मैं अपने संशोधन संख्या ३०, ३१ तथा ३२ प्रस्तुत करता हूँ ।

जो कुछ मुझे अर्ज करना था वह तो मैंने उसी वक्त अर्ज कर दिया था जबकि बिल हाउस के सामने कंसिडरेशन के लिये था । यहां पर मैं सिर्फ यह बतलाना चाहता हूं कि मैंने सेलेक्ट कमेटी के मोशन के अवसर पर अर्ज किया था कि जो ऐसे लोग हैं जो कि इस बिल से दिलचस्पी रखते हैं, उनको भी इजाजत दी जाय कि वह सेलेक्ट कमेटी के सामने जायें और वहां पर अपनी बात कह सकें । लेकिन इसकी इजाजत नहीं हुई । हमारे आनरेबल मिनिस्टर साहब ने कहा कि जो चीज हमारे बिल के अन्दर थी, सेलेक्ट कमेटी उसके बाहर नहीं जा सकती थी, और ऐसा रूल भी है लेकिन जो एफ क्लाज रक्खा गया है वह भी ओरिजिनल बिल में नहीं था । वह सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द नहीं किया गया और इस हाउस में रूल्स के मुताबिक कोई इस तरह का क्लाज बिल के अन्दर नहीं आ सकता । यह बिलकुल कायदे की चीज है कि इस हाउस के अन्दर यह हिस्सा बिल में फ्लो नहीं कर सकता । मैं अर्ज करूंगा कि जो बिल अभी पास नहीं किया गया लेजिस्लेचर के अन्दर उसकी बिना पर कहा जा रहा है कि इसको शामिल कर दिया जाय । जब कभी बिल पास होगा तो हम देखेंगे कि यह चीज कहां तक रक्खे जाने के काबिल है । इस बिल में जो चीज हम रखने जा रहे हैं उसके लिये हमारे सारे कम्यूनिस्ट दोस्त यह कह रहे थे कि हम प्योरिटी कायम कर रहे हैं पार्लियामेंट की । प्योरिटी यहां पर ठेकेदारों से नहीं, बल्कि चौकीदारों और मालगुजारों, लम्बरदारों और इस तरह के दूसरे आदमियों से रक्खी जा रही है । मैं कहना चाहता हूं कि बिल आये तो मुनासिब वक्त पर आये । इस वक्त यह चीज मुनासिब नहीं है क्योंकि इसका जिक्र ओरिजिनल बिल में नहीं था । सेलेक्ट कमेटी में भी नहीं था । इसलिये हाउस को अख्त्यार नहीं कि इस तरह की गलत चीजें यहां पर रक्खे । मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यहां पर हम लीगल चीज को खत्म कर के अपना काम चलाना चाहते हैं । वरना अगर देखा जाय तो यह बिल जो है वह डंबल इल्लीगैलिटी का है । इसके अन्दर सारी की सारी चीजें जो हैं वह ऐम्बीगुइटी से भरी हुई हैं ।

ला मिनिस्टर साहब को चाहिये वह इस पर गौर करें, वह काफी तजुर्बा रखते हैं उनको मालूम होगा कि इसमें वैलेन्स नहीं रक्खा गया है । जब तक यह साफ नहीं किया जायेगा कि एलेक्शन पिटीशन्स को क्या ग्राउंड होंगी, तब तक आखिर हमारे कोर्टस् फैसला

†मूल अंग्रेजी में

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

क्या करेंगे। जब तक यह साफ नहीं होता तब तक मेरिट्स के ऊपर भी यह बिल पास होने के काबिल नहीं है।

†श्री अ० कु० सेन : यह खण्ड पूर्व वाले खण्ड से संबंधित है, क्योंकि खण्ड ३४ का सम्बन्ध भ्रष्ट अभ्यासों से है। उसी संदर्भ में यह आवश्यक हो गया है। प्रवर समिति के सदस्यों ने जैसा कि ठीक कहा है, अनर्हता निवारण अधिनियम द्वारा हमने लम्बरदारों तथा कुछ और राजस्व अधिकारियों को जो पुलिस कर्तव्य नहीं करते, विमुक्त किया है। यह बात हो विचित्र होगी यदि हम यह कह दें कि वह स्वयं तो खड़े हो सकते हैं तथा यदि वह किसी और की सहायता करें तो ठीक नहीं है। इसी कारण यह संशोधन रखा गया था। हमने यही सोचा कि इनकी सहायता को अनर्हता वाली न बनाया जाय क्योंकि वे स्वयं ही उम्मीदवार के तौर पर खड़े हो सकते हैं। अतः इन बातों का पारस्परिक सम्बन्ध ही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ८ तथा ९ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ३०, ३१ तथा ३२ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड ३४ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड ३४ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड ३५, ३६ तथा ३७ विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड १, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड १, अधिनियमन सूत्र विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये

†**श्री अ० कु० सेन** : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा बाट तथा माप दिल्ली निरसन विधेयक

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि उड़ीसा बाट तथा माप अधिनियम, १९४३ का दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में लागू होने के सम्बन्ध में निरसन करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

यह एक सरल सा विधेयक है। इसमें केवल तीन खण्ड हैं और उन पर भी कोई संशोधन नहीं है। इस समय यह अधिनियम दिल्ली में लागू है। इस अधिनियम के अनुसार दिल्ली में पुराने बाट व माप लागू हैं, किन्तु १ अक्तूबर से दिल्ली में मीट्रिक बाट व माप लागू कर दिये गये हैं। इस प्रयोजन के लिये राजस्थान सभा द्वारा १९५८ में पारित अधिनियम दिल्ली पर लागू किया गया है। हमें बताया गया है कि दिल्ली विधि अधिनियम के अन्तर्गत हम दिल्ली में राजस्थान अधिनियम केवल अधिसूचना से ही लागू कर सकते हैं लेकिन संसद् की अनुमति बिना किसी अधिनियम का निरसन नहीं कर सकते। इसी कारण इस विधेयक को यहां लाया गया है। संक्रमण काल में दोनों चीजें चलेंगी। अतः उड़ीसा अधिनियम का निरसन शनैः शनैः होगा। राजस्थान अधिनियम की जितनी धारायें यहां जब जब लागू होंगी तब तब उड़ीसा अधिनियम की उतनी ही धाराओं का निरसन होता जायेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"उड़ीसा बाट तथा माप अधिनियम, १९५३ का दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में लागू होने के सम्बन्ध में निरसन करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"खंड १, २, ३ तथा अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १, २, ३, तथा अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**श्री सतीश चन्द्र** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

'कि विधेयक को "पारित किया जाये।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

*आन्ध्र में चावल की वसूली

†**अध्यक्ष महोदय**: अब सभा आन्ध्र में चावल की वसूली से सम्बन्धित तारांकित प्रश्न संख्या ९०१ के १२ दिसम्बर, १९५८ को दिये गये उत्तर से उत्पन्न होने वाले विषय पर आधे घंटे की चर्चा करेगी।

---

*आध घन्टे की चर्चा

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री वासुदेवन् नायर** (तिरुवल्ला): आन्ध्र में चावल की वसूली की इस समस्या का केरल राज्य पर बड़ा प्रभाव पड़ता है।

मैं इस विषय पर चर्चा इसलिये चाहता हूं कि माननीय खाद्य तथा कृषि मंत्री ने अपने उत्तर में कुछ परस्पर विरोधी बातें कही थीं। एक बात तो उन्होंने यह कही थी कि केन्द्रीय सरकार आन्ध्र से इसलिये चावल नहीं खरीदना चाहती कि वह केरल राज्य को प्राथमिकता देना चाहती है। लेकिन कुछ अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में, उन्होंने इसकी विरोधी बात कही थी।

केन्द्रीय सरकार ने अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत आन्ध्र के चार जिलों से २,६०,००० टन चावल वसूल किया है। लेकिन जब माननीय मंत्री से यह प्रश्न पूछा गया कि क्या आन्ध्र ने इस विषय में प्राथमिकता की मांग की है, तो उसका कोई भी उत्तर नहीं दिया गया था।

समूचे देश की सबसे बड़ी समस्या खाद्याभाव की ही है। दक्षिणी चावल जोन बनने से पहले, केरल को केन्द्रीय सरकार से २५–२६ हजार टन चावल राजकीय अनुसहाय्य के रूप में मिलता था। लेकिन इस जोन के बनने के बाद, केन्द्रीय सरकार ने केरल से कह दिया है कि वह अपनी जरूरत के लिये चावल आन्ध्र से खरीदे। यह तो ठीक है, लेकिन केन्द्रीय सरकार ने जो यह वसूली की है, उसके कारण आन्ध्र–प्रदेश में चावल के भाव चढ़ गये हैं। साथ ही, दक्षिणी जोन से बहुत बड़े पैमाने पर चावल को चोरी से बम्बई भी भेजा जाता है। इसके कारण आन्ध्र के गुन्टूर, कृष्णा, पूर्वी गोदावरी और पश्चिमी गोदावरी जिलों में भी चावल के भाव बहुत ऊंचे हो गये हैं। विजयवाडा में चावल का भाव २० से २२ रुपये प्रति मन हो गया है। इसका मतलब है कि केरल को इस अस्थायी बाजार भाव पर ही निर्भर रहना पड़ेगा।

केरल सरकार को ७०,००० टन चावल की जरूरत थी और उसने इसके सम्भरण के ठेके के लिये टेण्डर भी मांगे थे, लेकिन किसी ने टेण्डर ही नहीं दिये। इसी लिये केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से मांग की थी कि आन्ध्र से वसूल किये जाने वाले चावल में से उसे हर महीने २०,००० टन चावल दिया जाये। उसके अभाव में केरल राज्य की छैः हजार उचित मूल्य की दूकानों का चलना मुश्किल हो गया है। दक्षिणी जोन में चावल की कमी नहीं है, लेकिन मूल्य बहुत चढ़ गये हैं। हमें केरल में प्रति मन चावल के लिये २० से २२ रुपये तक देने पड़ते हैं। प्रश्न यह है कि मूल्यों को उचित सीमा में रखने के लिये हम चावल कहां से प्राप्त करें? इसीलिये केरल ने मांग की है कि आन्ध्र प्रदेश के चावल के सम्बन्ध में उसे प्राथमिकता दी जाये।

केन्द्रीय सरकार ने फसल आने से पहले ही २,६०,००० टन चावल की वसूली कर ली है, और उसमें से केवल ६८,००० टन ही केरल के लिये दिया जायेगा और उसमें से भी २४,००० टन चावल इस शर्त पर दिया गया है कि उसे लौटाना पड़ेगा।

वास्तव में, पिछले तीन महीनों से उचित मूल्य की दूकानों के लिये केरल में कोई चावल ही नहीं रह गया है। केन्द्रीय सरकार ने केरल को नियंत्रित भाव पर आन्ध्र प्रदेश का चावल देने ही से इन्कार नहीं किया, बल्कि उसे खुले बाजार से खरीदने की भी अनुमति नहीं दी है।

---

†मूल अंग्रजी में

हम आन्ध्र प्रदेश के उन चार जिलों मे चावल खरीद भी नहीं सकते, हमें उसकी खरीद के लिये नैल्लोर और रायल सीमा जाना पड़ता है।

हमारा अनुरोध यह है कि केन्द्रीय सरकार आन्ध्र प्रदेश मे जितना भी चावल जिस भी मूल्य पर वसूल करती है, उसम मे उसी मूल्य पर प्रति माह २०,००० टन केरल को दिया जाना चाहिये।

केरल सरकार उसके परिवहन का पूरा व्यय उठाने को तैयार है। केन्द्रीय सरकार को अपनी ओर से कुछ भी व्यय नहीं करना पड़ेगा। केरल सरकार ने चालू वर्ष के आय–व्ययक में इसके लिये एक करोड़ रुपया रखा है।

केन्द्रीय सरकार अन्य राज्यों को इसी आधार पर खाद्यान्नों का सम्भरण करती ही है। उसने जनवरी से जुलाई १९५८ तक विहार सरकार को ४,८०,००० टन चावल कम मूल्य पर दिया था। पश्चिमी बंगाल को ५,१६,००० टन चावल दिया जा चुका है। उत्तर प्रदेश को हर महीने ६०,००० टन गेहूं दिया जाता है। बम्बई को जनवरी से नवम्बर १९५८ तक २,९१,००० टन दिया गया था। हम यह नहीं कहते कि इन राज्यों को न दिया जाये, लेकिन यह भी तो गलत है कि अन्य राज्यों को तो कम मूल्य पर खाद्यान्न दिये जायें और केरल राज्य को उसी मूल्य पर भी न दिया जाये।

हमें हर महीने अपनी उचित मूल्य की दूकानों के लिये २५,००० टन चावल की जरूरत पड़ती है। यह जरूरत पूरी करने के लिये हमें आन्ध्र के खुले बाजार से ४० रुपये फी बोरे के हिसाब से खरीदना पड़ता है। जबकि केन्द्रीय सरकार उसे १६ रुपये प्रतिमन के हिसाब से खरीदती है। केरल को खुले बाजार पर निर्भर रहने के लिये विवश किया जाता है। ४० पये के हिसाब से हमें अपनी जरूरत का चावल मंगाने पर ४८० लाख रुपये प्रतिवर्ष व्यय करने पड़ेंगे, जबकि केरल को कुल मिलाकर ३०·३२ करोड़ रुपये ही राजस्व के रूप में मिलते हैं। इसलिये यदि केरल को नियंत्रित दरों पर चावल मिल जाये, तो बड़ी सहायता मिलेगी। तब हमें उस पर २०० लाख रुपये ही खर्च करने पड़ेंगे। इसमें २५०–२८० लाख पये अधिक लग जाते हैं। इसलिये केन्द्रीय सरकार को केरल राज्य की सहायता करनी चाहिये।

इसे राजनीतिक दलबन्दी का शिकार नहीं बनाया जाना चाहिये।

केरल राज्य को आन्ध्र प्रदेश से वसूल होने वाले चावल के मामले में प्राथमिकता दी जानी चाहिये। यदि हमें केन्द्रीय सरकार से चावल मिलने लगेगा तो हमारी कई अन्य समस्यायें भी हल हो जायेंगी। तब इस चावल का स्टाक कोचीन में ही रखा जा सकता है। इससे केरल राज्य को बड़ी सुभीता रहेगी।

†**श्री ईश्वर अय्यर** (त्रिवेन्द्रम): केन्द्रीय सरकार यह क्यों नहीं कर सकती कि आन्ध्र प्रदेश से चावल की वसूली करके उसे केरल राज्य को उसी मूल्य पर दे दे ?

†**श्री रंगा** (तेनाली) : आन्ध्र प्रदेश और केरल की सरकारें आपस में ही इसकी व्यवस्था कर सकती हैं। ऐसी हालत में, मेरी समझ में यह नहीं आता कि केन्द्रीय सरकार खुद वहां चावल की वसूली करने क्यों गई है। इससे आन्ध्र प्रदेश के कृषकों में यह गलत फहमी फैलती जा रही है कि केन्द्रीय सरकार कृषकों के हितों की उपेक्षा कर रही है और केरल के उपभोक्ताओं के हितों को वरीयता दे रही है। इसके लिये जरूरी है कि केन्द्रीय सरकार आन्ध्र प्रदेश की सरकार के साथ

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रंगा]

वसूल किये जाने वाले चावल के उचित मूल्य के बारे में ऐसा समझौता करले, जिससे आन्ध्र प्रदेश के कृषक भी संतुष्ट हो सकें। इससे लाभ यह होगा कि आन्ध्र प्रदेश के कृषकों और केरल के उपभोक्ताओं दोनों ही को कोई शिकायत नहीं रहेगी। क्या भारत सरकार इस पर विचार करेगी ?

†**श्री मणियंगाडन** (कोट्टयम) : केरल के खाद्य मंत्री ने कहा था कि केन्द्रीय सरकार ने आन्ध्र प्रदेश के चार जिलों से उनके चावल खरीदने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। केरल के मुख्य मंत्री ने एक प्रेस सम्मेलन में अभी कहा था कि दक्षिणी ज़ोन केरल पर थोप दिया गया है। क्या यह सही है ?

†**श्री वासुदेवन् नायर** : यह गलत है।

†**श्री रामी रेड्डी** (कड़पा) : वसूली के लिये भाव निर्धारित करते समय उत्पादन की लागत, अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं के ऊंचे मूल्यों, इत्यादि को ध्यान में नहीं रखा गया था। इसलिये निर्धारित मूल्य बहुत कम है। क्या केरल सरकार उस निर्धारित मूल्य से कुछ अधिक देने को तैयार है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : यह एक विवाद ग्रस्त विषय बनता जा रहा है। मैं इसका कुछ स्पष्टीकरण कर देना चाहता हूं। आज सुबह हम ने रेडियो पर सुना है कि केरल के मुख्य मंत्री ने केन्द्रीय सरकार पर यह आरोप लगाया है कि वह केरल सरकार के साथ भेदभाव कर रही है। केरल के सत्तारूढ़ दल के कुछ अन्य नेताओं ने भी इसी प्रकार के आरोप लगाये हैं। कई अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों ने भी ऐसे ही वक्तव्य दिये हैं।

लेकिन वास्तविकता क्या है ? माननीय मित्र ने कहा है कि माननीय मंत्री द्वारा दिये गये इस उत्तर में कुछ गलती है कि केन्द्रीय सरकार आन्ध्र के बाजारों से खरीद नहीं कर रही है। इस चर्चा का विषय भी यही है। उस उत्तर में, वास्तव में, यह कहा गया था कि अभी इस समय अधिग्रहण के लिये नये आदेश जारी नहीं किये जा रहे हैं। अधिग्रहण केवल उन स्थानों पर ही किया जा रहा है जहां मिलवालों या थोक व्यापारियों के पास चावल का काफी स्टाक हो, और उसे सरकार को न दिया जा रहा हो। केन्द्रीय सरकार का यही रुख है। केन्द्रीय सरकार की नीति यही है कि कमी वाले क्षेत्रों को चावल पहुंचाने और केरल की आवश्यकायें पूरी कर चुकने के बाद भी आन्ध्र में जो अतिरिक्त चावल बचे उसी की वसूली की जाये।

माननीय मित्र ने कहा है कि हमने कहा था कि केन्द्रीय सरकार आन्ध्र से चावल वसूल नहीं करेगी, फिर भी उसने चार जिलों से दो लाख टन से भी अधिक की वसूली की है। यह सही है कि २,५७,००० टन चावल वसूला गया है ७७,००० टन १९५७ और १,८०,००० टन १९५८ में। लेकिन इसके साथ यह भी सही है कि इसी काल में केरल, मैसूर और मद्रास राज्यों को १,९६,००० टन चावल दिया भी गया है। इसमें से अधिकांश केरल को ही मिला है।

केरल राज्य को १९५८ में ही ६८,००० टन चावल केन्द्रीय सरकारी स्टाक से दिया गया है। इसलिये दक्षिणी ज़ोन के बाहर कोई अधिक चावल नहीं गया है।

माननीय मित्र कहते हैं कि उसमें से २४,००० टन ऋण के रूप में था। लेकिन केरल ने उसे लौटाया तो नहीं है। उसे इतना चावल मिला तो है।

---

†मूल अंग्रेजी में

मेरे माननीय मित्र ने जो तर्क दिये हैं उन में दक्षिणी ज़ोन को उचित महत्व नहीं दिया गया है। यह दक्षिणी जोन बनाया इसी उद्देश्य से गया है कि केरल के अभाव-ग्रस्त क्षेत्र की सहायता की जा सके। आन्ध्र सरकार तो इसके पक्ष में नहीं थी, मद्रास राज्य भी इसके पक्ष में नहीं था, फिर भी यह ज़ोन बना दिया गया है। मैसूर इसके लिये तैयार हो गया था। आन्ध्र और मद्रास को इस ज़ोन में शामिल होने के लिये हमने ही तैयार किया था।

लेकिन दक्षिणी ज़ोन बनाने के बाद, उसका कार्य सुचारू रूप से चलना शुरू होने में कुछ समय तो लगेगा ही। इस ज़ोन की स्थापना जुलाई में हुई थी। जुलाई में ही, हमने केरल राज्य को २६,००० टन चावल दिया था। अगस्त में फिर उसे २६,००० टन चावल दिया गया था।

माननीय मित्र का कहना है कि उन की जरूरत केवल २५,००० टन प्रति मास की है।

अब हम और अधिक चावल इस लिये नहीं दे रहे हैं कि अब हमारे विचार से दक्षिणी ज़ोन स्वयं आत्म-निर्भर हो गया है। इसलिये अब यदि केरल सरकार अपने यहां उचित मूल्य की दूकानें बनाये रखना चाहती है, तो उसे अपनी जिम्मेदारी पर चावल खरीद कर उनको देना चाहिये।

इस सम्बन्ध में, हमें दक्षिणी ज़ोन के राज्यों के मूल्य-स्तरों को भी ध्यान में रखना चाहिये। आन्ध्र, केरल, मैसूर और मद्रास—लगभग सभी राज्यों में मूल्य-स्तर एक समान ही है।

आन्ध्र में चावल का मूल्य १७ से २२ रुपये प्रति मन है। मद्रास में कहीं-कहीं वह २३ रुपये प्रति मन भी है।

†**अध्यक्ष महोदय** : केरल में तो ४० रुपये था ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : ४० रुपये प्रति बोरी। बोरी दो मन की होती है।

†**श्री अ० म० थामस** : इसलिये केरल में लोगों को अधिक मूल्य नहीं देना पड़ता।

†**श्री वासूदेवन् नायर** : लेकिन मूल्यों में वृद्धि भी तो हुई है। केरल में तो हमेशा ही मूल्य बहुत नीचे रहते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या केरल यह चाहता है कि उसे आन्ध्र के मूल्य से भी कम मूल्य पर चावल मिले ?

†**श्री वासुदेवन् नायर** : बंगाल से कम मूल्य पर।

†**अध्यक्ष महोदय**: माननीय सदस्य यह भूल रहे हैं कि आन्ध्र में केवल चार जिलों में ही अतिरिक्त मात्रा में चावल होता है, अन्य १६ जिलों में तो अकाल की सी परिस्थिति ही रहती है। सवाल यह है कि उन १६ जिलों में किस मूल्य पर चावल मिलता है ? और यह कि केरल में किस मूल्य पर मिलता है ?

†**श्री रंगा** : केरल में कम है।

†**श्री अ० म० थामस** : स्थिति यह है कि कुछ महीनों में केरल का मूल्य-स्तर मद्रास से भी नीचा था।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० म० थामस]

लेकिन मेरे माननीय मित्र तो यह चाहते हैं कि हम चित्तूर या मद्रास की जनता की आवश्यकताओं की ओर ध्यान ही न दें, केवल केरल को ही प्राथमिकता दें। फरवरी १९५८ में दक्षिणी ज़ोन बन चुकने के बाद, और स्थिति में कुछ थोड़ा स्थायित्व आजाने के बाद, हमने परिस्थिति का पुनरीक्षण किया था। उस समय तक मूल्यों में गिरावट आ चुकी थी। जनवरी से जून १९५८ तक के महीनों में, केरल में चावल के थोक मूल्य १७ से १९ रुपये प्रति मन तक पहुंच गये थे, जबकि पश्चिमी बंगाल में १९ से २४ रुपये, बिहार में २०–२५ रुपये और बम्बई में २०–२६ रुपये प्रति मन थे। मैं मोटे किस्म के चावल की बात कर रहा हूं।

यह कहने का तात्पर्य यह है कि केन्द्रीय सरकार चाहती है कि देश के हर भाग की जनता की आवश्यकताओं का समान रूप से ध्यान रखा जाये।

अन्य राज्यों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की यही स्थिति है। दक्षिणी ज़ोन में पिछली फसल आने के बाद, चावल के मूल्य में स्थायित्व आ गया था। तभी हमने, उस स्थिति को देखकर ही, दक्षिणी ज़ोन के विभिन्न राज्यों से कह दिया था अब हम केन्द्रीय सरकार के अपने स्टाक से उनको सम्भरण नहीं करेंगे। लेकिन, हमने, उस के बाद भी, केरल राज्य को चावल दिया था, जब कि मद्रास और मैसूर को इन्कार कर दिया था। हमने चालू वर्ष में केरल को ६७.८ हजार टन चावल दिया है, जबकि मद्रास और मैसूर राज्यों को बिलकुल भी नहीं दिया गया है। आन्ध्र प्रदेश के चित्तूर जिले ने चावल मांगा था, लेकिन हम उसे भी नहीं दे सके।

हम ने केरल सरकार से कह दिया था कि उसे अपने यहां उचित मूल्य की दूकानें चलाने के लिये अपनी ही जिम्मेदारी पर चावल जुटाना पड़ेगा। हम चावल जुटाने के कार्य में उसकी सहायता भी करते रहे हैं। हमने वसूली करने वाले अपने अधिकारियों को अनुदेश जारी कर दिये थे कि वे केरल सरकार को आन्ध्र से चावल खरीदने में पूरी-पूरी सहायता दें और आन्ध्र से केरल सरकार द्वारा खरीदे गये चावल के स्टाकों का अधिग्रहण न करें।

आन्ध्र से केरल को चावल भेजने के लिये वैगनों की व्यवस्था करने में भी हमने सहायता दी। हमने इस बात का भी ध्यान रखा कि आन्ध्र तथा मद्रास के भिन्न-भिन्न भागों से गैर-सरकारी व्यापार के आधार पर कितना चावल केरल को भेजा गया। आप देखेंगे कि मद्रास के तंजोर और त्रिचनापल्ली जिलों से तथा आन्ध्र के विजयवाडा डिवीजन से केवल रेल द्वारा तीन लाख से अधिक चावल केरल भेजा गया। लारियों द्वारा भी बहुत बड़ी मात्रा में चावल भेजा गया जिसकी गणना हम इस में नहीं कर रहे हैं। मद्रास सरकार इस सम्बन्ध में कुछ शिकायत भी कर रही थी।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री का कहना है कि केरल में पर्याप्त चावल उपलब्ध है। प्रश्न केवल यह है कि वे सस्ते दाम पर चावल चाहते हैं।

†**श्री अ० म० थामस** : इस के लिये केरल राज्य को स्वयं सरकारी सहायता देनी पड़ेगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : वे चाहते हैं कि केन्द्रीय सरकार सहायता दे।

†**श्री अ० म० थामस** : हम केरल सरकार को बता चुके हैं कि हम इस बात पर आग्रह नहीं कर रहे हैं कि वह उतना ही बोझ उठाये जितना पहले की सरकार उठा रही थी। पहले की सरकार १½ करोड़ प्रति वर्ष सरकारी सहायता देती थी। हमने उन से कहा कि वे केवल १ करोड़ का भार उठायें और यदि वे इस से अधिक भार उठायेंगे तो हम भी उसमें अपना अंश देंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

केरल सरकार को इससे अधिक क्या सहायता की जा सकती है ? अभी भी मेरे माननीय मित्र कह रहे हैं कि हमें ३ रुपये या ४ रुपये अधिक देना चाहिये। यदि वे एक करोड़ से अधिक सहायता करेंगे तो केन्द्रीय सरकार भी उसमें अपना अंश देगी।

†**श्री ईश्वर अय्यर** : क्या पूर्व गोदावरी, पश्चिम गोदावरी तथा गंटूर जिलों से खुले बाजार भाव पर हम अब खरीद सकते हैं ?

†**श्री अ० म० थामस** : दक्षिण खण्ड में समुचित मूल्य बनाये रखने के उद्देश्य से ही हमने जानबूझ कर इन जिलों में नियंत्रित मूल्य की घोषणा की है।

†**श्री नागी रेड्डी** (अनन्तपुर) : पर, वहां नियंत्रित मूल्य पर उपलब्ध नहीं है।

†**श्री तिरुमल राव** (काकिनाडा) : १ करोड़ की सहायता में से केरल राज्य ने कितना बचाया है ? केरल सरकार उसमें से रुपया बचा कर सामान्य करदाता पर बोझ डालना चाहती है।

†**श्री अ० म० थामस** : ऐसे लगता है कि उसे ४० लाख खर्च करना पड़ा है।

†**अध्यक्ष महोदय** : उचित मूल्य की दुकानों पर चावल क्या भाव बिक रहा है ?

†**श्री अ० म० थामस** : १६ रुपये प्रति मन।

†**श्री वें० प० नायर** (क्विलोन) : केन्द्रीय सरकार का भण्डार १६ रुपये प्रति मन तथा स्थानीय भण्डार २० रुपये प्रति मन।

केरल राज्य की सरकार ने आन्ध्र सरकार की सहायता से आन्ध्र के कुछ मिल मालिकों से चावल लेने का करार कर लिया है। काफी पहले भी वे यह व्यवस्था कर सकते थे। केरल राज्य को चाहिये था कि राज्य के भीतर से ही वे टेण्डर मांगता और डेल्टा क्षेत्र को छोड़ कर अन्य क्षेत्र से चावल वसूल करता।

क्या माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि इस खण्ड के अन्य राज्यों को हम जो सुविधायें नहीं दे सकते, वह सुविधायें केरल को दी जायें ?

इस फसल में उपज अच्छी नहीं हुई है अतः स्वभावतः चावल का दाम अधिक है। नई फसल के आने पर स्थिति सुधर जायेगी। चावल के दाम कुछ बढ़ गये हैं, तो केरल सरकार तथा साम्यवादी दल के मेरे मित्र चाहते हैं कि वे साफ बच जायें और सारा दोष केन्द्र पर डाल दें। फरवरी से जून के बीच जब मूल्य लगभग स्थिर थे और उत्तर के राज्यों की दशा बहुत खराब थी तब हमारे साम्यवादी मित्र कहते थे, जैसा कि उन के अमृतसर में पारित संकल्प से पता लगता है, कि केन्द्रीय सरकार बिल्कुल असफल रही है और केरल ने स्थिति को बड़ी सुन्दरता से संभाल रखा है। यदि दक्षिण खण्ड के निर्माण तथा वहां की स्थिति को सुधारने का श्रेय वे स्वयं लेना चाहते हैं तो मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। पर आज जब उन पर चावल तथा अन्य वस्तुओं की कठिनाई है तो वे अपने को बचा कर केन्द्रीय सरकार पर दोष मढ़ना चाहते हैं। अब यह कहना कहां तक उचित है कि आज एक वर्ष बाद केन्द्रीय सरकार केरल सरकार के प्रति भेद भाव बरत रही है ?

†**श्री वासुदेवन् नायर**: हम लोग इन सारी बातों का श्रेय श्री अ० म० थामस को देने को तैयार हैं। पर कृपा कर के वह हमें चावल दें।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री अ० म० थामस : चूंकि इन महीनों में हमारे सामने कुछ कठिनाइयां हैं अतः हम पर यह आरोप लगाया जाता है कि हम केरल राज्य के प्रति भेदभाव बरत रहे हैं। सभा स्वयं निर्णय करे कि क्या माननीय सदस्य के कथन में कुछ सार है।

सभा का अधिक समय लेना ठीक नहीं है। केन्द्र इस सम्बन्ध में जो कुछ कर सकता था, उसने कर दिया है। केन्द्र ने अपने उत्तरदायित्व को निभाने में कभी उदासीनता नहीं दिखाई है।

†अध्यक्ष महोदय : अब सभा अनिश्चित तिथि के लिये स्थगित होती है।

इस के पश्चात् लोक-सभा अनिश्चित तिथि के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

शनिवार, २० दिसम्बर, १९५८

विषय	पृष्ठ
सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . .	३१७१-७२

निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखे गये:—

(१) भारत में दूसरे सामान्य निर्वाचनों के बारे में प्रतिवेदन (खण्ड १—सामान्य) की एक प्रति ।

(२) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उपधारा (२) के अन्तर्गत दिनांक १३ दिसम्बर, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११६३ की एक प्रति ।

(३) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को भारत सरकार की छात्रवृत्तियों के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या ६९५ पर श्री द० अ० कट्टी द्वारा ३० अगस्त, १९५८ को पूछे गये एक अनुपूरक प्रश्न को शुद्ध करने वाले वक्तव्य की एक प्रति ।

(४) सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी अध्ययन दल के प्रतिवेदन की एक प्रति।

(५) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति:—

(१) दिल्ली रोलर फ्लोर मिल्स (आटा मूल्य नियंत्रण) आदेश, १९५८ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २८ नवम्बर, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ११२९ ।

(२) उड़ीसा चावल (निर्यात निषेध) आदेश, १९५७ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २९ नवम्बर, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ११३० ।

(३) चावल और धान (पश्चिम बंगाल) दूसरा मूल्य नियंत्रण आदेश, १९५८ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ३ दिसम्बर, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ११५२ ।

(४) जी० एस० आर० संख्या ११५५, दिनांक ४ दिसम्बर, १९५८ ।

(५) जी० एस० आर० संख्या ११५६, दिनांक ४ दिसम्बर, १९५८ ।

(६) राजस्थान चना (निर्यात निषेध) आदेश, १९५८ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ५ दिसम्बर, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ११५७ ।

विषय	पृष्ठ
सभा-पटल पर रखे गये पत्र--(क्रमशः)	
(७) दिनांक ५ दिसम्बर, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या १९५८ जिसमें चावल (उत्तर प्रदेश) मूल्य नियंत्रण आदेश, १९५८ दिया गया है ।	
(८) जी० एस० आर० संख्या ११५८-क, दिनांक ७ दिसम्बर, ११५८ ।	
(९) जी० एस० आर० संख्या ११६०, दिनांक ८ दिसम्बर, १९५८ ।	
(१०) जी० एस० आर० संख्या ११९०, दिनांक ११ दिसम्बर, १९५८ ।	
(११) जी० एस० आर० संख्या ११९१, दिनांक ११ दिसम्बर, १९५८ ।	
सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति का कार्यवाही-सारांश--सभा-पटल पर रखा गया	३१७२
दसवीं बैठक का कार्यवाही सारांश सभा-पटल पर रखा गया ।	
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति के कार्यवाही-सारांश--सभा-पटल पर रखे गये	३१७३
दसवीं और ग्यारहवीं बैठकों के कार्यवाही सारांश सभा-पटल पर रखे गये ।	
राज्य-सभा से सन्देश	३१७३
सचिव ने राज्य-सभा से प्राप्त एक सन्देश की सूचना दी कि राज्य-सभा ने अपनी १८ दिसम्बर, १९५८ की बैठक में लोक-सभा द्वारा ३ दिसम्बर, १९५८ को पारित संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९५८ को संशोधनों सहित पारित कर दिया है और इस अनुरोध के साथ विधेयक को वापस कर दिया है कि संशोधनों के सम्बन्ध में लोक-सभा अपनी सहमती राज्य-सभा को प्रेषित करे ।	
राज्य-सभा द्वारा संशोधित रूप में विधेयक--सभा-पटल पर रखा गया	३१७३
सचिव ने संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९५८ को, जिसे राज्य-सभा ने संशोधनों सहित वापस कर दिया है, सभा-पटल पर रखा ।	
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	३१७४
श्री मोहम्मद इलियास ने कोयले के आवण्टन के कम किये जाने के परिणाम स्वरूप आसाम रेलवे ट्रेडिंग कम्पनी द्वारा ८०० कर्मचारियों को अस्थायी रूप से हटाये जाने की ओर इस्पात, खान और ईंधन मंत्री का ध्यान आकृष्ट किया ।	
इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।	

विषय पृष्ठ

अनुपस्थिति की अनुमति ३१७४

६ सदस्यों को लोक-सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति दी गयी ।

मंत्री द्वारा वक्तव्य ३१७५

अतैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) ने पाकिस्तान से बकाया धनराशि के बारे में सर्वश्री हंसदा और स० च० सामन्त के तारांकित प्रश्न संख्या ५६३ के ४ दिसम्बर, १९५८ को दिये गये उत्तर को शुद्ध करने के लिये एक वक्तव्य दिया ।

विधेयक पारित . . . . ३१७५—८४, ३१९६—३२३१

(१) विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) ने प्रस्ताव किया कि अनर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खण्डवार विचार के बाद विधेयक पारित हुआ ।

(२) वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) ने प्रस्ताव किया कि विदेशी विनिमय विनियमन (संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खण्डवार विचार के बाद विधेयक पारित हुआ ।

(३) विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) ने प्रस्ताव किया कि लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खण्डवार विचार के बाद विधेयक, संशोधित रूप में, पारित हुआ ।

(४) वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) ने प्रस्ताव किया कि उड़ीसा बांट और माप (दिल्ली निरसन) विधेयक पर विचार किया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खण्डवार विचार के बाद विधेयक पारित हुआ ।

विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति में भाग लेने के लिये राज्य-सभा से सहमत होने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . . . . ३१८४—९६

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) ने लागत तथा निर्माण लेखापाल विधेयक, १९५८ को संयुक्त समिति को सौंपने तथा उक्त समिति में लोक-सभा के सदस्यों में से २० सदस्य नियुक्त करने सम्बन्धी राज्य-सभा की सिफारिश से सहमत होने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया । चर्चा के बाद प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

आधे घंटे की चर्चा . . . . . ३२३१—३८

श्री वासुदेवन् नायर ने आन्ध्र में चावल की वसूली के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या ९०१ के १२ दिसम्बर, १९५८ को दिये गये उत्तर से उत्पन्न होने वाली बातों पर आधे घंटे की चर्चा उठाई :

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया ।

लोक-सभा अनिश्चित तिथि के लिये स्थगित हुई

दूसरी लोक-सभा के छठे सत्र की कार्यवाही का सारांश

१. सत्र की अवधि	१७ नवम्बर से २० दिसम्बर, १९५८
२. बैठकों की संख्या	२६
३. बैठकों के कुल घंटों की संख्या	१६८ घंटे ५३ मिनट
४. मत विभाजनों की संख्या	८
५. सरकारी विधेयक:—	
(एक) सत्र के प्रारम्भ में लम्बित	९
(दो) पुर:स्थापित किये गये	१७
(तीन) राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखे गये	२
(चार) प्रवर समिति को सौंपा गया	लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, १९५८
(पांच) संयुक्त समिति को सौंपा गया	भारतीय बिजली (संशोधन) विधेयक, १९५८
(छः) प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित	लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, १९५८
(सात) संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित	*दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक*, १९५८
(आठ) पारित किये गये	१७
(नौ) राज्य-सभा द्वारा बिना किसी संशोधन के वापस किये गये	४
(दस) राज्य-सभा द्वारा संशोधन सहित वापस किया गया	१
(ग्यारह) सत्र की समाप्ति पर लम्बित	१०
६. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक :—	
(एक) सत्र के प्रारम्भ में लम्बित	५४
(दो) पुर:स्थापित किये गये	१५
(तीन) वापस लिये गये	१
(चार) सत्र की समाप्ति पर लम्बित	८५

७. सरकारी संकल्प :—

(एक) प्रस्तुत किये गये	कोई नहीं
(दो) स्वीकृत किये गये	कोई नहीं

८. गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प :—

(एक) प्राप्त हुए	६९८
(दो) स्वीकृत हुए	कोई नहीं
(तीन) कार्य-सूची में सम्मिलित किये गये	१९
(चार) वापस लिये गये	२
(पांच) अस्वीकृत हुए	१

९. सरकारी प्रस्ताव :—

(एक) प्रस्तुत किये गये	३
(दो) स्वीकृत हुए	१

१०. गैर-सरकारी सदस्यों के प्रस्ताव :—

(एक) प्राप्त हुए	५८
(दो) गृहीत किये गये	२६
(तीन) प्रस्तुत किये गये	५

११. संविहित नियमों में रूपभेद सम्बन्धी प्रस्ताव :—

(एक) प्राप्त हुए	कोई नहीं
(दो) गृहीत किये गये (तीन) प्रस्तुत किये गये	पांचवें सत्र में प्रस्तुत किये गये ८५ प्रस्तावों पर छठे सत्र में चर्चा की गई । एक प्रस्ताव संकल्प के रूप में स्वीकृत हुआ ।

१२. अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रस्तावों पर चर्चा	४
१३. आधे-घंटे की चर्चा	८
१४. अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की संख्या, जिन की ओर मंत्रियों का ध्यान आकर्षित कराया गया तथा जिन पर मंत्रियों ने वक्तव्य दिया या वक्तव्य को सभा-पटल पर रखा	११

१५. स्थगन प्रस्ताव :—

(एक) प्राप्त हुए	९
(दो) गृहीत किये गये	कोई नहीं
(तीन) जिन पर अध्यक्ष ने अनुमति नहीं दी	९

१६. पूछे गये प्रश्न :—

(एक) तारांकित	१२४३
(दो) अतारांकित (उन तारांकित प्रश्नों समेत, जिनको अतारांकित बना दिया गया)	२१९६
(तीन) अल्प सूचना प्रश्न	८

१७. संसदीय समितियों के प्रतिवेदन उपस्थापित किये गये :—

(एक) कार्य मंत्रणा समिति	३
(दो) विशेषाधिकार समिति	२ (छटा और सातवां)
(तीन) सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति	२
(चार) याचिका समिति	१ (पांचवां)
(पांच) गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	१
(छः) अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति	१ (चौथा)
(सात) नियम समिति	कोई नहीं